November 1-30

Topic	Page
Polity	2-8
Programme &Schemes	8-9
Geography , Environment& Ecology	10-20
Science and Technology	20-23
International Relation& International events	23-30
Editorials	31-40
National Issues	40-43
Security issues	43-45
Social issues	46-50
Economy	51-59
Governance	59-61
Miscellaneous	61

GENERAL STUDIES HINDI

Polity

1. हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को फिर से बहाल करने पर सहमती :

क्यों यह फैसला : उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जजों की बहाली से फाइव प्लस जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत पांच साल से अधिक समय से लंबित केसों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी।

क्या है अनुच्छेद 224-ए

- वर्ष 1963 में 15वें संविधान संशोधन के जरिये अनुच्छेद 224-ए जोड़ा गया। उसी साल 5 अक्टूबर से कानून प्रभावी हो गया।
- इसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त जज को फिर बहाल करने का अधिकार दिया गया।

संविधान के अनुच्छेद 224-ए के तहत

2. समान कार्य के लिए समान वेतन अस्थायी कर्मचारियों पर लागून्यायालय :

- उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत उन सभी पर लागू किया जाना चाहिए जो दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों के तौर पर नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन से इनकार को शोषणकारी गुलामी, अत्याचारी, दमनकारी और जबर्दस्ती करार दिया। न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
- कोर्ट ने कहा उनकी दृष्टि से श्रम के फल से वंचित करने के लिए कृत्रिम मानदंड बनाना गलत है।
- एक ही काम के लिए संलग्न किसी भी कर्मचारी को उस कर्मचारी से कम वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता जो वही कार्य और जिम्मेदारियां वहन करता है।
- निश्चित रूप से किसी भी कल्याणकारी राज्य में नहीं। ऐसा कदम अपमानजनक होने के साथ ही मानव गरिमा के आधार पर चोट करता है।
- पीठ ने कहा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कम वेतन वेतन पर काम नहीं करता बल्कि उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। कम मजदूरी पर वह सिर्फ इसलिए काम करना चाहता है कि वह अपनी आजीविका चला सके। वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की तिलांजलि देकर अपने परिवार के रहनेखाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि उसे यह मालूम है कि अ-गर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके आश्रितों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन न देना उस व्यक्ति का शोषण करना है।

3. जल बंटवारा समझौता रद करने वाला पंजाब का कानून असंवैधानिक: SC

Background

SC ने पंजाब के टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 की संवैधानिकता के बारे में प्रेसीडेंट की ओर से भेजे गये रिफरेंस का जवाब देते हुए अपनी यह राय दी है। राष्ट्रपति ने 22 जुलाई 2004 को सुप्रीमकोर्ट को रिफरेंस भेज कर चार कानूनी सवालों पर राय मांगी थी।

कोर्ट ने क्या कहा

- सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रपति के रिफरेंस पर दी गई राय में कहा है कि जल बंटवारा समझौता रद करने वाला पंजाब का कानून 2004 असंवैधानिक है।

जल संकट

पंजाब और हरियाणा के बीच 50 साल पुराना है जल विवाद

पंजाब-हरियाणा के बीच पानी बंटवारे का विवाद 50 साल पुराना है। पंजाब सरकार का कहना है कि अगर हम नहर के जरिये हरियाणा को पानी देते हैं तो पानी का सकंट हो जाएगा। वहीं, हरियाण का कहना है सतलुज के पानी पर हमारा भी हक है।

सतलुज-यमुना नहर।

क्या है सतलुज-यमुना विवाद

1 नवंबर 1966 : पंजाब से अलग हो हरियाणा नया राज्य बना, लेकिन दोनों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा नहीं हुआ। विवाद खत्म करने को केंद्र ने अधिसूचना जारी कर हरियाणा को 3.5 एमएएफ पानी आवंटित किया। इस पानी को लाने के लिए 214 किलोमीटर लंबी सतलुज-यमुना नहर (एसवाईएल) बनाने का निर्णय हुआ था।

1981 : पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मिलकर एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक समझौते पर दस्तखत किए थे।

1990 : पंजाब में नहर परियोजना पर काफी हिंसा हुई। 1990 में पंजाब ने नहर निर्माण का काम रोक दिया। नहर, हरियाणा के किसानों के लिए जीवन रेखा की तरह थी। पंजाब को भी घटते जलस्तर की चिंता थी।

1996 : विरोध और राजनीति के बीच 1996 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने पंजाब को वर्ष 2002 और 2004 में दो बार निर्देश दिए कि वो अपने हिस्से में नहर के काम को पूरा करे।

12 जुलाई 2004 : पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें पंजाब के पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया।

11 वर्ष ठंडे बस्ते में रहा विवाद

20 अक्तूबर 2015 : 11 साल बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई का अनुरोध किया

26 फरवरी 2016 : इस अनुरोध पर गठित पांच जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की। सभी पक्षों को बुलाया

12 मई 2016 : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी और फैसला सुरक्षित रख लिया

10 नवंबर 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर निर्माण कार्य जारी करने का आदेश दिया

- संविधान पीठ ने कहा है कि मुकदमें और समझौते में पक्षकार राज्य एकतरफा कानून पारित कर समझौता और सुप्रीमकोर्ट का फैसला रद नहीं कर सकता। पंजाब ने ऐसा करके अपनी विधायी शक्तियों का अतिक्रमण किया है।
- पंजाब का कानून वैध नहीं माना जा सकता। पंजाब राज्य इस कानून के जरिये जल बंटवारा समझौते के तहत मिले अपने कानूनी दायित्वों और जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता।
- कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 1981 के जल बंटवारा समझौते को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच मुकदमेंबाजी चली और अंत में सुप्रीमकोर्ट ने उस समझौते के मुताबिक ही जल बंटवारे की डिक्री पारित की। जिसमें समझौते को कानूनी मंजूरी मिली।
- जब एक बार अदालत डिक्री पारित कर देती है तो उस मुकदमें में पक्षकार रहा राज्य एकतरफा उस डिक्री के प्रभाव को खतम नहीं कर सकता। इस मामले में पंजाब में उचित फोरम यानी ट्रिब्यूनल के समक्ष जाकर राहत मांगने के बजाए अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करके कानून बना कर उस डिक्री को निष्प्रभावी किया है।
- कोर्ट ने कहा कि जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा का विवाद अंतर राज्यीय जल बंटवारा ट्रिब्युनल भेजा गया था और ट्रिब्युनल ने पंजाब पुनर्गठन कानून और अन्य प्रावधानों पर विचार करने के बाद अपना फैसला दिया था और पंजाब के इस 2004 के कानून से ट्रिब्युनल के फैसला भी प्रभावित होता है। कोर्ट ने कहा कि रावी और व्यास नदी के जल बंटवारे के बारे में 31 दिसंबर 1981

GENERAL STUDIES HINDI

को हुए समझौते को एक पक्षकार विधायी शक्तियों का इस्तेमाल कर एकतरफा रद नहीं कर सकता।

- अगर कोई राज्य या पक्ष ऐसा करता है तो उसका कानून संविधान और अंतर राज्यीय जल बंटवारा कानून के प्रावधानों के खिलाफ माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सुप्रीमकोर्ट के 15 जनवरी 2002 और 4 जनवरी 2004 के फैसले में दिये गये दायित्वों से मुक्त नहीं सकता।

4. कोलेजियम ने सरकार को दोबारा भेजे 43 नाम

Why in News:

सरकार की ओर से विचार के लिए वापस भेजे गए 43 नाम कोलेजियम ने सरकार के पास दोबारा भेज दिए हैं। कोलेजियम ने 77 नामों की सिफारिश भेजी थी जिसमें से सरकार ने 34 नाम मंजूर कर लिए हैं। 43 नाम दोबारा विचार के लिए कोलेजियम को वापस भेज दिए गए हैं। इस पर पीठ ने उन्हें बताया कि कोलेजियम ने इन 43 सिफारिशों को फिर सरकार के पास भेज दिया है।

गतिरोध :

कोलेजियम की दोबारा सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है इसलिए संभावना इसी बात की है कि इन नामों को केंद्रीय शासन की स्वीकृति मिल जाए।

Question Mark

कितना न्यायसंगत और विधि सम्मत है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें? दुनिया के किसी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। 1993 के पहले कोलेजियम के जरिये न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भारत में भी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इस व्यवस्था को अपनाया ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

गतिरोध को दूर करने की पहल :

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस व्यवस्था में कुछ कमी है। उसके आदेश पर ही इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल हुई और सरकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी **मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर तय** करने को कहा गया। सरकार ने जो सुझाव दिए वे सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आए और इस तरह मामला जहां का तहां है।

An unending question:

GENERAL STUDIES HINDI

न्यायाधीशों की नियुक्तियों का मामला एक लंबे अर्से से सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान का कारण बना हुआ है। यह खींचतान तब से और बढ़ी दिख रही है जब से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए बनाए गए कानून को असंवैधानिक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के कारण यह कानून कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सका। हो सकता है कि इस कानून में कुछ खामी रह गई हो और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसे उपयुक्त नहीं पाया, लेकिन जब कोलेजियम व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तो उसके जरिये न्यायाधीशों की नियुक्तियां क्यों होती रहनी चाहिए?

Conclusion:

यदि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए तो यह भी ठीक नहीं कि वह सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों वाले कोलेजियम की ओर से तय किए गए नामों पर मुहर लगाने का काम करे। जब भी न्यायाधीशों की कमी की बात होती है तब विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की भी चर्चा होती है, लेकिन यह एक हद तक ही सही है। लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ते जाने का एकमात्र

कारण पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश न होना ही नहीं है। बेहतर है कि उन कारणों की ओर भी गौर किया जाए

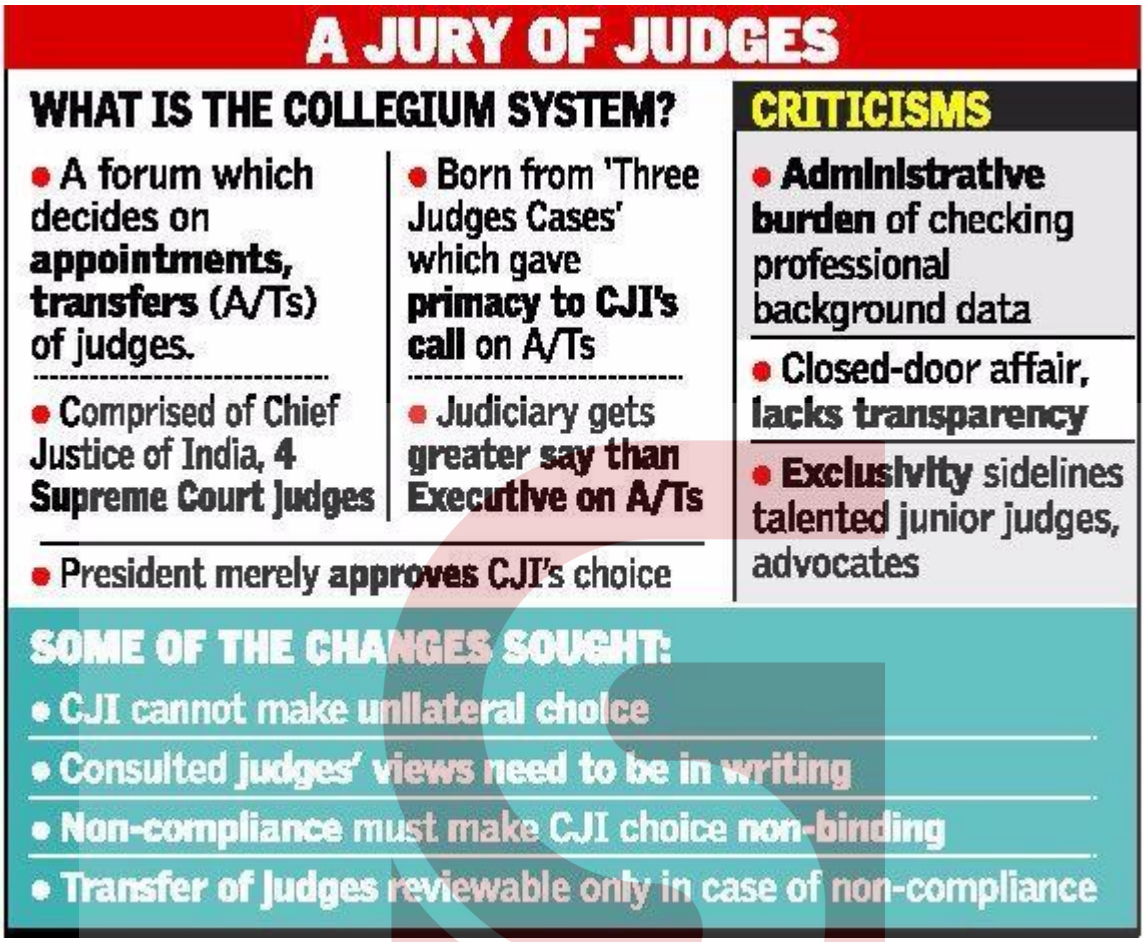

जिनके चलते लंबित मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह तभी संभव है जब सरकार और न्यायपालिका मिलकर आगे बढ़ें।

5. लोकपाल के बगैर

GENERAL STUDIES HINDI

Why in News:

सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही, लोकपाल की नियुक्ति न होने पर, निराशा जाहिर की है। लोकपाल कानून को बने तीन साल होने को आ रहे हैं। मगर अब तक केंद्र सरकार इस तर्क पर लोकपाल की नियुक्ति को टालती आ रही है

What is hurdle:

कानून के मुताबिक चयन समिति में दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं का होना अनिवार्य है, जबकि वर्तमान लोकसभा में कोई नेताविपक्ष नहीं है। कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है-, पर वह नेता विपक्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम-सदस्य संख्या की शर्त पूरी नहीं करती। इसलिए सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए समिति गठित करने में आने वाली समस्या के निराकरण के लिए कानून में संशोधन का विधेयक तैयार किया है, जो संसद में लंबित है।

Question of SC to Government:

सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि अगर लोकसभा में कोई नेताविपक्ष नहीं है-, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल कर प्रक्रिया को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता।

An Institutional Failure:

- लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति सरकारों को रास नहीं आती, इसीलिए वे इससे बचने का कोई न कोई रास्ता निकालती रही हैं।
- कई राज्यों ने तो लोकायुक्त संस्था का गठन ही नहीं किया है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो करीब सात साल तक उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी थी।
- और भी कई राज्यों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो यही बताएंगे कि लोकायुक्त का पद खाली होने पर समय से भरा नहीं जाता।
- सूचना आयोगों का भी यही हाल है, नतीजतन वहां लंबित आवेदनों और अपीलों का अंबार लगता जा रहा है। इससे सूचनाधिकार कानून के ही बेमतलब होने का खतरा पैदा हो गया है।
- लोकपाल कानून में लोकपाल और लोकायुक्तों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जिनसे सत्तापक्ष के नेताओं और नौकरशाहों को भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं।
- सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा कर रही है, मगर दूसरी ओर लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उसका रवैया सवालों के घेरे में है।
- अण्णा आंदोलन के दौरान वर्तमान सता पक्ष जोर शोर से यह-जताता रहा कि वह सख्त लोकपाल कानून के पक्ष में है। पर अब जब लोकपाल की नियुक्ति का जिम्मा उसके जिम्मे है, लगता है वह इस मसले को ठंडे बस्ते में रखना चाहती है।
- सीबीआई की स्वायत्तता भी एक चिंतनीय विषय है |
- लोकपाल कानून के मुताबिक लोकपाल को अधिकार है कि वह सीबीआई को निर्देश दे सके। अगर सचमुच सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है, जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के आचरण को साफ सुथरा बनाना चाहती है तो उसे लोकपाल की नियुक्ति से गुरेज-नहीं होना चाहिए !

सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के मुताबिक अगर अब भी उसने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल कर लोकपाल की नियुक्ति की पहल नहीं की, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के उसके दावे पर ही सवाल उठेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

6. अशोभनीय तकरार: न्यायाधीशों की नियुक्ति पर

Present Context:

हाल में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 77 नामों की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार ने इसमें 43 नामों को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कॉलेजियम ने एक सप्ताह के अंदर सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए उन सभी नामों की दोबारा पुष्टि कर दी।

उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जारी तकरार हमारे लोकतंत्र के लिए अपशकुन है। इस तकरार के लिए जिम्मेदार कौन है?

- स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की प्राण-वायु है।
- न्यायपालिका को स्वतंत्र और जीवंत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

- साथ ही, न्यायपालिका को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

Is it completely justified to ignore voice of eleceted government

- एक निर्वाचित सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता।
- उच्चतम न्यायालय ने 1993 में सेकेंड' जजेज केस 'में व्याख्या के जरिये न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका से छीन लिया था। इस निर्णय की वैधता पर बड़े-बड़े विधिवेत्ताओं ने सवाल उठाया है। इसके अलावा कॉलेजियम के कामकाज पर स्वयं कई न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए हैं।
- न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने यह कहकर कॉलेजियम की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया कि इसके काम में पारदर्शिता नहीं है।
- सेकेंड' जजेज 'मामले में निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति जे एस वर्मा ने स्वयं बाद में कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की सलाह दी।

Initiative to change collegium system and issue of conflict

- जब से उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में लिया है, तभी से सरकार के अंदर इसको लेकर असंतोष है। मगर 2014 में पहली बार सरकार ने संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान कर इसे बदलने का प्रयास किया।
- लेकिन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। हालांकि प्रस्तावित आयोग के छह सदस्यों में से तीन उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और बाकी में एक विधि मंत्री व दो विशिष्ट व्यक्ति।
- न्यायालय का तर्क है कि विधि मंत्री किसी एक विशिष्ट सदस्य की मदद से न्यायाधीशों के सुझाए किसी नाम को रोक सकता है।

Some basic question

यहां यह सवाल है कि क्या संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ जजों की है? बेशक उच्चतम न्यायालय संविधान का मुख है, पर विधायक, सांसद और मंत्री भी जज की तरह एक शपथ लेते हैं। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी है, जितनी जजों की।

GENERAL STUDIES HINDI

Conclusion:

न्यायपालिका की स्वायत्तता इससे प्रभावित नहीं होती है कि जजों की नियुक्ति कौन करता है। यह कहना कि यदि कार्यपालिका के हाथों में नियुक्ति का अधिकार होगा, तो राजनीतिक चरित्र वाले न्यायाधीश बनाए जाएंगे, आधारहीन है। कई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जज बनाए जा चुके हैं, लेकिन उनकी निष्पक्षता कभी संदिग्ध नहीं हुई। न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला किसी के अहंकार व प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना चाहिए।

7. क्या न्यायालयों में सीटे बढाने से case कम होंगे

why in news

National Court Management Systems Committee (NCMSC) की रिपोर्ट जिसके अनुसार केवल न्यायालयों में सीटे भरने या बढाने से सारे backlog ख़त्म नहीं हो जायेंगे |

यह commitee SC द्वारा बने गई थि जिसका उद्देश्य था की जो विधि आयोग ने जज़ो की strength बढाने को कहा है वो backlog से तारतम्यता रखती है की नहीं |

१९८७ में विधि आयोग ने ४४००० जज़ो के लिए बोला था परन्तु अभी १८००० ही है

क्या तर्क है committee का :

commitee का तर्क है की बस सीटे बढ़ाना ही समाधान नहीं है | यंहा तक की जिन court में पूरी strength भी है वो backlog clear नहीं कर पाए है इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से जाचना होगा की असल में कितने चाहिए और न्यायालय में कार्यानुसार जिसे hours में नाप सकते है उसके आधार पर समीक्षा होनी चाहिए

Schemes

1. देश भर में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कानून

- केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के (एनएफएसए) साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है।
- इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा।

Background:

ह कानून साल 2013 में पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत सरकार प्रति व्यक्ति हर महीने एक से तीन रुपए प्रति किलो की दर से पांच किलो अनाज देती है।

Benefit:

- खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में आने के बाद अब हर साल सरकार 1 लाख 40 हजार करोड़ की सब्सिडी लोगों को देगी। इस कानून के दायरे में देश के 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 80 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

2. Analysis of उड़ान Scheme

What is this scheme:

उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक

- Scheme का इरादा उन छोटे शहरों और कस्बों को किफायती दर पर हवाई यातायात की सुविधा मुहैया कराना है जो अब तक विमानन सेवाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ सके हैं।
- यह एक ऐसा बाजार तैयार कर सकेगी जहां नए यात्री विमान लीज के माध्यम से इन नए ठिकानों तक हवाई सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
- योजना का सबसे अहम तत्त्व यह है कि किसी नए हवाई मार्ग के लिए सफल बोली लगाने वाले को सरकार प्रति सीट 2,350 रुपये से 5,100 रुपये तक की सब्सिडी मुहैया कराएगी। इसके अलावा 500 किलोमीटर से कम दूरी की उड़ान के लिए किराया 2,500 रुपये तक सीमित रहेगा।

- कई अन्य सब्सिडी प्रदान करने की योजना भी जैसे विमानन ईंधन शुल्क में रियायत, लैंडिंग शुल्क में रियायत आदि | सरकार नई क्षेत्रीय विमानन कंपनियों को व्यवहार्य बनाने के लिए स्टार्टअप पूंजी पर भी सब्सिडी की व्यवस्था लागू कर सकती है।

Effect of these scheme:

- सवाल यह है कि क्या भारत सरकार को हवाई यात्राओं पर आगे और सब्सिडी देनी चाहिए? वह पहले ही एयर इंडिया जैसी विमानन कंपनी का संचालन कर रही है जो बीते कई सालों के दौरान करदाताओं का काफी पैसा डुबा चुकी है।
- सरकार अपने बचाव में यही कहेगी कि यह तमाम सब्सिडी करदाताओं के पैसे से नहीं आएगी बल्कि इसका कुछ हिस्सा उस नकदी संग्रह से आएगा जो मौजूदा विमानन कंपनियों से धन लेकर बनाया जाएगा। यह धन एक अनिवार्य शुल्क के जरिये वसूल किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी जबरन क्रॉस सब्सिडी के कई परिणाम सामने आ सकते हैं। या तो विमान सेवा के मुनाफे में आगे और कमी आएगी और उसके सामने यह जोखिम पैदा हो जाएगा कि वह पहले से ही अस्थिर इस कारोबारी क्षेत्र से बाहर ही हो जाए, या फिर वह पहले से परिचालित मार्गों पर यात्री किराया बढ़ाने पर मजबूर होगी।
- इस पूरी योजना में लाइसेंस राज की झलक काफी हद तक मिलती है।
- इसमें नौकरशाही के नियंत्रण, तमाम प्रतिबंधों, कृत्रिम एकाधिकार और क्रॉस सब्सिडी)जिसकी वजह से अक्षमता आ सकती है(, उपभोक्ताओं के समक्ष सीमित विकल्प, बढ़े हुए किराये और विधिक चुनौतियों का भय हमेशा कायम रहेगा।

Some question which needs to be answered:

- क्या ऐसी योजना वास्तविक उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो भी पाएगी या नहीं?
- कहीं ऐसा न हो कि इसमें रातोरात उडऩ छू होने वाले कारोबारी आ जाएं। ऐसे क्षेत्र में कौन दांव लगाना चाहेगा जिसके बारे में पता हो कि उसकी सब्सिडी एक अदालती आदेश से किसी भी समय खत्म की जा सकती है?
- इसके अलावा क्या सरकार ने मौजूदा बड़े हवाई अड्डों पर इस योजना के प्रभाव के बारे में ठीक से सोचा है?
- क्या उनको इन उड़ानों को सस्ते लैंडिंग अधिकार देने पर मजबूर किया जाएगा?
- अगर हां तो क्या इसे भी कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी?

चाहे जो भी हो लेकिन तमाम नई उड़ानों के आने के बाद हवाई यातायात में और कठिनाई होगी और लगने वाले समय में इजाफा यात्रियों के लिए इसकी उपयोगिता को प्रभावित करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उड़ान योजना का लक्ष्य जहां सराहनीय है, वहीं इसकी पूरी अवधारणा में खामियां हैं। हवाई संपर्क बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है-अधिकाधिक हवाई अड्डों का निर्माण और हवाई यात्रा क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा को मंजूरी।

Geography, Environment& Ecology

1. **वायु प्रदूषण की वजह से दुनियाभर में हर साल छह लाख बच्चों की मौत हो रही है : UNISEF**

पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ बच्चे यानी औसतन सात में से एक बच्चा जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. ये बच्चे उन इलाकों में रहते हैं जहां सामान्य के मुकाबले छह गुना या ज्यादा वायु प्रदूषण है. यह बात संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की संस्था यूनिसेफ द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कही गई है.

- रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की आबोहवा में रहने की वजह से इन बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं.
- इसके अलावा इनके मस्तिष्क का विकास भी बाधित हो सकता है. यूनिसेफ की इस शोध रिपोर्ट में बच्चों के मौत की एक बड़ी वजह जहरीली हवा को बताया गया है.

संस्था ने अपनी रिपोर्ट में विश्व के नेताओं से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है.अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण और अधिकारों के लिए काम करने वाली यूनिसेफ की यह शोध रिपोर्ट यूएन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के आयोजन से एक हफ्ते पहले आई है. यह सम्मेलन सात से 18 नवंबर के बीच मोरक्को के मर्राकेश शहर में होगा. इसमें 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है

2. <u>स्मॉग का 17 साल का रिकॉर्ड टूटा:</u>

<u>क्यों है खबरों में :</u>

- राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य के लिए आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। सीएसई की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण की स्थिति काफी खतरनाक है, ऐसे में बच्चों को घरों के अंदर रखने की जरूरत है।
- दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। यदि समय रहते ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो स्मॉग की स्थिति और बुरी हो सकती है।
- नासा की वेबसाइट में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में पराली जलाने में दीपावली के बाद बढ़ोतरी देखी गई है। दीपावली के बाद इसका भी राजधानी में असर है। ऐसे में स्कूल बंद कर देने चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

What is SMOG:

- हिंदी में धुआँसा या धूम कोहरा कहते हैं, वायु प्रदूषणकी एक अवस्था है।
- बीसवीं सदी के प्रारंभ में एक मिश्र शब्द स्मॉग) स्मोक+फॉग=स्मॉग (द्वारा धुएँ और कुहासे की मिश्रित अवस्था को इंगित किया गया।[
- धूल, धुआँ और कुहासा का मिश्रित शब्द स्वरूप ही हिंदी में धुआँसा कहलाता है।
- गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएँ में उपस्थित राख, गंधक व अन्य हानिकारक रसायन जब कुहरे के संपर्क में आते हैं तब धुआँसे के रूप में वायु प्रदूषण जनित अनेकों बीमारियों का कारण बन जाते हैं।

- स्मॉग में सूक्ष्म पर्टिकुलेट कण, ओजोन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड मौजूद होते हैं। इसमें में धूल और धातु के बहुत छोटे कण होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आखों से देखपाना आसान नहीं होता। सांस के माध्यम से ये कण हमारे फेफड़ों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं।

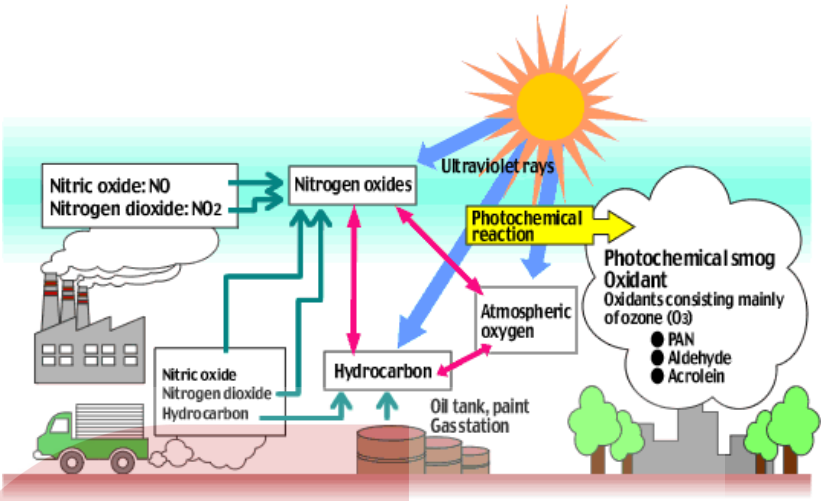

Why so much smog in North India:

खेतों में पराली जलाया जाना राजधानी में स्मॉग का बड़ा कारण है

Health effects :

- इस वातावारण में ज्यादा देर तक रहने से ये समस्याएं मुख्य रूप से होने लगती हैं
- सांस फूलने लगना
- खांसी और जुकाम
- सीने में दर्द होना
- आंखों में जलन होना

3. **फसल अवशिष्ट : संसाधन या प्रदूषक**

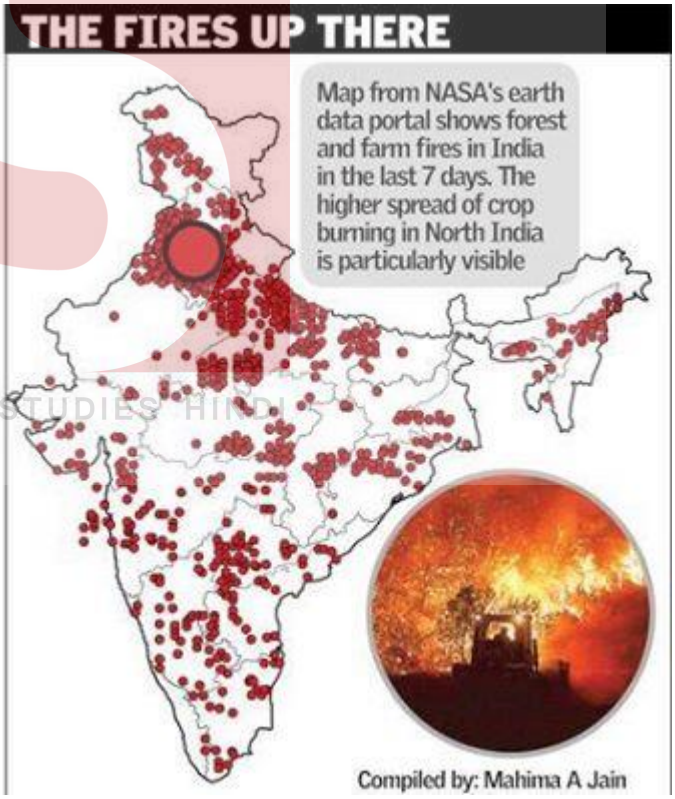

फसल अवशिष्ट दहन को हाल में भारतीय महानगरो में प्रदूषण वृद्धि के कारको के रूप में स्वीकार किया गया हैं। नवम्बर - दिसम्बर के समय वायु दाब अधिक होने से दहन से प्राप्त प्रदूषकों का संकेन्द्रण एक ही जगह होता रहता हैं , जो समस्या को और भी बढ़ाता हैं। यद्यपि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव दिल्ली में होता हैं , लेकिन नीचे का मानचित्र दर्शाता हैं यह पूरे भारत की समस्या हैं।

इसके समाधान के लिए, फसल अवशिष्ट को हमें " संसाधन " के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए निम्न बिंदु विचारणीय हैं -

१. चारागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत चारा की कमी से जूझ रहा हैं , फसल उपरांत बचे शेष का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। सरकार पंजाब, हरियाणा से प्राप्त फसल शेष को तेलंगाना , विदर्भ , बुंदेलखंड जैसे चारा कमी वाले क्षेत्रो में भेज कर संतुलन बना सकती हैं।

२. भारतीय कृषि तथा अनुसंधान संस्थान ने " फसल अवशिष्ट उपयोग मार्गदर्शी सिद्धांत " में फसल शेष का उपयोग " जैव ऊर्जा " के निर्माण में करने को अत्यंत व्यावहारिक बताया हैं। सरकार ऐसे क्षेत्रो में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर , चारा संग्रहण जैसे आधारसंरचना उपलब्ध करवाकर फसल शेष के शानदार उपयोग को बढ़ा सकती हैं।

३. उत्तर पूर्वी भारत में फसल शेष का उपयोग , मशरूम की खेती में किया जा सकता हैं।

४. फसल शेष का उपयोग , फसल काटने उपरांत खेतो को ढक कर रखने में जिससे मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि होती हैं , में किया जा सकता हैं।

वास्तव में फसल शेष कोई समस्या नहीं हैं , यह एक अवसर हैं , जो ऊर्जा और चारा की कमी की समस्या को कम कर सकता हैं, यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन हो सकता हैं । केवल कुछ शुरुआती कार्यो से इसको अवसर में बदला जा सकता हैं।

4. पुआल के इस्तेमाल से मिलेगी धुंध से निजात

पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अलावा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों की पुआल आधारित खेती प्रणाली का दिल्ली के प्रदुषण से नजदीकी नाता है|

समय के साथ विकराल होती पुआल की समस्या :

- पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा पुआल पैदा हो रहा है।
- इस पुआल को समेट पाना पहले की तुलना में अधिक मुश्किल हो गया है।
- यह पुआल अब कहीं कम उपयोगी रह गया है और किसानों के पास उसे खेतों से हटाने के लिए समय भी कम मिल पाता है। ऐसी स्थिति में किसान इस पुआल को अपने खेत में ही आग लगाकर नष्ट कर दे रहे हैं।
- परंपरागत तौर पर पुआल का इस्तेमाल मवेशियों के चारे और उनका बिछावन बनाने के अलावा फूस का छप्पर बनाने में होता रहा है। लेकिन कम पौष्टिकता होने से पशु चारे के रूप में पुआल और भूसे का इस्तेमाल अब कम हो गया है।
- ह फूस का छप्पर और मिटटी की दीवालों पर गोबर के साथ पुताई करने का दौर भी चला गया है। कृषि के आधुनिक तरीकों में पशुपालन भी काफी कम हो गया है। इसके साथ ही जल्दी-जल्दी फसल उगाने की चाहत भी किसानों को इतना समय नहीं देती है कि वे पुआल को लंबे समय तक खेतों में छोड़ सकें ताकि बाद में जुताई कर उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाए। संक्षेप में कहें तो पंजाब को पुआल की अब कोई जरूरत ही नहीं रह गई है।
- पुआल की जरूरत बिजली उत्पादन, कागज निर्माण और फाइबर बोर्ड बनाने के अलावा पशु चारे के लिए बनी हुई है। वैसे अब इनके बेहतर विकल्प मौजूद होने से पुआल की उतनी मात्रा की जरूरत नहीं रह गई है।

GENERAL STUDIES HINDI

नुकसान :

इससे खेतों की मिट्टी को काफी नुकसान पहुंचता है, खेती के लिहाज से लाभदायक कीटाणु और अन्य जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं, और गांवों तथा सुदूर शहरों में रहने वाले लोगों की सेहत और पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है।

क्यों पुआल जलाना को रोकना कठीन काम :

पुआल जलाने पर रोक लगा पाना वेश्यावृत्ति के खात्मे से कहीं अधिक मुश्किल काम है। इन लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि तकनीकी-आर्थिक हालात के चलते किसानों के पास पुआल जलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है।

धान और पुआल :

- 1960 के दशक के मध्य से ही खरीफ सत्र में धान की फसल के रकबे में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उस समय के 3 लाख हेक्टेयर भूभाग के मुकाबले आज करीब 30 लाख हेक्टेयर इलाके में धान की खेती होने लगी है। इस दौरान चावल उत्पादन भी एक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 6 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गया है। अधिक उत्पादन क्षमता वाले बीजों की उपलब्धता

के साथ ही समर्थन मूल्य बढने और खरीदी प्रक्रिया में सुधार आने, सस्ती या मुफ्त बिजली आपूर्ति होने से किसान खेती के लिहाज से बहुत अनुकूल हालात नहीं रखने वाली फसल को भी बड़े पैमाने पर उगाने के लिए प्रेरित हुए हैं। कुछ समय के लाभ के लिए किसान अपने खेतों, आसपास की हवा और सतही जल का अनजाने में ही बड़ा नुकसान कर देते हैं।

क्या क्या उपाय संभव :

- **चावल की कम खरीददारी:** दिल्ली के आसमान में छाई धुंध को कम करने का एक तरीका तो यह है कि समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर जो गलतियां हुई हैं, उन्हें दूर किया जाए। सरकारें अगर चावल की कम खरीद करती हैं और कीमतों में भी कमी लाई जाती है तो किसान स्वाभाविक तौर पर अन्य फसलों की खेती का रुख करेंगे जिससे धान की खेती में अपने-आप कमी आ जाएगी। पहले से ही धान की खेती agroecologically / agroclimatologically उपयुक्त नहीं है और यह कदम सही कदम होगा किसानो को धान से दूसरी खेती करने के लिए
- धान की खेती कम इलाके में होने से पंजाब में भूमिगत जल का दोहन भी कम होगा और पुआल जलाने में कमी आने से खेतों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे आगे चलकर दिल्ली के आसमान में छाने वाली धुंध से भी छुटकारा पाया जा सकेगा।
- **पुआल संकलन पर ध्यान** : समय के साथ बदलती तकनीक ने कृषि के तरीकों को भी बदला है। आज के दौर में धान की पकी फसल की कटाई के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वे बालियों को एक तरफ रखती जाती हैं जबकि पुआल को पूरे खेत में बिखेरती चलती हैं। इस स्थिति में अगर पुआल इकट्ठा करना है तो उसे पूरे खेत से जुटाना होगा जो कि काफी श्रमसाध्य और खर्चीला काम होगा। वैसे पुआल का गवार बनाने की मशीनें भी आ गई हैं लेकिन इनकी कीमत और परिचालन लागत काफी ऊंची है। पुआल के गवार के काफी फैले हुए होने से इन्हें कहीं ले जाना भी काफी मुश्किल होता है। इस तरह किसानों के पास अब न केवल पहले से कहीं ज्यादा पुआल है बल्कि उसे इकट्ठा कर पाना महंगा भी है।
- **धान की खूंटी की समस्या** : धान की खूंटी की को खेतों से निकाल पाना पुआल की तरह आसान नहीं है। जमीन में थोड़ा धंसकर जुताई करने वाली मशीन की लागत करीब डेढ़ लाख रुपये होने से किसान इस खूंटी को खेत में ही छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन रबी सीजन की फसल) आमतौर पर गेहूं (बोते समय यह खूंटी बड़ी रुकावट पैदा करता है। इससे बीज, खाद, पानी और जुताई की लागत भी बढ़ जाती है। वैसे गहरी जुताई करने वाली मशीनें अब किराये पर मिलने लगी हैं लेकिन इसका प्रसार होने में थोड़ा वक्त लगेगा।
- पुआल को बॉयोमास बिजली उत्पादकों, फाइबर बोर्ड निर्माताओं, पेपर मिल और पशुचारे के लिए स्वाभाविक पसंद बनाने से तत्काल फायदा मिल सकता है। अगर इन उद्योगों में पुआल की बड़ी मांग पैदा की जा सके तो किसान इसे जलाने के बजाय गार बनाकर रखने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि इन इकाइयों को केवल प्रोत्साहन या सब्सिडी देने से बात नहीं बनेगी।
- इस क्षेत्र में समुचित तकनीक के विकास के लिए शोध को भी अहमियत देनी होगी। लेकिन सीमित अवधि में तो पुआल का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही होगा।
- कच्चे माल के तौर पर पुआल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी होगा। पुआल का गार बनाने और खेतों में गहरी जुताई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, पशु चारे के लिए पुआल के साथ पौष्टिक तत्त्व मिलाने, बिजली संयंत्रों में पुआल जलाने से निकलने वाली राख को सीमित करने, फाइबर बोर्ड में सिलिका की मात्रा को कम करने और कागज बनाने के लिए बेहतर मशीनों से इस समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है।

5. मारकेश समझौता

What is this:

पेरिस समझौते के बाद मारकेश राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के खतरे से निबटने की वैश्विक प्रतिक्रियाओं को मजबूती देने की दिशा में बढाने का एक कदम है |

- जलवायु परिवर्तन समझौते में दीर्घकालिक जीवनशैली के महत्व को पहली बार शामिल किया गया है
- देशों ने कम से कम सिद्धांत रूप में इस पर सहमति जताई है कि 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए 2018 तक कायदेकानून बना लिये जाएंगे।-
- पेरिस समझौते में यह तय हुआ था कि हरित जलवायु कोष बनेगा जिसमें (ग्रीन क्लाइमेट फंड) से सौ अरब डालर की मदद हर साल गरीब और विकासशील देशों को दी जाएगी, ताकि वे अपने यहां कार्बन स्रोतों पर रोक लगाने की खातिर नई तकनीक विकसित कर सकें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे माध्यमों से बिजली उत्पादन भी पेरिस समझौते की एक प्रतिज्ञा थी। परन्तु मारकेश इस फण्ड को सम्पूर्ण रूप से भरने में विफल रहा
- CLIMATE VULNERABLE फोरम के 50 सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा लि की वो 2050 तक अपने energy का उत्पादन renewable sources से करेंगे

परन्तु किन मामलो में असफल रही

- कुछ निहित स्वार्थों के चलते कृषि,वृत्त अनुकूलन जैसे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई। राजनीतिक आधार पर बंटे देशों की खींचतान कई बार साफ दिखाई दे जाती है।
- जिस हरित जलवायु कोष बनाने की बात हुई थी, उसमें अमेरिका को तीन सौ करोड़ डालर देने थे, लेकिन उसने अभी तक केवल पचास करोड़ डालर दिए हैं।

Other POINTS

सम्मेलन में भारत ने दोहा समझौते को लागू करने और विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया। बढ़ते तापमान की वजह से बाढ़, चक्रवाती तूफान और सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस सम्मेलन में विश्व मौसम संगठन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके मुताबिक आने वाले साल के बारे में नब्बे फीसद आशंका इस बात की बढ़ गई है कि गरमी के लिहाज से पिछला सारा रिकार्ड टूट जाएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

A way to future:

हालांकि मराकश सम्मेलन में देशों की भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली रही, और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विकसित देश अपनी घरेलू राजनीति या क्षुद्र भू राजनीतिक इरादों को वैश्विक पर्यावरण-की रक्षा में आड़े नहीं आने देंगे। जलवायु न किसी की इजारेदारी की चीज है और न ही निजी उपभोग की। कोई भी अव्यवस्था धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे को डगमगा सकती है। कामना ही की जा सकती है कि पेरिस समझौता सौजन्यता और सख्यभाव से लागू हो जाएगा, जिसकी तरफ दुनिया पलक पसारे देख रही है।

6. ला-नीना' की ज़द में दुनिया, इस बार सर्दियां होंगी लंबी

पिछले दो-तान सालों की रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बाद इस साल पूरे दुनिया में सर्दी अपना असर दिखाएगी. इसकी वजह प्रशान्त महासागर में ला-नीना की हलचल है जिसके और ज्यादा फैलने की आशंका बढ़ रही है.

What is La nina

अल नीनो जिसका सम्बंध भारत में सूखे, बाढ़ और गर्मी से है और इसी के उलट ला-नीना है. प्रशान्त महासागर में बनने वाला अल नीनो और ला-नीना पूरे विश्व के तापमान को प्रभावित करता है।

★भारत में साल 2013 लेकर 2015 तक लगातार मौसम गर्म रहा है. इसकी प्रमुख वजह प्रशान्त महासागर में लगातार अल नीनो का बनना था. भारत में अल- नीनो का सम्बंध ऐतिहासिक रूप से मानसून के दौरान भारी बारिश से है और इससे भारत के पूर्वी तट पर भारी चक्रवाती तूफान आते हैं और इसका खतरा बढ़ जाता है.

★हाल में आया अल नीनो सबसे ज्यादा गर्मी लिए रहा है जिसका खात्मा जून 2016 में मानसून की बारिश आने से हुआ. पिछले साल रिकॉर्डतोड़ गर्मी पड़ी थी और उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था.

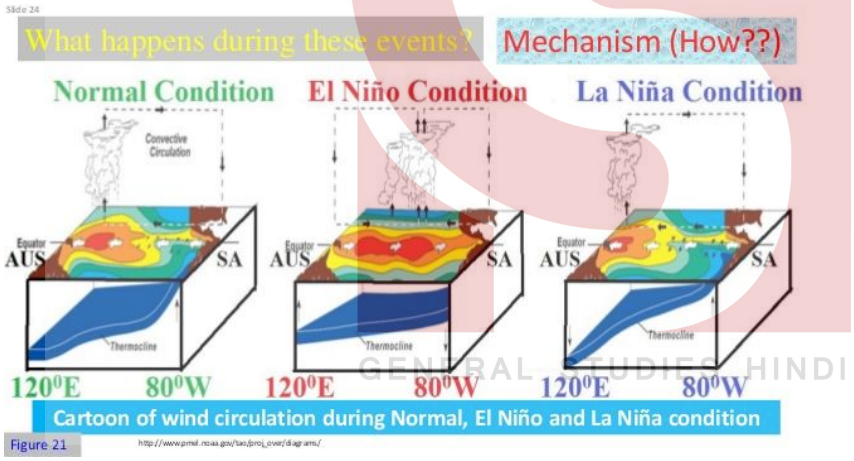

=>अल-नीनो का असर क्या होता है?

अल नीनो के असर से औसतन दिसम्बर तक पेरू और इक्वाडोर के समुद्र का पानी गर्म रहता है. इसका नतीजा यह होता है कि समुद्र की सतह का पानी गर्म हो जाता है और इससे पूरे अमरीका में चलने वाली हवाओं का तापमान भी बढ़ा रहता है जिसे दक्षिणी जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है. गर्म हवाओं के ऊपर उठने से सेन्ट्रल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका में सूखे के हालात उत्पन्न हुए थे.

लेकिन यही अल नीनो भारत में मानसून को प्रभावित करता है. भारतीय समुद्री सतह का तापमान और हवा गर्म हो जाती है. वहीं इसके उलट ला नीना भारी मानसून की वजह बनता है.

भारतीय मौसन विभाग ने साल 2016 के मध्य में ही मानसून के ज्यादा समय तक रहने और 106 फीसदी तक बारिश होने की उम्मीद जता दी थी लेकिन ला नीना पहुंच नहीं सका था. इस वजह से मानसून सामान्य से 97 फीसदी ही रह गया.

अल नीनो से कुछ सालों के दौरान न सिर्फ सर्दी कम पड़ी है बल्कि उसकी अवधि भी कम हुई है. भारतीय मौसम विज्ञानियों को उम्मीद थी कि अल नीनो के बाद ला-नीना की स्थिति आएगी और जिससे इस साल मानसून बेहतर हो सकता है.

=>>**ला-नीना पर उम्मीदें**

★ प्रशान्त महासागर के एनओएए के टेम्परेचर इंडैक्स में ला-नीना के मार्ग से भटकने की उम्मीद है. यह भी कहा गया है कि लम्बे समय में तापमान 0.05 डिग्री सेंटिग्रेड से भी नीचे रह सकता है. यह इंडेक्स दो 'ओवरलैपिंग सीजन' जुलाई-सितम्बर और अगस्त-अक्टूबर में 0.08 सेंटिग्रेड रहा था. इससे ला नीना उत्पन्न होने की सम्भावना 55 फीसदी तक है और यह लगातार तीन 'ओवरलैपिंग सीजन' तक जारी रहेगा. इस दौरान ला नीना का असर पूरी तरह दिखाई देगा और सर्दी अपना असर दिखाएगी.

★एक बार ला नीना अपने स्थान पर केन्द्रित हो जाता है तो उसका असर पांच-छह माह तक रहता है. इस वजह से अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगले साल मानसून सामान्य रहेगा या सामान्य से ज्यादा. इतना तो तय है कि अगले साल सूखा नहीं पड़ेगा.

★ला नीना की वजह से बंगाल के खाड़ी की समुद्री सतह गर्म हो जाती है. इस कारण मानसून का कम दबाव बनता है और समुद्री चक्रावात आते हैं. इसी के चलते आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश देखने को मिलती है.

★अगर ला नीना अपना असर दिखाने में विफल रहता है तो क्या होगा. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पूर्व में मानसून सामान्य रहेगा. उतना ही जितना, पिछले अक्टूबर से दिसम्बर तक था. हालांकि हाल में ला नीना की जो पुष्टि की गई है, उसके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करने की दिशा में फिर से काम किया जाएगा.

7. साफ़ पर्यावरण और हवा के लिए गंभीर प्रयासों की जरुरत

साल 2014-15 की सर्दियों के करीब 34 फीसदी दिनों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच गया था। सरकार के अपने सूचकांकों के मुताबिक इस तरह की स्थिति न केवल कमजोर बल्कि सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। उसके अगले साल की सर्दियों में तो करीब 68 फीसदी दिनों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर था। साल 2016-17 की सर्दियों की तो अभी शुरुआत ही हुई है और हमें कई दिनों तक छाई रही धुंध के रूप में वायु प्रदूषण की गंभीरता का आभास बखूबी हो चुका है।

कदम उठाने की जरुरत

हर साल होने वाली इस समस्या को रोकने के लिए कुछ कदम तो तत्काल उठाए जाने की जरूरत है जबकि कुछ कदम दीर्घकालिक हो सकते है । सभी मामलों में हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो भी कदम उठाया जा रहा है वह तय समय के भीतर पूरा हो

क्या कदम हो सकते है :

- वाहनों, उद्योगों और थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन के अलावा कचरा जलाना वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। अंत: इन पर नियंत्रण लगाया जाए | भारत स्टेज VI का implimantation भी इसमें एक अहम् भूमिका निभाएगा |
- धूल भी इसका अहम स्रोत है और इस पर लगाम के लिए सड़कों पर गाडियों की आवाजाही को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके लिए ईंधन की गुणवत्ता, वाहनों की उत्सर्जन तकनीक सुधारने की जरूरत है ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को सीमित दायरे में लाया जा सके।
- हमें कूड़े-कचरे के ढेर को बेहतर तरीके से ठिकाने की तकनीक भी अपनाने की जरूरत है। हम कूड़े को जला नहीं सकते हैं और इसे समझने के लिए किसी रॉकेट विज्ञान की समझ की दरकार नहीं है।
- **सरकार को मजबूत होने की जरुरत:** वायु प्रदूषण से निपटने की भारत की कोशिशें हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं। उदाहरण के लिए, वाहन उत्सर्जन और ईंधन मानकों की प्रगति के मुद्दे पर ही नजर डालिए। उच्चतम न्यायालय ने 1999 में ऑटो कंपनियों की चाहत के विपरीत जाते हुए ईंधन मानकों को लागू करने का आदेश दिया था। इन कंपनियों के वकीलों ने लगातार यह साबित करने की कोशिश की कि इस गैरजरूरी कदम से न केवल लोगों को असुविधा होगी बल्कि कोई खास फायदा भी नहीं होगा। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद ईंधन मानक लागू किए गए और शहरों में उत्सर्जन स्तर कम करने में मदद भी मिली।
- केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में बीएस-6 स्तर के ईंधन मानक को वर्ष 2020 तक लागू करने का ऐलान किया है। पहले इस ईंधन मानक को वर्ष 2028 तक लागू किया जाना था लेकिन सरकार ने ऑटो उद्योग की राय और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इसे पहले ही लागू करने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि इस कदम में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा।
- Public transport पर ख़ास जोर देना होगा और सुनिश्चित करना होगा ताकि लोग उसका उपयोग करे |
- शहर में green spaces और planning पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा

8. 2017 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 20वें नंबर पर

GENERAL STUDIES HINDI

वर्ष 2017 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में भारत को इस साल 20वां स्थान मिला है. सीसीपीआई सूचकांक में भारत की इस रैंकिंग को सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

- इसमें कहा गया है कि भारत समेत विश्व के कई अन्य देश ऊर्जा क्रांति के लिए उत्साहवर्धक कदम उठा रहे हैं, हालांकि जरूरी ऊर्जा क्रांति होना अभी बाकी है.
- इस सूचकांक में अर्जेंटीना 36वें और ब्राजील 40वें नबंर पर है. यह रिपोर्ट हाल ही में वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक पेरिस समझौते के लागू होने के बाद आई है.
- सीसीपाई में भारत की रैंकिग दर्शाती है कि भारत जैसा देश नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्रों में बड़े प्रयास कर रहा है. जर्मनवाच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है.
- गौरतलब है कि पेरिस में 191 देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर सहमति बनी थी. इस समझौते पर सहमति बनने के एक साल बाद भारत ने इसे मंजूरी दी थी. इस समझौते में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की बात कही गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 डिग्री से ऊपर के तापमान से धरती की जलवायु में बड़ा बदलाव हो सकता है.

9. ज़हरीली हवा से भारत में मरने वालों की संख्या चीन से ज्यादा हुई: रिपोर्ट

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ (जीबीडी) के मुताबिक पिछले साल वायू प्रदूषण ने भारत में मरने वालों की संख्या चीन से ज़्यादा हो गई.

What is this report all about:ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ (जीबीडी) एक क्षेत्रीय और वैश्विक शोध कार्यक्रम है जो गंभीर बीमारियों, चोटों और जोखिम कारकों से होने वाले मौत और विकलांगता का आकलन करता है।

Key findings:

- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में बाहरी वायु प्रदूषण से भारत में हुई मौतें चीन से अधिक हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1990 से अबतक लगातार भारत में होने वाले असामायिक मौत की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2015 में भारत में 1640 लोगों की प्रतिदिन असामयिक मौत हुई जबकि इसकी तुलना में चीन में 1620 लोग मरे थे.
- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की यह रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में ग्रीन पीस की तरफ़ से जारी की गयी उस रिपोर्ट को पुख्ता करती है जिसमें बताया गया था कि इस शताब्दी में पहली बार भारतीय नागरिकों को चीन के नागरिकों की तुलना में औसत रूप से अधिक कण (पार्टिकुलर मैटर) या वायु प्रदूषण का दंश झेलना पड़ा है.
- चीन एक उदाहरण है जहां सरकार द्वारा मजबूत नियम लागू करके लोगों के हित में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सका है. जबकि भारत में साल दर साल लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही गया है. यह इस बात को भी दर्शाता है कि हमारी हवा कितनी प्रदूषित हो गयी है.

Reason in China: चीन में जिवाश्म ईंधन पर जरुरत से अधिक बढ़ते निर्भरता की वजह से हवा की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी. 2005 से 2011 के बीच, पार्टिकुलेट प्रदूषण स्तर 20 प्रतिशत तक बढ़ गया था. 2011 में चीन में सबसे ज्यादा बाहरी वायु प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसके बाद 2015 तक आते-आते चीन के वायु प्रदूषण में सुधार होता गया.

GENERAL STUDIES HINDI

Position of India: जबकि भारत की हवा लगातार खराब होती गयी और वर्ष 2015 का साल सबसे अधिक वायु प्रदूषित साल रिकॉर्ड किया गया. अगर बढ़ते प्रदूषण स्तर को बढ़ते असामायिक मृत्यु की संख्या से मिलाकर देखा जाये तो स्पष्ट है कि चीन से उलट भारत ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे कि वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार लाया जा सके.

=>>थर्मल पावर प्लांट का ज़हर

★बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन मौजूद हैं जो बताते हैं कि वायु प्रदूषण में थर्मल पावर प्लांट का भी योगदान है. लेकिन सरकार बड़े आराम से लोगों के स्वास्थ्य की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है और प्रदूषण फैलाने वाले मानकों में छूट दिये जा रहे हैं. दुनिया का सबसे प्रदूषित देश होने के बावजूद चीन ने 2011 में थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन मानकों को कठोर बनाया और 2013 में एक एकीकृत योजना बनाकर लागू किया जिससे प्रदूषण स्तर में कमी आयी और परिणामस्वरूप मृत्यु दर में कमी भी आई है.

हाल ही में यूनिसेफ ने भी वायु प्रदूषण से होने वाले असमायिक मृत्यु और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान दिलाया था. अब ग्लोबल बर्डन के आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक है और भारत को

समय-सीमा तय करके वायु प्रदूषण स्तर को कम करने का लक्ष्य रखना होगा, कठोर कदम नीतियों को लागू करते हुए जिवाश्म ईंधन की खपत को कम करने की नीति बनानी होगी.

5. मानव जानवर संघर्ष

सन्दर्भ :

घटना गुड़गांव के सोहना कस्बे से सटे मंडावर गांव में जब ग्रामीण लोगो ने मिलकर एक तेंदुए को मार डाला | यह एक नहीं बल्कि इसी तरह के अन्य संघर्षो में से एक है

क्यों तेंदुए बाहर आ रहे है :

- पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली क्षेत्र में धनाढ्यों के बढ़ते फार्महाउसों की वजह से जंगली जीवों का रकबा घटता गया है और वे अक्सर अपने रहवास क्षेत्र से भूख या प्यास के कारण भटक कर गांवों की तरफ चले जाते हैं। उनके साथ अक्सर यही भीड़त-ंत्र वाला 'न्याय' होता है यानी उन्हें घेर कर क्रूरतापूर्वक मार डाला जाता है
- Habitat Loss : अनाप शनाप शहरीकरण और वन्यक्षेत्रों में बढ़ते जाते अतिक्रमण की वजह- पक्षियों के विचरण का क्षेत्र कम होता गया है।-से वन्यजीवों और दूसरे पशु
- Shrinking Prey base : वनों के घटने के कारण खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर प्राणियों के भोजन हेतु वन्य जीव नहीं कम हो रहे है जिसकी खोज में यह वनों से बाहर निकल आते है

Systematic failure of machinary :

- एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें वन्यजीवों और अभयारण्यों को लेकर विज्ञापनों और कार्यक्रमों में संजीदगी दिखाती रही हैं, लेकिन धरातल पर जब उनकी रक्षा करने की बारी आती है तो सारी कवायद फुस्स हो जाती है।
- वन्य कर्मियों का समय पर नहीं पहुँच पाना एक failure की और इशारा करता है

10. सड़कों से हटें बंद पड़े पुराने वाहन : NGT

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल) एनजीटी (ने दिल्ली पुलिस व सिविक एजेंसियों को दिया यह निर्देश की राजधानी में वर्षो पुराने ऐसे वाहन जो अब बंद पड़े हैं, लोग जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें सड़कों से हटाया जाए।

GENERAL STUDIES HINDI

क्या कहा पीठ ने :

- कुछ लोग इस्तेमाल में न आने वाले अपने इन वाहनों को वर्षो से सार्वजनिक जगहों व सड़कों पर खड़े किए हुए हैं। इन वाहनों के टायर, इंजन तक गायब हैं। ये वाहन केवल रिम पर खड़े हैं। 15 साल या इससे भी पुराने इन वाहनों को हटाने के लिए स्थानीय नगर निगम अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाएं। इन्हें सड़कों से हटाया जाए, जिससे जाम से राहत मिले।
- NGT ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, तीनों नगर निगमों को बैठक कर जब्त वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह चिह्नित करने का निर्देश दिया।
- 15 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने के लिए **प्रोत्साहन नीति (Incentive policy)** तैयार न करने पर नेशनल ग्रीन टिब्यूनल) एनजीटी (ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है।
- एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने भारी उद्योग मंत्रलय को तुरंत इस बारे में कोई ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।

- एनजीटी ने भारी उद्योग मंत्रलय से कहा कि वह पीठ के समक्ष तो इस विषय में बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन कोर्ट रूम से निकलने के बाद सब भूल जाता है।
- जुलाई में मंत्रालय ने इस बारे में नीति तैयार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मंत्रालय ने इस बारे में भी जवाब दाखिल नहीं किया कि पुराने वाहन हटाने के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों का क्या मत है।

Science and Technology

1. कृत्रिम प्रोटीन: टीपीएक्स 2

- कृत्रिम प्रोटीन से हो सकेगा कैंसर का इलाज
- ग्लासगो यूनिवर्सिटी और सुकुबा इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में टीपीएक्स 2 नाम की कृत्रिम प्रोटीन तैयार करके उसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया तो उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए।
- इस कृत्रिम प्रोटीन को प्राकृतिक प्रोटीन के संपर्क में रखकर तैयार किया गया। इसके बाद इसे कैंसर इलाज की अरोरा ए तकनीकी के साथ मिलाकर पीड़ित व्यक्ति पर प्रयोग किया गया।
- यह प्रोटीन कैंसर इलाज में जैविक दवा जैसा काम करेगी। इस कृत्रिम प्रोटीन के इस्तेमाल से जो सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं उससे लगता है कि कुछ वर्षो के बाद इसे चिकित्सा प्रणाली में शामिल किया जा सकेगा और यह क्रांतिकारी बदलाव की वाहक बनेगी

2. डायबिटीज के मरीजों को अब प्रतिदिन के दर्द देने वाले ग्लूकोज टेस्ट से छुटकारा मिल सकता है

- अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सेंसर के जरिये शरीर में ग्लूकोज स्तर की जांच करने की विधि ईजाद की है।
- ऑरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में इस बाबत हुए शोध में नैनो ट्रांजिस्टर के जरिये शरीर में ग्लूकोज की मात्र में होने वाले बदलाव को मापा गया है।
- यह ट्रांजिस्टर इंडीयम गैलियम ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट पर काम करता है।
- यह ट्रांजिस्टर सेंसर के रूप में काम करता है और उस समय के ग्लूकोज स्तर को बताने में मदद करता है।
- यह ट्रांजिस्टर एक तरह से कृत्रिम अग्नाशय के रूप में काम करता है।
- यह आंख के आंसू जैसे बफर सॉल्यूशन के संपर्क में आने पर सक्रिय होता है और उसके बाद परिणाम देता है।

GENERAL STUDIES HINDI

3. पहली 'जीरो एमिशन' ट्रेन के साथ जर्मनी दुनिया को एक नई राह दिखाएगी

ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए चर्चित जर्मनी एक और नई राह बनाने की तैयारी में है. जल्द ही दुनिया की पहली ज़ीरो एमिशन (कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन मुक्त) ट्रेन चलाने वाला है. **'कोराडिया आईलिंट'** नामक इस ट्रेन को फ्रांसीसी कंपनी अल्सटॉम ने बनाया है. इस साल के आखिर तक इसके परीक्षण पूरे हो जाएंगे और अगले साल तक यह नियमित रूप से पटरियों पर दौड़ने लगेगी.

आईलिंट की ऊर्जा का स्रोत लिक्विड हाइड्रोजन है. इसकी छत पर एक विशाल हाइड्रोजन फ्यूल टैंक लगा है. इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है. यही ऊर्जा ट्रेन को चलाने के काम आती है. हाईड्रोजन और

ऑक्सीजन के इस मेल का बाकी परिणाम धुआं नहीं बल्कि साफ पानी होता है जो भाप के रूप में निकल जाता है. आईलिंट अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है.

जर्मनी अपनी 4000 डीजल ट्रेनों को आईलिंट से बदलने की तैयारी में है. वह 14 ट्रेनों का ऑर्डर भी दे चुका है. नीदरलैंड, नार्वे और डेनमार्क भी इस ट्रेन में दिलचस्पी दिखा चुके हैं.

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा काफी समय से लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती रही है. वह इनका इस्तेमाल रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए करती है. इन रॉकेटों के लांच के दौरान जो गुबार उठता है वह धुएं नहीं बल्कि भाप का होता है.

4. जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप- James Webb Space Telescope (JWST))

- यह टेलिस्कोप हब्बल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और उन आकाशगंगाओं का पता लगा सकता है जो ब्रहमांड के शुरूआती काल में बनी थीं।
- हब्बल स्पेस टेलिस्कोप नासा के लिए 26 साल से काम कर रहा है और अब उसकी जगह जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप लेगा।
- वेब टेलिस्कोप के इन्फ्रारेड कैमरे इतने अधिक संवेदनशील हैं कि उन्हें सूर्य की किरणों से बचाना जरूरी है।
- एक टेनिस कोर्ट के आकार के पांच स्तरीय सनशील्ड इसे सूर्य की किरणों से बचाएंगे ताकि टेलिस्कोप के इन्फ्रारेड सेंसरों पर इनका असर न हो सके।

5. सुपर मून

- जब पूर्णिमा का चांद कक्षा पर पृथ्वी के सबसे करीब आता है तब उसे सुपरमून कहते हैं।
- इसमें चन्द्रमा पहले से 30 % ज्यादा चमकीला दिखाई देता है
- 1948 के बाद यह पहली बार होगा जब इतना बड़ा और चमकीला चांद नजर आया है।
- इसके बाद अब 2034 तक इस तरह का नाजारा देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया के कई देशों में यह सुपर मून देखा जा चुका है

पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए चांद जब धरती के सबसे नजदीक आ जाता है तब supermoon की स्थिति बनती है और उस स्थिति को पेरीजी और कक्षा में जब सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। सामान्य रूप से चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी हर महीने 3,57,000 किमी से 4,06,000 किमी के बीच रहती है। ऐसा उसकी अंडाकार कक्षा के कारण होता है।

6. कावेरी' के साथ तेजस भरेगा उड़ान

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) डीआरडीओ (के ठंडे बस्ते में पड़ी स्वदेशी एयरो इंजन परियोजना 'कावेरी' फिर से शुरू की जाएगी।
- DRDO की अनुषंगी इकाई गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान) जीटीआरई (को इस परियोजना में अब फ्रांसीसी कंपनी स्नेक्मा का साथ मिलेगा।

- डीआरडीओ ने वर्ष 2018 तक स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर कावेरी इंजन को परखने का लक्ष्य रखा है। कावेरी इंजन परियोजना में फ्रांसीसी एयरो इंजन निर्माता कंपनी स्नेक्मा की मदद 36 राफाल युद्धक विमानों के सौदे से ऑफसेट नीति के तहत मिलेगी।

why this :

- अरबों यूरो के राफाल लड़ाकू विमान सौदे में अतिरिक्त फायदे के तहत फ्रांस ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की नाकाम हो चुकी कावेरी इंजन परियोजना को फिर से पटरी पर लाने और अन्य उच्च स्तरीय सहयोग के लिए भारत को मदद की बात कही है। ऑफसेट नीति के तहत फ्रांस की तरफ से सैन्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए 30 प्रतिशत ऑफसेट प्रतिबद्धता और बाकी 20 प्रतिशत यहां राफाल के लिए कल पुर्जा बनाने की है।

7. सिग्नस कार्गो शिप के साथ शुरू होगा अंतरिक्ष में आग का प्रयोग

अंतरिक्ष में आग कैसे कार्य करता है? शोधकर्ताओं को यह जल्द पता लग जाएगा। उन्होंने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान पर नौ विभिन्न सामग्रियों के साथ सोमवार को पृथ्वी के वायुमंडल के फिर से प्रवेश दिलाया है।

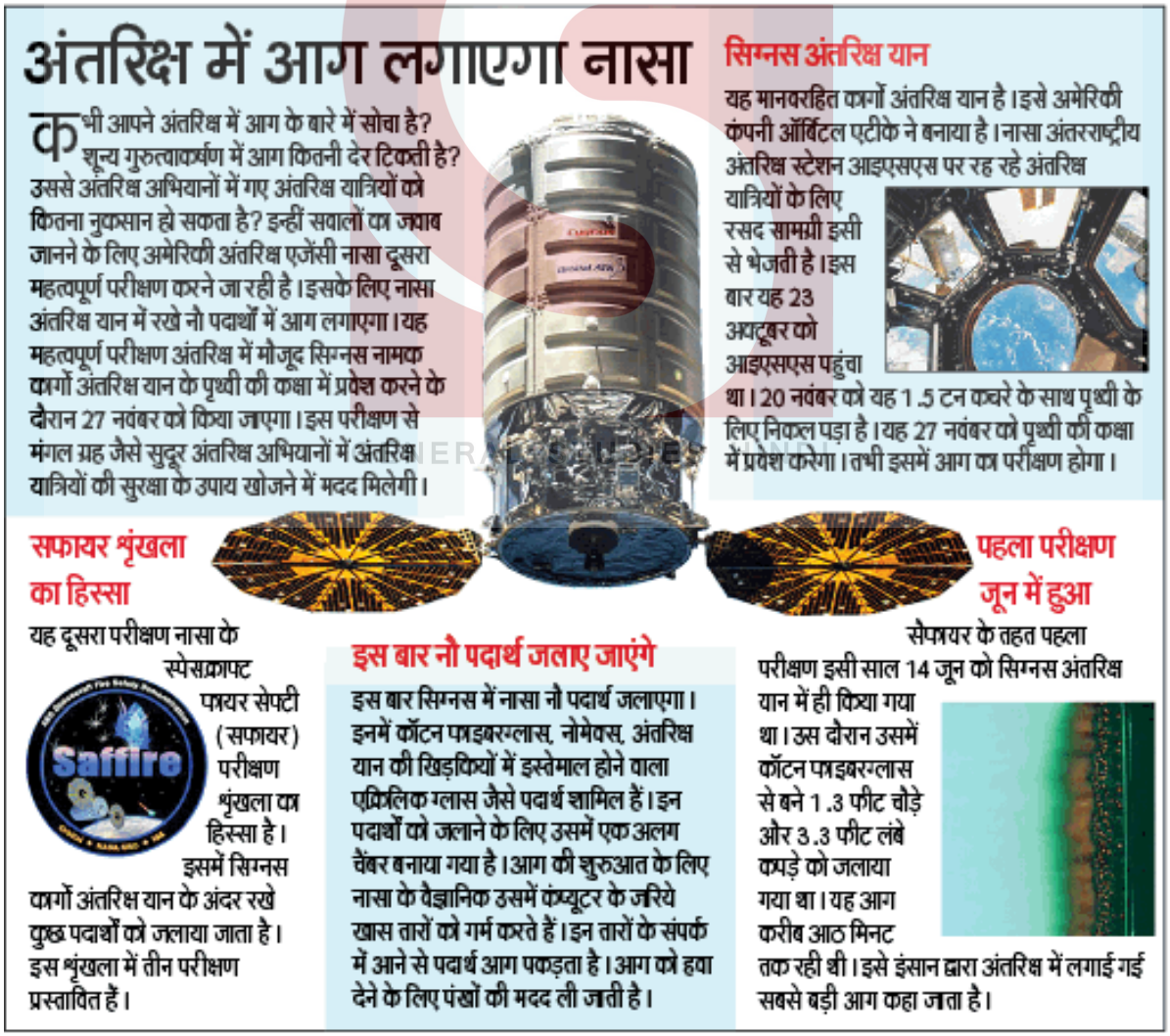

8. एएलके1 प्रोटीन

- शरीर में कोलेस्ट्राल स्तर को बढ़ाने वाले प्रोटीन
- यह प्रोटीन रक्त वाहिनियों में लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन) एलडीएल (या बैड कोलेस्ट्राल लेवल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।
- एलडीएल के उच्च स्तर से रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचने के साथ ही हृदय रोग होने का खतरा बढ़ सकता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, शरीर में इस प्रोटीन की मौजूदगी में वाहिनियां वसा और कोलेस्ट्राल के कारण अवरुद्ध होने लगती हैं।
- यह प्रोटीन कोशिकाओं में एलडीएल के प्रवेश के लिए राह आसान करता है।
- 'एएलके1 का एलडीएल से सीधा जुड़ाव है। इस खोज से बैड कोलेस्ट्राल के जमाव को रोकने की राह आसान हो सकती है।
- इससे वाहिनियों के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।'

9. Geostationary Operational Environmental Satellite-R (GOES-R)

- अमरीका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए)के द्वारा प्रक्षेपित
- यह उपग्रह अंतरिक्ष से बादल की तरंगों की साफ तस्वीरें पृथ्वी पर तुरंत प्रसारित कर सकेगा।
- ये तरंगें ही वायुमंडल में विक्षोभ पैदा करती हैं। इसके साथ ही ये उपग्रह हवा की रफ्तार, कोहरा, बर्फ और बिजली के बारे में ज़्यादा बेहतर आकलन कर सकेगा।
- इससे विमानों का ऐसा रूट तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे कि खतरों से दूर रहा जा सकेगा। इससे मिलने वाली तस्वीरों के रेजॉल्यूशन भी पहले से चार गुना बेहतर होंगे।
- इसको दुनिया का सबसे उन्नत मौसम उपग्रह माना जा रहा है।

International Relation

1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ रूस:

- सीरिया में अपनी नीतियों के कारण युद्ध अपराध के आरोपों का सामना कर रहा रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिषद के 14 सदस्यों का चुनाव किया है।
- चुने गए देशों में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य शामिल हैं। निर्वाचित देशों का तीन वर्षों का कार्यकाल जनवरी 2017 से शुरू होगा
- सदस्य चुने गए अन्य देशों में ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, जापान, इराक, सऊदी अरब, हंगरी, क्रोएशिया, क्यूबा, ब्राजील, शामिल हैं।

=>>**संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है?**
★संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सभी मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
★महासभा ने 2006 में 60 वर्ष पुराने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह इसकी स्थापना की थी।
★परिषद का काम मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान और उसके अनुरूप सिफारिशें करना है।
★परिषद आपात स्थिति में अपना काम करती है और मानवाधिकार हनन को रोकती है।
★ 193 सदस्यीय महासभा में गुप्त मतदान के जरिये परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
★ दो बार चुना गया कोई भी देश लगातार तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकता है।

2. क्यों जरुरी है BRICS के लिए common agendas

ब्रिक्स का संघर्ष :

कागज पर पांच देशों का समूह ब्रिक्स एक मजबूत संगठन नजर आता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच एक साझा पहचान और संस्थागत सहयोग कायम करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

Historical background :

ब्रिक्स 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री की ब्रिक अवधारणा का ही विस्तार है शीतयुद्ध |के बाद पहले महत्वपूर्ण गैरपश्चिमी ग्लोबल पहल के रूप में ब्रिक्स का उदय हुआ है।

Brics and global power

यह न सिर्फ अटलांटिक प्रभुत्व को धीरे-धीरे कम कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन में किस तरह बदलाव आ रहा है। यदि ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से मिलकर काम करने लगें तो यह ग्लोबल वित्तीय और गवर्नेंस प्रणाली में मौलिक बदलावों का वाहक बन सकता है।

Internal Contradiction in Brics:

आज ब्रिक्स जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वे मौलिक हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय लक्ष्य हैं और ये देश विश्व के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं। ब्रिक्स देशों में भी यह अंतर बहुत साफ है।

- उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया के सबसे बड़े एकतंत्र चीन में क्या समानता है? चीन द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया जाता है। वह अपने इस दावे को लेकर इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि जब भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने इस राज्य का दौरा किया तो उसने सख्त ऐतराज जताया और अब जब दलाई लामा के वहां जाने की बात आ रही है तो फिर उसने आक्रामक तरीके से इसका विरोध किया। चीन के इस तरह के रुख के चलते दोनों देशों के बीच कैसे निकटता कायम हो सकती है?
- चीन दक्षिण चीन सागर पर मनमाने आचरण का परिचय दे रहा रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित हर जगह वह पाकिस्तानी आतंक का बचाव कर रहा है?
- हाल के वर्षो में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से धराशायी हुई हैं उससे ब्रिक्स की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। यहां तक कि चीन की अर्थव्यवस्था भी उथलपुथल का सामना कर रही है और उसका प्रतिकूल प्रभाव विश्व बाजार पर भी पड़ा है।
- ब्रिक्स की मंदी का सिर्फ भारत ने ही सामना किया है। भारत को आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का गौरव मिला है।करीब छह साल बाद भी ब्रिक्स अभी भी एक सुसंगत समूह के रूप में काम नहीं कर पा रहा है ताकियह अपने साझा उद्देश्यों को हासिल कर सके और एक संस्थागत ढांचा का रूप ले सके।
- ब्रिक्स में शामिल किन्हीं दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं हैं जितने कि उनके मजबूत संबंध अमेरिका के साथ हैं।
- जहां तक **अंतरराष्ट्रीय संस्थागत सुधार** की बात है तो यहां भी चीन की सोच दूसरे सदस्य देशों से अलग है। चीन ग्लोबल वित्तीय ढांचे के संबंध में एक अलग तरह की शक्ति है। वह विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रतीकात्मक रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और चीन निर्मित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा चुनौती देकर उन पर हावी होना चाहता है। इसी के साथ वह संयुक्त राष्ट्र में कोई सुधार नहीं चाहता है। अर्थात वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र देश बना रहना चाहता है। इसका अर्थ हुआ कि वह भारत को इससे बाहर रखना चाहता है।
- हाल के गोवा सम्मेलन में यह चेतावनी थी कि ब्रिक्स को आगे बढ़ने के लिए एक साझा कार्ययोजना की अभी भी दरकार है।

GENERAL STUDIES HINDI

- **Double standard on terrorism**: चीन की जिद के कारण गोवा घोषणापत्र में सीमापार आतंकवाद या राज्य प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र नहीं हो पाया। आइएसआइएस और अल नुसरा के उल्लेख के बावजूद पाकिस्तान स्थित किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम इसमें नहीं शामिल किया गया।

Need for Common goals in front of BRICS:

ब्रिक्स के सामने आज यह सवाल है कि क्या इसके सदस्य देश अपने विभिन्न उद्देश्यों और हितों के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक हो सकते हैं?

यदि ब्रिक्स अपना सामूहिक रसूख बनाना चाहता है तो इसके सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का सामना करने के लिए साझा उद्देश्य और तौर तरीके विकसित करने चाहिए।

Lesson to be learnt from G7: जी-7 समूह भी ब्रिक्स की तरह ही चर्चा के मंच के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में यह साझा हितों को परिभाषित कर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त आवाज के रूप में उभरा। ब्रिक्स में जी-7 की तरह साझा राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का अभाव है। यह स्वयं को प्रासंगिक नहीं रख सकता है यदि यह अपने नेताओं और हितधारकों को बहस करने से आगे कुछ सोचने पर विवश नहीं करता।

3. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका के भारत सहित अन्य देशों के साथ सम्बन्ध और असर:

दुनिया को चौंकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को मात दे दी है. रिपब्लिकन पार्टी का यह 70 वर्षीय उम्मीदवार अमेरिका का 45वां और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होने जा रहा है. जब डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी की दावेदारी की थी तो बहुतों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था. तब ज्यादातर यही मानकर चल रहे थे कि बड़बोले ट्रंप बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले कमजोर साबित होंगे.

★एक के बाद एक विवादित बयान देकर उन्होंने इन आकलनों को वजन ही दिया. लेकिन सबको पछाड़ते हुए वे पार्टी के प्रत्याशी बन गए. उसके बाद भी बहुत से लोग इस संभावना को दूर की कौड़ी मान रहे थे कि वे हिलेरी से जीत पाएंगे. लेकिन आखिर में उन्होंने यह कारनामा भी कर दिखाया.

Analysis on basis of past statements:

- डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की संभावना को कुछ समय पहले प्रतिष्ठित पत्रिका द इकॉनॉमिस्ट ने 10 वैश्विक 'खतरों' में शामिल किया था. इसे चीन की मंदी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट जैसे खतरों के बीच स्थान मिला था. सूची में आतंकवाद के खतरे के तुरंत बाद ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की संभावना थी. अब जब अमेरिका ने उन्हें अपना राष्ट्रपति चुन लिया है तो स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि दुनिया पर इसका क्या असर होने वाला है.
- ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों में कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपना सकते हैं. लेकिन अमेरिका की इस नीति का मतलब होगा कि भारत जैसे देशों को तब कुछ मामलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी पड़े
- डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में जो बातें कहते रहे हैं उनमें से कइयों का लब्बोलुआब यह है कि अमेरिका चीन और यूरोप द्वारा चतुराई से फैलाए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जाल में फंस गया है. उन्होंने यह जताने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है कि अमेरिका के पूर्व के राष्ट्रपतियों द्वारा अपनाई गई ढुलमुल अप्रवासी नीति का शिकार बन चुका है. उनकी टिप्पणियां या कहें कि गुस्से में कही गई बातें अस्पष्ट होती हैं, तथ्यों से उनका वास्ता अक्सर नहीं होता और ये उनके मूड के हिसाब से बदलती रहती हैं.
- दक्षिण चीन सागर मामले पर यदि अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों सहित भारत भी अछूता नहीं रहेगा
- अमेरिका खुद को अलग-थलग रखने की कोशिश करेगा ÷

- वाशिंगटन पोस्ट के साथ बातचीत में ट्रंप का कहना था, 'मुझे पता है कि एक दुनिया बाहर भी है लेकिन ,आप आखिर यह बात कब कहेंगे कि हमें अपना भी ख्याल रखना है.' ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों में कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपना सकते हैं. अमेरिका की इस नीति का मतलब होगा कि भारत जैसे देशों को तब कुछ मामलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी.
- यदि अमेरिका मध्य-पूर्व एशिया या अफगानिस्तान-पाकिस्तान से पूरी तरह अपने हाथ खींचेगा तो यहां आतंकवाद का असर बढ़ने की आशंका पैदा होगी और भारत इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता. हालांकि इसके साथ ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं इसलिए अमेरिकी बलों का अफगानिस्तान में रुकना जरूरी है.
- **अमेरिका और चीन का औपचारिक भाईचारा भी खत्म हो सकता है** ÷इस समय अमेरिका और चीन दक्षिण चीन सागर जैसे कई मसलों पर एक दूसरे को असहज करते रहते हैं. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ सकते हैं. हो सकता है दोनों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ जाए. ट्रंप कई बार अपने भाषणों में चीन, जापान, मैक्सिको और यहां तक कि भारत पर भी अमेरिकी
- रोजगार छीनने का आरोप लगा चुके हैं. वे चीनी माल पर तगड़ा सीमा शुल्क (45 फीसदी तक) लगाना चाहते हैं और चीन के साथ व्यापार की शर्तों पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं. इस कदम से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा. विकासशील देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

वहीं दक्षिण चीन सागर मामले पर यदि अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों सहित भारत भी अछूता नहीं रहेगा.

=>>अमेरिका के पाकिस्तान से संबंध :-

* पिछले साल ट्रंप ने दक्षिण एशिया की नीति तय करने वाले प्रतिष्ठानों में यह कहकर हलचल मचा दी थी कि परमाणु हथियारों की वजह से पाकिस्तान संभवत: दुनिया का सबसे खतरनाक देश है. ट्रंप का कहना था, 'यदि पाकिस्तान अस्थिर होता है तो आपको भारत को साथ लेना पड़ेगा. पाकिस्तान पर लगाम रखने का काम भारत कर सकता है. उनके पास भी परमाणु हथियार हैं और काफी ताकतवर सेना है.'

=>>एच-1बी वीजा

★अति कुशल कामगारों को अमेरिका में रहने के लिए एच-1बी वीजा से जुड़ी ट्रंप की सोच काफी उलझी हुई लगती है. उनके वेबसाइट कहती है कि वे वीजा के खिलाफ हैं लेकिन, ट्रंप भाषणों में कहते हैं, 'मैं इस मसले पर अपनी स्थिति में थोड़ा लचीलापन ला रहा हूं क्योंकि हमें देश में प्रतिभावान लोगों की जरूरत होगी ही.'.

GENERAL STUDIES HINDI

★हो सकता है ट्रंप की सोच में इस लचीलेपन के पीछे भारतीय-अमेरिकी समुदाय का वोटबैंक भी अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हो लेकिन, उनकी विदेशनीति के मुख्य सलाहकार सीनेटर जेफ सेजियंस एच-1बी वीजा के सख्त खिलाफ हैं. सीनेट में आव्रजन पर बनी उपसमिति का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे. यानी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की तकलीफ बढ़ सकती है क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा एच-1बी वीजा के आवेदन देती हैं.

=>भारत में ट्रंप के कारोबार पर कोई असर पड़ेगा?

- डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट कारोबारी हैं. भारत में उनके दो 'सुपर लग्जरी' प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इनमें पहला पुणे में पंचशील रियल्टी के साथ और दूसरा मुंबई में लोढ़ा ग्रुप के साथ चल रहा है. ट्रंप अगर राष्ट्रपति नहीं भी बनते तो भी भारत में उनका कारोबार बढ़ने की ही संभावना थी. ट्रिबेका डेवलपर्स भारत में ट्रंप का कारोबार देखते हैं. इस फर्म के मुताबिक ट्रंप और उनके बेटे कारोबार के लिहाज से भारत में काफी संभावनाएं देखते हैं और वे दूसरे शहरों में भी परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं.

=>अमेरिका में प्रवासी लोगों की स्थिति पर क्या असर हो सकता है?

- बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका में प्रवासियों के विरोध का माहौल अब गहरा सकता है. उनके समर्थकों का एक बड़ा तबका तुलनात्मक रूप से कम पढ़ा-लिखा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमजोर स्थिति में है और शायद इस वजह से प्रवासियों का कट्टर विरोधी है.
- अमेरिका के एक थिंक टैंक 'रैंड' के अध्ययन के मुताबिक ट्रंप समर्थकों का मानना है कि प्रवासी, अमेरिकी परंपराओं और मूल्यों के लिए खतरा हैं. लोगों में इस तरह के डर और गैरकानूनी प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के वादों को ट्रंप ने भुनाया भी है. अमेरिका में गैर-श्वेतों के लिए असहिष्णुता बढ़ रही है. इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गैर अमेरिकी मूल के लोगों और गैर-श्वेतों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले बढ़ सकते हैं. ट्रंप की रैलियों में भी इस तरह की हिंसा देखी गई है और यह इस बात का संकेत है कि यह चलन आगे बढ़ सकता है.

4. पाकिस्तान और चीन ने शुरू किया ग्वादर पोर्ट

क्यों खबरों में :

चीन के माल से लदा जहाज रवाना होने के साथ ही रविवार को पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय संपर्क का एक और नया मार्ग खुल गया। रणनीतिक महत्व वाले ग्वादर बंदरगाह से 250 कंटेनरों में भरा चीनी माल लेकर यह जहाज पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लिए रवाना हुआ।

- चीन के उत्तर-पश्चिम जिनजियांग प्रांत से सड़क के जरिये कई तरह का सामान ग्वादर बंदरगाह लाया गया।
- इसी सड़क और इसके दोनों तरफ विकसित होने वाले इलाके को **चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरीडोर) CPEC** (का नाम दिया गया है। इसके लिए चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर) तीन लाख दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा (का निवेश कर रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

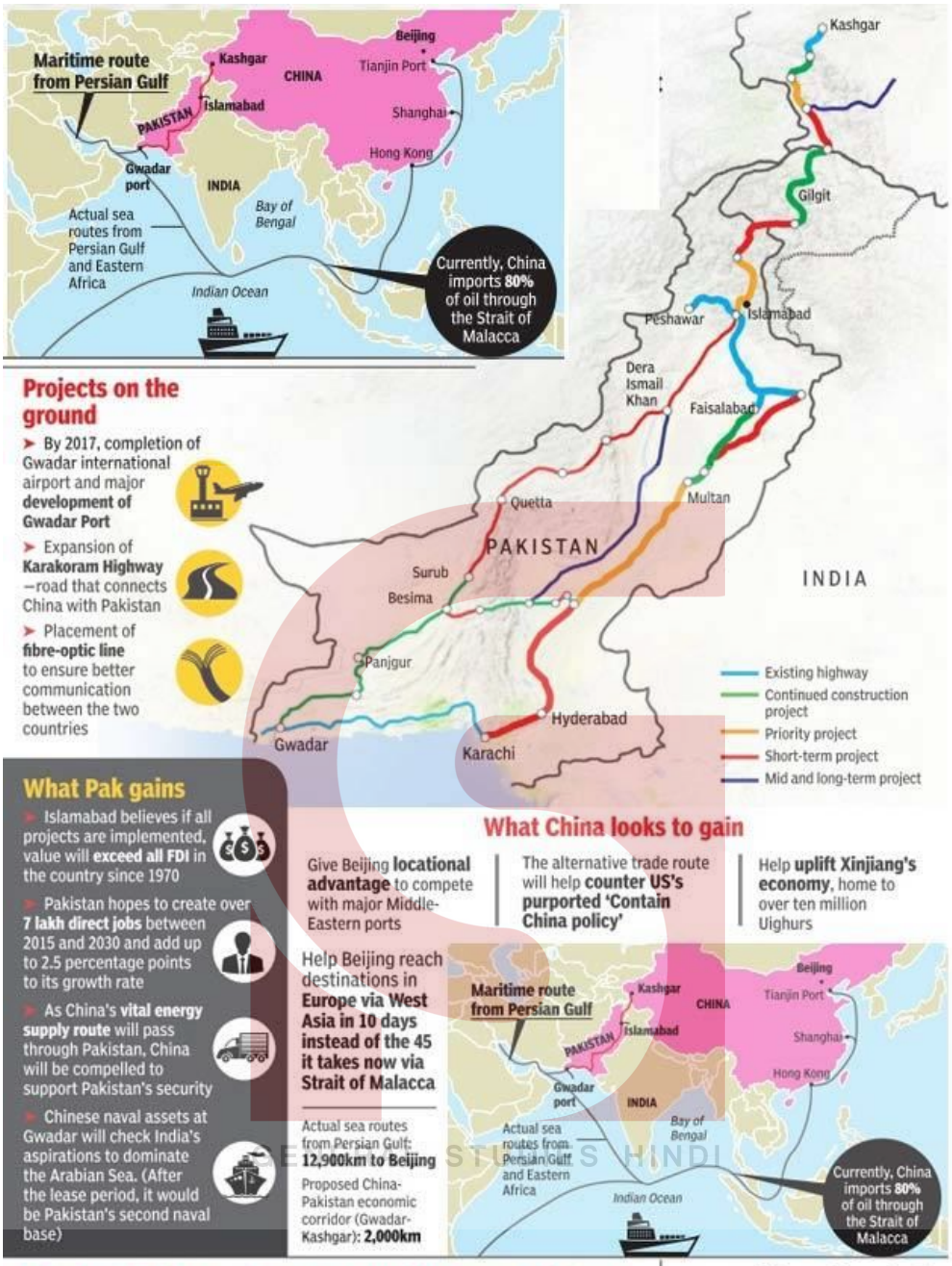
Maritime route from Persian Gulf
Kashgar
CHINA
Beijing
Tianjin Port
Shanghai
Hong Kong
Islamabad
PAKISTAN
Gwadar port
INDIA
Bay of Bengal
Actual sea routes from Persian Gulf and Eastern Africa
Indian Ocean
Currently, China imports 80% of oil through the Strait of Malacca
Projects on the ground
By 2017, completion of Gwadar international airport and major development of Gwadar Port
Expansion of Karakoram Highway —road that connects China with Pakistan
Placement of fibre-optic line to ensure better communication between the two countries
Kashgar
Gilgit
Peshawar
Islamabad
Dera Ismail Khan
Faisalabad
Multan
Quetta
PAKISTAN
INDIA
Surub
Besima
Panjgur
Gwadar
Hyderabad
Karachi
Existing highway
Continued construction project
Priority project
Short-term project
Mid and long-term project
What Pak gains
Islamabad believes if all projects are implemented, value will exceed all FDI in the country since 1970
Pakistan hopes to create over 7 lakh direct jobs between 2015 and 2030 and add up to 2.5 percentage points to its growth rate
As China's vital energy supply route will pass through Pakistan, China will be compelled to support Pakistan's security
Chinese naval assets at Gwadar will check India's aspirations to dominate the Arabian Sea. (After the lease period, it would be Pakistan's second naval base)
What China looks to gain
Give Beijing locational advantage to compete with major Middle-Eastern ports
The alternative trade route will help counter US's purported 'Contain China policy'
Help uplift Xinjiang's economy, home to over ten million Uighurs
Help Beijing reach destinations in Europe via West Asia in 10 days instead of the 45 it takes now via Strait of Malacca
Actual sea routes from Persian Gulf: 12,900km to Beijing
Proposed China-Pakistan economic corridor (Gwadar-Kashgar): 2,000km
Maritime route from Persian Gulf
Kashgar
CHINA
Beijing
Tianjin Port
Shanghai
Hong Kong
Islamabad
PAKISTAN
Gwadar port
INDIA
Bay of Bengal
Actual sea routes from Persian Gulf and Eastern Africa
Indian Ocean
Currently, China imports 80% of oil through the Strait of Malacca
Why two Pak security personnel for every Chinese
Pakistan has deployed 14,503 security personnel to secure some 7,036 Chinese nationals working on CPEC
Tehreek-e-Taliban (TTP) warned in 2014 it will hit Chinese interests in Pak to counter the "persecution" of Xinjiang Muslims
Groups associated with East Turkistan Islamic Movement working with TTP factions, al-Qaida and Jundullah also potent threat
Attempts to abduct & kill Chinese workers in Hyderabad (Pakistan) foiled in recent years
In Gilgit-Baltistan, an alliance of around 23 religious, nationalist and political groups has demanded a complete withdrawal of Pakistani forces from its soil
How Beijing, Islamabad are cooperating on security
1 Police station recently set up in Gilgit-Baltistan, with 300 personnel and 25 vehicles (gift from China), to ensure smooth flow of traffic on the 439km stretch of the CPEC project
2 Pak Navy & China collaborating on special marine battalion to ensure Gwadar's security
3 Special division of Pakistan army dedicated to security of Chinese engineers
4 Sindh planning to hire 2,000 retired armymen for CPEC's security in the province
5 Pakistan's minister for planning, reforms and development has said those protesting against CPEC will be charged under anti-terrorism laws
8,000
Chinese workers working in 210 projects in Pak
7,000
Additional workers expected for other CPEC projects
8,000 soldiers,
5,000 SSG commandos, 6 wings of paramilitary forces will protect the Chinese working in Pakistan
INDIA'S STANCE
New Delhi has objected to CPEC on point of principle, saying its projects are located and/or pass through PoK which belongs to India

5. भारत ने जापान के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया

- भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हो गया है. जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1. इस समझौते के तहत जापान भारत को परमाणु ईंधन, उपकरण और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए तकनीक सौंपेगा।
2. समझौते में यह भी कहा गया है कि भारत जापान द्वारा दिए गए परमाणु ईंधन और उपकरणों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगा और
3. अगर भारत इससे परमाणु परीक्षण आयोजित करता है तो जापान इस समझौते को तोड़ देगा।

परमाणु हमले का सामना कर चुके जापान ने पहली बार एक ऐसे देश के साथ यह समझौता किया है जिसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

- **चीन को लाभ** : इससे उसे मध्य एशिया और अफ्रीका में घुसने का नया रास्ता मिल गया है। इसकी चीन से कम दूरी होने की वजह से यह उसके लिए फायदेमंद है
- ग्वादर का विकास चीन ने किया है।

6. भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक ऐटमी एनर्जी डील का महत्त्व:

करीब 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु करार हो गया। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के जापान दौरे के दौरान दोनो देशों के बीच इस समझौते पर मुहर लगी।

Background:

2015 में जापान के पीएम शिंजो अबे भारत आए थे तभी दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट का फैसला किया था। भारत अब तक अमेरिका समेत 11 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है लेकिन जापान से डील खास होगी।

GENERAL STUDIES HINDI

इस करार के कई महत्वपूर्ण मायने हैं–

- बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए जापान के साथ इस तरह का परमाणु समझौता करने वाला भारत पहला देश बन गया।
- परमाणु हमले का दंश झेल चुके जापान के साथ बिना एनपीटी पर दस्तखत किए ये समझौता भारत की परमाणु क्षेत्र में विश्वसनीयता और साख को भी बल देता है।
- परमाणु समझौते के बाद जापान, भारत को परमाणु ईंधन, रिएक्टर और तकनीक की सप्लाई करेगा।
- इस समझौते के बाद दो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में परमाणु रिएक्टर की स्थापना करने की राह आसान हो गई। क्योंकी दोनो कंपनियों में जापान के कंपनी की हिस्सेदारी होने के कारण जापान के साथ परमाणु समझौता जरूरी था।
- पेरिस समझौते के तहत भारत 2030 तक जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग पर काबू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे में इस इस समझौते से बिजली उत्पादन के लिए कोयला पर भारत की निर्भरता कम होगी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत ने 2021 तक 14 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने में इस समझौते से मदद मिलेगी।

भारत और जापान के बीच इस समझौते का कूटनीतिक महत्व भी है। इस समझौते के ज़रिए भारत और जापान के रिश्तों के बीच आई नजदीकियां चीन के लिए चिंता बढ़ा सकती है। चीन एनएसजी में सदस्यता और मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने और पाक को अघोषित मदद पहुंचाने, सीमा पर तनाव पैदा करने जैसी कोशिशों के कारण भारत के लिए परेशानी का सबब बनता रहा है। ऐसे में चीन को अलग-थलग करने की कोशिशों के तहत ये समझौता मील का पत्थर साबित हो सकता है।

7. रक्षा, आतंकवाद निरोधक सहयोग को मजबूत करेंगे भारत और इजरायल

सन्दर्भ:- इजरायल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- भारत एवं इजरायल ने अपनी बढ़ती नजदीकियों का परिचय देते हुए अपनी पहले से ही करीबी रक्षा भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा कट्टरवाद एवं चरमपंथ से निबटने के लिए सहयोग व्यापक बनाने का निर्णय किया है। दोनों देशों ने आतंकवादी नेटवर्क और उनका पालन पोषण करने वाले दशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए वैश्विक समुदाय का आह्वान किया।
- दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश, कृषि, जल संसाधन एवं साइबर अपराध सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा बनाने के बारे में सहमति जतायी।
- दोनों देशों के लोग निरंतर आतंकवाद एवं उग्रवाद की ताकतों का खतरा झेलते रहे हैं। दोनों ही पक्ष उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में सहयोग बढ़ाने को तैयार हो गए हैं विशेषकर साइबर क्षेत्रों जैसे विशिष्ट एवं व्यावहारिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में।
- दोनों देश यह स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जो कोई सीमा नहीं जानता तथा जिसका संगठित अपराध के अन्य स्वरूपों से व्यापक संबंध हैं।'
- दोनों पक्षों ने बढ़ती रक्षा भागीदारी की क्षमता पर गौर किया और इस जरूरत पर सहमति जतायी कि उत्पादन एवं विनिर्माण भागीदारी के जरिये इसे और व्यापक बनाया जाना चाहिए।

भारत इजरायल के सैन्य साजोसमान का सबसे बड़ा क्रेता है। पिछले कुछ वषों से भारत इजरायल से विभिन्न हथियार प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, मानव रहित वायु वाहन खरीदता रहा है किन्तु अधिकतर लेनदेन गुपचुप ढंग से होता रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

दोनों पक्षों ने कृषि तथा जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

दोनों देशों के बीच गठजोड़ बढ़ने विशेषकर रक्षा क्षेत्र की ओर चर्चा करते हुए इस्राइल के राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा कि उनका देश 'मेक इन इंडिया और मेक विद इंडिया' के लिए तैयार है।

पिछले दो दशकों में इस्राइल का राष्ट्रपति पहली बार भारत आया है। रिवलिन ने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद को कैसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। 'हम अपने लोगों एवं अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए एकजुट हैं।'

EDITORIALS

1. वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर रिपोर्ट:- खतरा सिर्फ वन्यजीवन पर नहीं, हम सब पर मंडरा रहा है

सन्दर्भ :-2020 तक वन्यजीवों की आबादी 50 साल पहले के मुकाबले एक तिहाई ही रह जाएगी. द इंडियन एक्सप्रेस की संपादकीय टिप्पणी

चर्चित संगठन वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की एक ताजा रिपोर्ट उन आशंकाओं को आंकड़ों में सामने रखती है जो पर्यावरणविद लंबे समय से जताते रहे हैं. लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2016 के मुताबिक 1970 से 2012 के दौरान दुनिया में वन्यजीवों की 58 फीसदी आबादी खत्म हो गई.

Highlights from Report:

- रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि 2020 तक यह आबादी 50 साल पहले के मुकाबले एक तिहाई रह जाएगी.
- WWF के मुताबिक जो प्राणी खत्म हो रहे हैं उनमें हाथी, गोरिल्ला और गिद्द जैसी खतरे में पड़ी चर्चित प्रजातियां तो हैं ही, सैलमैंडर्स, हिम तेंदुआ और मूंगा चट्टानें जैसे वे नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते. यह रिपोर्ट 3700 से भी ज्यादा कशेरुकी (रीढ़ की हड्डी वाली) प्रजातियों से जुड़े वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है.

=>जैव विविधता क्षरण के कारण:-

- वन्यजीवों की आबादी में गिरावट तब आती है जब उनके पर्यावास संकट में होते हैं. लेकिन उनके पर्यावास का विनाश सिर्फ उनके लिए संकट का सबब नहीं होता.
- हवा और पानी का संरक्षण और शोधन, जलवायु, परागण, बीजों के फैलाव और कीड़े-मकोड़ों और बीमारियों से बचाव जैसी चीजों के लिए हम भी स्वस्थ और विविधता वाली प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर होते हैं.
- आज यह साबित हो चुका है कि दलदली भूमि या वेटलैंड्स के विनाश के चलते बाढ़ और तूफानों के खिलाफ हमारी प्रतिरोधक क्षमता काफी घटी है. पहाड़ों पर खत्म होते जंगलों के चलते भूस्खलन और भूकंप जैसे खतरों से हमें होने वाला नुकसान बढ़ा है.
- इन खतरों से निपटने के लिए विश्वव्यापी कदम उठाना हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगा. उदाहरण के लिए वन्यजीवों की घटती संख्या का एक बड़ा कारण यह है कि खेती के विस्तार के लिए जंगल काटे जा रहे हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

A look on how fast we destroying Biodiversity

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि उपभोग की जो मौजूदा दर है उसके हिसाब मनुष्यों और पशुओं की आबादी के लिए हमें धरती के क्षेत्रफल से 1.6 गुना ज्यादा जमीन चाहिए. लेकिन अगर हम खाने की बर्बादी से जुड़े आंकड़े देखें तो एक दूसरी ही तसवीर उभरती है.
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की बीते साल आई एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 में दुनिया में 1.3 अरब टन खाना बर्बाद हुआ. इसे दूसरी तरह से ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया में जितनी जमीन पर खेती होती है, उसके 30 फीसदी हिस्से में हुआ उत्पादन बर्बाद हो गया.

Reason for Loss

विकासशील देशों में यह बर्बादी भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होती है. विकसित देशों में यह बर्बादी खाने के स्तर पर होती है. जब विकासशील देशों में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हों तो यह स्थिति और भी विडंबना भरी हो जाती है.

इंसानी आबादी के पर्यावरण पर दबाव के क्या नतीजे हो रहे हैं यह अब सबको पता है. लेकिन इनका सामना करने के लिए हम सामाजिक रूप से एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना सके हैं जिसमें पारिस्थिकी और अर्थव्यवस्था जैसे पहलू शामिल हों.

2020 से अमल में आने वाली पेरिस संधि के तहत पर्यावरण को लेकर किए गए वादे ऐसी पहली प्रतिक्रिया हो सकते हैं. हालांकि तब भी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे उस नुकसान को टाल देंगे जिसकी आशंका डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट में जताई गई है.

2. टीबी के खिलाफ यह जंग दुनिया जीतेगी या नहीं, यह भारत पर निर्भर करता है

सन्दर्भ :- टीबी के मरीजों और इस बीमारी से होने वाली मौतों के लिहाज से भारत दुनिया में सबसे आगे है. द हिंदू की संपादकीय टिप्पणी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मांग की है कि तपेदिक यानी टीबी पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र की एक आम बैठक बुलाई जाए. उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश इससे निपटने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं दिखा रहे.

India and TB

टीबी के खिलाफ लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक इससे सबसे ज्यादा ग्रस्त देश, जिनमें भारत सबसे ऊपर है, अपनी सरकारी मशीनरी को प्रभावी तरीके से हरकत में नहीं लाते.

- टीबी की दर और इस बीमारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर लगातार घट रहा था लेकिन, हाल में इसमें फिर बढ़ोतरी होने लगी है. यह बढ़ोतरी पहले लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक है. इसकी मुख्य वजह है भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या में आया तेज उछाल.
- 2014 में भारत में टीबी के 22 लाख मरीज थे. यह आंकड़ा 2015 में 28 लाख पहुंच गया. विडंबना यह है कि यह आंकड़ा भी अंतरिम है. वास्तविक आंकड़े का पता तभी चल सकेगा जब अगले साल शुरू होने वाला राष्ट्रीय टीवी सर्वे पूरा होगा और तब यह कहीं ज्यादा हो सकता है. अनुमानों के मुताबिक 2014 की तुलना में 2015 में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. मरीजों की तरह मौतों का यह आंकड़ा भी सर्वे के बात बढ़ सकता है.

Data on TB

- इस बढ़ोतरी की वजह यह भी है कि 2013 से 2015 के दौरान निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तरफ से टीबी के मामलों की सूचनाओं में 34 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. लेकिन यह भी सच है कि 2015 में प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों द्वारा दी गई सूचनाएं ऐसी कुल सूचनाओं का 16 फीसदी ही थीं.
- 2012 में ये सूचनाएं दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन, 2015 में सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा टीबी के सिर्फ 17 लाख मामले सूचीबद्ध किए गए. इसलिए कोई नहीं जानता कि बाकी 11 लाख मरीजों का क्या हुआ.

Measures and lacunas

- टीबी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत हर मरीज को इलाज मिलना और उससे जुड़ी जानकारियां दर्ज की जानी जरूरी हैं. निजी अस्पतालों या डॉक्टरों के पास आने वाले टीबी के मरीजों में से 50 फीसदी दवाइयों का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा नहीं करते.
- उधर, एक हालिया अध्ययन बताता है कि 2013 में अगर 19 लाख लोग टीबी की शिकायत लेकर सरकारी अस्पताल गए तो उनमें से सिर्फ 65 फीसदी ने पूरी दवाइयां लीं. इसके चलते दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके टीबी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है जिससे इस बीमारी का इलाज महंगा और मुश्किल होता जा रहा है. इसने संकट को और गहरा दिया है.

बच्चों के लिए सुरक्षित टीबी की दवा उपलब्ध कराने जैसे कई मायनों में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम अभी लक्ष्यों से पीछे चल रहा है. टीबी को काबू करने का काम तभी हो सकता है जब सब मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ी जाए. टीवी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक भारत अपनी सीमाओं के भीतर इस लड़ाई में जीत हासिल नहीं करता.

3. कार्यपालिका और न्यायपालिका का यह टकराव लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट कर रहा है

द टेलीग्राफ का संपादकीय

100 फीसदी खुद को सही ठहराने वाली जिद से किसी का भला नहीं होता. केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कड़वाहट पर अब खुले तौर पर नजर आने लगी है. यह एक चिंताजनक स्थिति है जिससे एक तरफ कुछ हासिल नहीं होगा और दूसरी ओर इन दोनों संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचेगा.

- हाल ही में 24 हाईकोर्टों में नियुक्ति प्रक्रिया के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक खंडपीठ का कहना था कि सरकार न्यायपालिका का नाश करने पर तुली है. अदालत ने सवाल किया कि अदालतों में ताले लगा दिए जाएं और लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए.
- यह कड़ी टिप्पणी उन जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता पर थी जिनके नाम कॉलेजियम केंद्र को भेज चुका है. मुख्य न्यायाधीश अदालतों में जजों के खाली पड़े पदों को लेकर पहले भी भावुक टिप्पणियां कर चुके हैं.
- लेकिन केंद्र का बार-बार यही कहना है कि अड़ंगा उसकी तरफ से नहीं है. अपनी प्रतिक्रिया में उसने यह भी पूछा है कि निचली अदालतों में इतने पद खाली क्यों हैं जहां सुनवाई का इंतजार कर रहे मामलों की सूची सबसे लंबी है और जहां नियुक्तियों का जिम्मा सरकार नहीं बल्कि न्यायपालिका के ही पास है.
- दोनों पक्षों की इस जिद के पीछे की वजह है आपातकाल के वर्षों वाले दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण के बाद न्यायपालिका का जरूरत से ज्यादा सुधार. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर नियुक्तियों और जजों के तबादले का काम पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और सरकार की इसमें भूमिका सिर्फ औपचारिकता भर रह गई. यह व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है.
- इसमें सुधार की कोशिश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जरिये हुई थी जो सरकार को इस प्रक्रिया में एक सार्थक भूमिका दे रहा था लेकिन साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया. तब से केंद्र और शीर्ष अदालत, दोनों अपने-अपने रुख पर अड़ते गए हैं जिससे न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी और बढ़ी है.
- इस टकराव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वे तीन खंभे हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है. अगर सरकार सुशासन के प्रति गंभीर है तो उसे न्यायपालिका के साथ मिलजुलकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी होगी फिर भले ही दोनों पक्ष प्रस्तावित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर सहमति बनाएं या फिर किसी और चीज पर.
- सरकार के सिफारिशों पर बैठे रहने से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा. पहले इस संकट को गंभीर होने से रोका जाना चाहिए. जिन मसलों के सुलझने में ज्यादा वक्त लगता है उन्हें पर्याप्त वक्त देना ही होगा.

4. NDTV BAN का विरोध क्यों

Why this Ban on NDTV:

एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। वजह पठानकोट हमले के वक्त गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग| मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम (संशोधन)2015 के तहत यह प्रतिबन्ध लगाया है |

Some question that needs to be answered:

- 10 महीने पहले हुई इस घटना की लाइव रिपोर्टिंग देश के सभी न्यूज चैनलों ने की थी
- उस समय किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि किसी एक खास चैनल का रवैया इस मामले में बाकी सबसे अलग था।

- उस समय सरकार की ओर से किसी चैनल को अपना दायरा लांघने को लेकर ऐसी कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी।
- अगर पठानकोट हमले को लेकर एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्टिंग सरकार को नागवार गुजरी, तो उसे अपने अफसरों को हिदायत देनी चाहिए थी कि वे क्या बताएं और क्या नहीं।
- इस पाबंदी से यह भी सवाल उठता है कि क्या किसी आतंकी हमले के बारे में सिर्फ उतना और सिर्फ वही जानना तथा बताया जाना चाहिए जितना और जैसा सरकार बताना चाहती है?
- सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। मीडिया की आजादी हमारे संविधान में दी गई नागरिक आजादी का ही हिस्सा है।

A cause which goes against basics of democracy:

एनडीटीवी से हर मुद्दे पर हर कोई सहमत हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन जैसे किसी को एनडीटीवी से असहमत होने का हक है, वैसे ही सरकार से एनडीटीवी को भी। अगर असहमति और आलोचना के लिए जगह नहीं होगी, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, यह भी होता है कि नागरिक अधिकारों के साथ कैसा सलूक किया जाता है।

5. राज्यों में बढ़ती यह प्रवृत्ति कानून के शासन के लिए शुभ संकेत नहीं है

सन्दर्भ:- सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर पंजाब का रुख संघीय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है.

इसमें कभी संदेह नहीं था कि पड़ोसी राज्यों के साथ जटबंटवारे का समझौता रद्द करने के लिए पंजाब ने 2004 में जो कानून बनाया वह न्याय के सिद्धांतों के सामने टिक पाएगा. पंजाब के इस कदम पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि 1981 के उस समझौते को रद्द करके पंजाब अपने वादे से मुकरा है जिसके तहत उसे हरियाणा और राजस्थान के साथ पानी साझा करना था और इस काम के लिए सतलुज-यमुना लिंक नहर बनानी थी. पंजाब के इस कानून का मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से बचना था जिसमें उसे अपने हिस्से की नहर के निर्माण के काम में तेजी लाने को कहा गया था.

शीर्ष अदालत के इस फैसले के पीछे वही कारण हैं जो कावेरी और मुल्लापेरियार बांध जैसे मामलों में दिए गए फैसलों के पीछे थे. अदालत ने फिर उसी सिद्धांत का हवाला दिया कि कोई राज्य किसी विधेयक के जरिये ऐसा काम नहीं कर सकता जो देश की शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए आखिरी फैसले के खिलाफ जाता हो. पांच सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा दिया गया यह फैसला एक लिहाज से समय रहते फिर याद दिला रहा है कि अगर राज्यों को तथ्यों और कानूनों पर आधारित फैसलों को रद्द करते हुए न्यायिक शक्तियों को हड़पने की छूट दी गई तो यह कानून के शासन और संघीय व्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा.

पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मुद्दे पर अब ज्यादातर पार्टियां यह दिखाने की कोशिश में लगी हैं कि राज्य के हितों का उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं. राज्यों के अपने मामलों में सबसे बड़ा जज बनने की यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, खासकर पानी से जुड़े मुद्दों पर. सत्तासीन पार्टियों द्वारा बातचीत या विचार-विमर्श के बजाय विधेयक या फिर विधानसभा में प्रस्ताव पास करने का रास्ता अपनाने का चलन बढ़ता जा रहा है. विपक्षी पार्टियां भी इसमें इस डर के मारे बराबरी के साथ हिस्सा लेती हैं कि कहीं उन्हें राज्य के हितों का दुश्मन न समझ लिया जाए. पानी के बंटवारे क लेकर पंजाब की कुछ जायज शिकायतें हो सकती हैं. यही वजह भी थी कि 1985 में जब राजीव-लोगोंवाल समझौता हुआ तो उसमें पानी के बंटवारे से जुड़े प्रावधान भी रखे गए. इससे पहले मतभेद केंद्र द्वारा 1976 में जारी एक अधिसूचना के जरिये सुलझाए गए थे. बाद में जब मामला अदालत में गया तो 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विवाद में मध्यस्थता की और दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाया.

इसलिए देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था, जिससे पंजाब निकलना चाहता है, के तीन आधार हैं. यह समझौता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 और फिर 2004 में पंजाब के खिलाफ सुनाए गए फैसले. इसलिए पंजाब को अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अपने हिस्से की नहर का काम पूरा करना चाहिए ताकि समझौते के मुताबिक जिस पानी पर हरियाणा का हक है उसका वह इस्तेमाल कर सके. अगर पंजाब को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है तो अब भी बातचीत और समझौते की गुंजाइश निकल सकती है. लेकिन यह अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता.

6. भ्रूण परीक्षण :रोकने के उपाय

खबरों में क्यों

भ्रूण परीक्षण पर कानूनन प्रतिबंध है, मगर अब भी बहुत सारे लोग वेबसाइटों के जरिए यह कारोबार चला रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसे सर्च इंजनों से कहा है कि छत्तीस घंटे के भीतर वे भ्रूण परीक्षण संबंधी विज्ञापनों, सूचनाओं आदि को हटा दें।

क्या है आदेश

- अदालत ने इस पर नजर रखने के लिए एक नोडल एजेंसी गठित करने का भी आदेश दिया है।
- सर्च इंजन चलाने वाली कंपनियां ऐसे विज्ञापनों और सूचनाओं को हटाने के बाद नोडल एजेंसी को इत्तला करेंगी।

भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध क्यों

कुछ साल पहले तक प्रसव बड़ी-जगह परीक्षण केंद्र बड़ी-पूर्व लिंग परीक्षण का धंधा आम था। जगह-तख्तियां लगा कर भ्रूण परीक्षण किया करते थे। इसी तरह बहुत सारे अस्पतालों में अनचाहे गर्भ से मुक्ति की तख्तियां लटकी रहती थीं। दरअसल, समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभावपूर्ण मानसिकता के चलते इस कारोबार को बढ़ावा मिल रहा था। प्रसव पूर्व परीक्षण से पता चलता था कि शिशु कन्या है-तो लोग गर्भपात करा लिया करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे राज्यों में लड़के और लड़कियों का अनुपात लगातार बिगड़ता गया। हरियाणा की स्थिति इस मामले में सबसे ज्यादा चिंताजनक है।

GENERAL STUDIES HINDI

- तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद चोरी पूर्व लिंग परीक्षण पर अंकुश लगाना-छिपे प्रसव-मुश्किल बना हुआ है। जो
- परीक्षण केंद्र खुलेआम ऐसा करते थे, वे अब गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच के बहाने करने लगे हैं।
- कई परीक्षण केंद्र और चिकित्सक इंटरनेट पर सूचनाएं जारी कर भ्रूण परीक्षण के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं

Argument of search engines:

- सर्च इंजन चलाने वाली कंपनियों का कहना है कि वे कानून को ध्यान में रखते हुए ही भ्रूण परीक्षण संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराती हैं।
- इसके साथ ही उनका तर्क है कि वेबसाइटों से भ्रूण परीक्षण संबंधी सभी तरह की जानकारियां हटा देने से सूचनाधिकार कानून का उल्लंघन भी हो सकता है।

- दरअसल, सर्च इंजनों, यानी जिनके जरिए पता किया जाता है कि किस विषय की जानकारी किस वेबसाइट पर मिलेगी, से भ्रूण परीक्षण संबंधी सूचनाओं और विज्ञापनों को हटाने का प्रयास किया जाएगा तो उससे चिकित्सीय महत्त्व की सूचनाओं को तलाशने में भी कठिनाई आ सकती है।

भ्रूण परीक्षण करने वाले केंद्र लोगों में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव की मानसिकता को भुनाने से बाज नहीं आ रहे। इसलिए किसी तरह का बहाना तलाशने के बजाय सर्च इंजनों को इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। जिस देश में लड़के और लड़कियों का अनुपात काफी चिंताजनक रूप से बिगड़ पहुंच चुका हो, गर्भपात के चलते महिलाओं की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, यहां तक कि गर्भपात के दौरान बहुत सारी महिलाओं की अकाल मृत्यु हो जाती हो, वहां ऐसे कारोबार को किसी भी रूप में नहीं चलने देना चाहिए।

7. विमुद्रीकरण : इसके प्रभाव

प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा कर काले धन के खिलाफ भारत में अब तक का सबसे कठोर फैसला लिया। बंद हुए नोटों का कुल मूल्य 14.2 लाख करोड़ रुपये है, जो कि 31 मार्च, 2016 के आंकड़ों के अनुसार चलन में मौजूद कुल नोटों का 86.4 प्रतिशत है। इस कदम का उद्देश्य :

- काला धन रखने वालों को सबक सिखाना है
- भ्रष्टाचार पर चोट करने के इरादे से
- नशे के कारोबार तथा तस्करी अवैध लेन-देन को ध्वस्त करना
- आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेन-देन को ध्वस्त करना

Positives:

- बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के विस्तार को गति मिल सकती है
- संपत्ति और सर्राफा बाजारों की सफाई के साथ ही अनाप-शनाप खर्चों पर अंकुश लगेगा और आतंकवाद, उग्रवाद पर प्रहार से देश को दीर्घकाल में लाभ मिलेगा
- इस फैसले की वजह से बैंकों का कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा जिससे वो लोन पर ब्याज दर कम कर सकते हैं, और अगर बैंक लोन पर ब्याज की दर कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश होगा।
- रियल एस्टेट 'में सबसे ज्यादा कालाधन लगा हुआ है। नोटबंदी से इस सेक्टर पर काफी असर पड़ सकता है।
- नोटबंदी के बाद अघोषित आय पर लगाए गए टैक्स और जुर्माने से सरकारी खजाने में बड़ी राशि आ सकती है।
- नोटबंदी से सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी (का 0.5 प्रतिशत) 65 हजार करोड़ रुपये (टैक्स के रूप में पा सकती है। इससे वित्तीय कनसॉलिडेशन बढ़ेगा और सरकार इस पैसे का उपयोग आधारभूत ढांचे को विकसित करने में कर सकती है।
- नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की एक तरह से सफाई भी होगी जिससे बचत और निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आने से कारोबारी सहूलियत बढ़ेगी। निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा।
- चुनावों में धन का प्रभाव कम होगा
- cashless हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा

Negatives

- विश्व बैंक के पूर्व चीफ़ इकनॉमिस्ट कौशिक बासु का कहना है, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक (नोटों का रद्द किया जाना) अर्थव्यवस्था के लिए ठीक था लेकिन विमुद्रीकरण (जीएसटी)

GENERAL STUDIES HINDI

भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी जटिल है और इससे फायदे के मुक़ाबले व्यापक नुक़सान .नहीं है उठाना पड़ेगा

- यदि अप्रत्यक्ष सेक्टर और कीमतों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह कदम अल्पकालिक आर्थिक मंदी का कारण भी बन सकता है या यदि नकदी का अभाव कुछ हफ्ते तक बना रहता है तो यह दौर लंबा भी खिंच सकता है।

8. राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा

इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा का महत्त्व

इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दोनों के बीच के रिश्ते तेजी से पनप रहे हैं। रिवलिन भारत की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं लेकिन उनकी यात्रा दिखाती है कि दोनों देशों के बीच माहौल कुछ बदला हुआ है।

Bilateral visits of leadership:

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी उसके बाद ही इजरायल गए। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली इजरायल यात्रा थी और अब वंहा के राष्ट्र पति भारत आए है |

प्रगाढ़ होते सम्बन्ध :

बहरहाल, दोनों देशों के बीच के रिश्ते बीते दशकों के दौरान चरणबद्घ तरीके से बेहतर होते गए हैं। रिवलिन के साथ कारोबारियों का एक बड़ा समूह आया है और उनके मुंबई, आगरा, चंडीगढ़ और करनाल की यात्रा करने की योजना है। ये यात्राएं दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की बानगी पेश करती हैं।

- करनाल ही वह जगह है जहां कृषि का सेंटर फॉर एक्सिलेंस मौजूद है। यह केंद्र भारत और इजरायल ने सहयोग से विकसित किया है।
- इजरायल को अपेक्षाकृत विपरीत अद्र्घ शुष्क इलाके में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय अनुभव हासिल है। उक्त इलाका काफी हद तक भारत के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भाग की तरह है।
- भारत और इजरायल के बीच होने वाले कारोबार में हीरे का दबदबा रहा है लेकिन समय बीतने के साथ यह दायरा भी विस्तृत हुआ है।
- भारत की तरह इजरायल में भी स्टार्ट उद्यमिता की जीवंत संस्कृति मौजूद है और इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों को खास बढ़त मिल सकती है।
- इजरायल अब रक्षा उपकरण क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। उससे आगे रूस और अमेरिका का स्थान है।
- भारत सैन्य हार्डवेयर के मामले में इजरायल का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। बीते एक दशक में उसने इजरायल से 12 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। बतौर आपूर्तिकर्ता इजरायल की विश्वसनीयता भी खासी मायने रखती है।

GENERAL STUDIES HINDI

Balancing the Relation keeping in mind Arab Peninsula

- भारत अभी भी संतुलनकारी भूमिका में है। घरेलू संवेदनशीलता को लेकर सरकारी चिंता से इतर हमें खाड़ी देशों और सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों का भी ध्यान रखना होगा। ये देश हमारे यहां धनप्रेषण का प्रमुख स्रोत हैं।
- इसके अलावा लाखों मेहनतकश भारतीय इन देशों में रोजगारशुदा हैं। ऐसे में इन देशों के साथ हमारे रिश्तों का भी ध्यान रखना होगा।
- इसके अलावा आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी इन देशों का सहयोग आवश्यक है। हाल के वर्षों में यह सहयोग बढ़ा ही है। इसकी बदौलत आतंकवाद के खिलाफ कुछ उल्लेखनीय सफलता मिली है।

इसलिए इजरायल के साथ रिश्ते गहरे करने चाहिए लेकिन इस दौरान यह गलत छवि नहीं बनने देनी चाहिए कि हम इजरायल की ओर झुक रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की इजरायल यात्रा इस

बारे में अहम उदाहरण है। राष्ट्रपति मुखर्जी यह कहने में नहीं हिचकिचाए कि भारत फिलीस्तीन के लोगों के प्रति किस तरह प्रतिबद्घ है और कैसे वह लंबे समय से विवादों से जूझ रहे इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण हल की कामना करता है। मोदी जब इजरायल की यात्रा पर जाएं तो उनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए।

9. क्या नोटबंदी से होने वाला नुकसान उसके फायदों पर भारी पड़ने वाला है?
#Editorial द टेलीग्राफ

संदर्भ:- गिरती मांग, बाधित होता उत्पादन और नोटबंदी को अमल में लाने की असल आर्थिक कीमत मिलकर एक बड़ा नुकसान बनाते हैं। नोटेबन्दी का नकारात्मक पहलू।

- नोटबंदी का पूरा आर्थिक असर साफ होने में अभी कुछ समय लगेगा. एक चिंता यह जताई जा रही है कि इस कदम का इस वर्ष और 2017-18 में देश की आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव होगा. अगर हम मान लें कि जमा नकदी का एक हिस्सा और सारे फर्जी नोट बेकार हो जाएंगे तो साफ है कि आबादी का जो वर्ग बैंकों तक नहीं पहुंचेगा उसके पास रखी मुद्रा के भंडार में कमी आएगी.
- बैंकों का जमा बढ़ेगा लेकिन, यह मुद्रा भंडार में आई गिरावट से कम होगा. यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नकदी की मात्रा में कमी आएगी. पूरी संभावना है कि रिजर्व बैंक नकदी की उपलब्धता बढ़ाएगा और अगले कुछ महीनों में कर्ज पर ब्याज की दरें गिरेंगी. लेकिन क्या इससे निवेश की रफ्तार बढ़ेगी?
- शायद नहीं क्योंकि कारोबार तब भी नोटबंदी से पैदा हुई उथल-पुथल से जूझ रहे होंगे और उन्हें यह चिंता भी होगी कि संपत्ति या पैसे पर अगली सर्जिकल स्ट्राइक जाने कब और कैसे हो जाए. यानी अगले कुछ समय तक सस्ता कर्ज भी प्रगति की रफ्तार पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा.
- दूसरा असर छोटे-मोटे कारोबारियों और टैक्स और सरकारी निगरानी के दायरे से बाहर रहने वाले उस क्षेत्र पर होगा जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है. भारत के कामगारों का करीब 80 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद का 45 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है.
- यहां लंबे समय से नकद में ही काम होता रहा है और यह अब भी जारी है, भले ही सरकार ने लोगों के खाते खोल दिए हैं. दरअसल यह एक तरह से नौकरशाही के लिए टारगेट पूरे करने की कवायद थी जिसका लोगों के व्यवहार पर कोई खास असर नहीं पड़ा. इस क्षेत्र में जो उथल-पुथल मची है वह अगर शांत हुई भी तो ऐसा होने में भी बहुत लंबा समय लग सकता है.
- हो सकता है सरकार ने एक चोट में ही इस क्षेत्र को हमेशा के लिए पंगु बनाने जैसा काम कर दिया हो. इससे छोटे दुकानदारों पर ग्रहण लग सकता है और ज्यादा लिखा-पढ़ी वाले बाजारों की व्यवस्था उभर सकती है.
- तीसरा असर उपभोक्ता मांग पर होगा. जरूरी चीजों के अलावा सभी दूसरे उत्पादों की मांग गिरेगी क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा कैश में ही खरीदा जाता रहा है. गरीब तबके से जरूरी चीजों की मांग भी गिरेगी क्योंकि अभी कई महीने तक उसे नकदी के संकट का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा अपना पैसा निकालने या नोट बदलवाने के लिए लोगों की जो लाइनें लग रही हैं उनका आकलन अगर वक्त और मानव संसाधनों की बर्बादी के लिहाज से करें तो पूरा देश इसकी एक असाधारण कीमत चुका रहा है.
- गिरती मांग, रुकता उत्पादन और इस कदम को अमल में लाने की असल आर्थिक कीमत जैसे ये सभी कारक मिलकर अर्थव्यवस्था में मंदी लाएंगे. यानी आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर चोट पड़ेगी. लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि क्या अब भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में चीन से पीछे हो जाएगा. सवाल यह है कि क्या नोटबंदी के लक्ष्य इस तरह हासिल नहीं किए जा सकते थे कि सामाजिक नुकसान कम होता और नतीजे ज्यादा टिकाऊ।

GENERAL STUDIES HINDI

10. क्या परमाणु सिद्धांत की समीक्षा की जरुरत

what is the current nuclear policy of India

नो फर्स्ट यूज)NFU) न्यूक्लियर यूज के लिए भारत द्वारा अपनाई गई एक पॉलिसी है। इसके मुताबिक:

- भारत तब तक सामने वाले पर परमाणु हमला नहीं करेगा जबतक उसकी (दुश्मन) तरफ से ऐसा कोई हमला नहीं हो जाए।

पहले यह ही पॉलिसी केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों पर लागू थी। पाकिस्तान ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी है।

whyin news :

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने की भारतीय नीति को केवल कालभ्रम करार दिया। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह केवल एक भ्रम है। उन्होंने कहा, 'मुझे क्यों मानना चाहिए कि मैं इन हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने जा रहा? इस वक्तव्य ने भारत में फिर बहस छेड़ दी है की क्या भारत को अपनी निति की समीक्षा करनी चाहिए या नहीं

Why some are favouring change in Indias nuclear doctrine:

- अमेरिका के सामरिक विशेषज्ञों विपिन नारंग और क्रिस क्लैरी के अनुसार भारत की वर्तमान प्रचलित निति के चलते भविष्य में कभी कोई दुश्मन यह मानकर भारत पर परमाणु हमला कर सकता है कि कहीं भारत उस पर पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग न कर दे
- किसी भी देश के रणनीतिक ढांचे को हमेशा **गतिशील और लचीला** होना चाहिए। 1999-2003 के दौर से लेकर अब तक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। राजनीतिकसामाजिक बदलाव-, तकनीकी और सैन्य सुधार तथा शक्ति समीकरणों में हुए हेरफेर ने पिछले एक दशक में देश के भीतर और बाहर सुरक्षा और राजनीतिक परिवेश में नए पहलू पैदा कर दिए हैं। पड़ोस में सेना के जेहादीकरण और नॉन स्टेट ऐक्टर्स की भूमिका में लगातार और बेरोकटोक वृद्धि ने अपनी-सुरक्षा तैयारियों और जवाबी कार्रवाई करने की अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत करना हमारे लिए बेहद जरूरी बना दिया है।
- **सुरक्षा वातावरण का आकलन** लगातार किया जाना चाहिए, उसी के अनुरूप परमाणु सिद्धांत समेत अपने तमाम सुरक्षा सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण भी किया जाना चाहिए। हमारा परमाणु सिद्धांत स्वयं ही हमारे लिए प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा, रासायनिक, जैव और रेडियोधर्मी हथियारों जैसी उन सभी नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी बनाता है, जिनका किसी न किसी किस्म प्रभाव इस सिद्धांत पर पड़ सकता है। इसके साथ ही हमारा परमाणु सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह जरूरत भी हमारे सामने पेश करता है कि हम किसी भी समय उन सभी बुनियादी प्रस्थापनाओं की जांचपड़ताल करें-, जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को लेकर देश के नजरिये के केंद्र में हैं। बदलते हुए सुरक्षा परिवेश में भारतीय हितों की रक्षा के लिए सभी प्रासंगिक सैद्धांतिक विचारों की खोजबीन करना भी हमारे लिए जरूरी है।
- भारत के परमाणु सिद्धांत पर बुनियादी एतराज इस बात को लेकर है कि ये परमाणु हथियार लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को डराने के लिए हैं। इसी सोच से इन हथियारों का अपने दुश्मन पर पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति जन्म लेती है जिससे न केवल स्थिर **डेटरेंस** को संस्थागत आधार मिलेगा बल्कि भारत नैतिक रूप से भी उच्च धरातल पर खड़ा रहेगा। परन्तु इस नैयिकता और निति का क्या फ़ायदा जब इसका उपयोग हम तब करे जब हम पहले ही इसका attack झेल चुके हो

- **डेटरेंस** का अकल्पनीय सिद्धांत भारत को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। पाकिस्तान स्थित जिहादी आतंकी संगठन अब भी भारत में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वे भारतीय युवाओं को बरगलाकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं और उन्हें हथियारबंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर के भीतर अलगाववादी उपद्रव को खुलकर समर्थन दे रहे हैं और खालिस्तानी अलगाववादियों को भी उकसाने में लगे रहते हैं।
- अपनी अस्तित्वगत दुविधा के चलते पाकिस्तान अपने यहां भारत को स्थायी शत्रु की तरह देखने के राष्ट्रीय विचार को बनाए रखना चाहता है। इस्लामाबाद पर लगातार दबाव बनाए रखने वाली ताकतें कभी यह नहीं चाहेंगी कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएं। शांति, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पर चर्चा के हर प्रयास के पहले और बाद में आतंकवादी हमले अनिवार्य रूप से होंगे, हालांकि पाकिस्तान का राजनीतिक प्रतिष्ठान और वहां की सिविल सोसायटी हर बार इन हमलों में अपना कोई हाथ होने से इनकार करेगी। ऐसे में सवाल यह बनता है कि ऐसे हमलों के बाद भारत के पास चारा क्या रहेगा?

भारत को अपने परमाणु सिद्धांत की हरेक चार पांच साल में समीक्षा करनी होगी ताकि उसे उसे समय-के साथ बदलती हुई सामरिक जरूरत के मुताबिक ढाला जा सके। यह एक तरह से capacity building का काम करे न की भारत को बस दर्शक बनाए रखने का |

National Issue:

1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में गुजरात को पछाड़कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अव्वल स्थान पर

यह रैंकिंग 'एसेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स 2016' के नाम से जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे विश्व बैंक और उद्योग विभाग ने तैयार किया है

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गुजरात को पीछे छोड़ते हुए व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रैंकिंग में संयुक्त रूप पहले स्थान पर आए हैं.
- 'एसेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स 2016' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करते हुए इसकी घोषणा की है. यह रैंकिंग इसी रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट को विश्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) ने साथ मिलकर तैयार किया है.

GENERAL STUDIES HINDI

What has been taken into account

- एक जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक की व्यापार सुगमता रैंकिंग को कारोबार सुधार से जुड़े '340 प्वाइंट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान' और राज्यों द्वारा इसे लागू किए जाने के आधार पर तैयार किया गया है.
- इन सुधारों में कर सुधार, श्रम और पर्यावरण सुधार और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे सुधार शामिल हैं. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने यहां इन सुधारों को लागू करने से जुड़े दस्तावेज जमा किए थे और इनकी समीक्षा विश्व बैंक और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा की गई थी.
- इन दस्तावेजों के आधार पर सबसे ज्यादा 98.78 फीसदी अंकों के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहां पहले स्थान पर रहे वहीं गुजरात को इस साल 98.21 फीसदी के साथ दूसरे पायदान से ही संतुष्ट होना पड़ा है. इन राज्यों के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर रहे.
- साल 2016 में कुल 17 राज्यों ने 50 फीसदी से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन मार्क्स (कारोबार सुधार कार्यक्रम लागू करने से जुड़े अंक) हासिल किए हैं, वहीं 16 राज्यों ने 75 फीसदी से ज्यादा मार्क्स के साथ सूची में शीर्ष स्थानों पर जगह बनाई है.

★पिछले साल केवल सात राज्यों ने ही 50 फीसदी से अधिक मार्क्स हासिल करने में सफलता पाई थी. राष्ट्रीय स्तर पर भी इम्प्लीमेंटेशन औसत में सुधार देखने को मिला है. पिछले साल के 32 फीसदी के मुकाबले इस साल यह 48.93 फीसदी रहा.

2. हादसे की पटरी

Why rail accidents in News:

इंदौर- पटना एक्सप्रेस ट्रेन का कानपुर देहात में रेल हादसा भारतीय रेल किस प्रकार गंभीर है हादसों को रोकने में उस पर प्रश्न चिह्न करते है |

Looking into Causes

- ऐसी दुर्घटनाएं आमतौर पर पटरियों के उखड़ने या फिर पहियों में खराबी आने की वजह से होती हैं। रेल महकमा इससे अनजान नहीं है। मगर इस मामले में प्रायलापरवाही बरती जाती है। :
- स्टेशनों के आसपास की पटरियों की नियमित जांच तो होती रहती है, पर दूर दराज की जगहों- नहीं दिखाई जाती। :पर मुस्तैदी प्राय
- तेज रफ्तार गाड़ियों के गुजरने से अक्सर पटरियों की फिश प्लेटें खिसकने की शिकायत मिलती- है। वैसे भी यात्रियों का दबाव कम करने के लिए देश की ज्यादातर रेल लाइनों पर क्षमता से अधिक गाड़ियों का बोझ रहता है।इसलिए उनकी देखभाल, मरम्मत आदि में अधिक सतर्कता की जरूरत होती है, मगर इस मामले में अक्सर लापरवाही देखी जाती है। इसी का नतीजा है कि रेल हादसों पर रोक लगाना मुश्किल बना हुआ है।

Failure to implement rail safety recommendations of past

हर साल बजट में रेल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने का संकल्प दोहराया जाता है। मगर रेल हादसों पर अंकुश लगाने संबंधी जरूरी कदम अब तक नहीं उठाए जा सके हैं।

- गाड़ियों में टक्कररोधी उपकरण लगाने की योजना बरसों पहले बनी थी, पर अभी तक वह कागजों पर ही सिमटी हुई है।
- इसी तरह गाड़ियों में आधुनिक संचार उपकरण लगाने की योजना बनी थी, पर इस दिशा में अभी तक पहल नहीं हो पाई है।

ताजा रेल हादसे में एक बार फिर जांच के आदेश और मुआवजे वगैरह देकर जिम्मेदारियां पूरी समझ ली जाएंगी, पर जब तक सुरक्षा के आधुनिक उपाय नहीं किए जाते, ऐसे हादसों पर अंकुश का भरोसा दिलाना संभव नहीं होगा।

GENERAL STUDIES HINDI

3. जातीय संघर्ष में परिवर्तित होता जल संकट

पानी हजारों सालों से विभिन्न समाजों की अनिवार्य आवश्यकता रहा है। भारत में पिछले दो दशकों में यह बहुत विचित्र रूप में सामने आई है।

- देश के विदर्भ क्षेत्र या अन्य इलाकों में जब बड़ी तादाद में किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो भारतीय समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह ऐसी बातों को सहजता से लेने लगा है।
- जल प्रदूषण ने देश के कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। देश में अनाज का कटोरा कहा जाने वाला पंजाब प्रांत जो एक समय हरित क्रांति का घर और देश का गौरव हुआ करता था आज उसकी मिट्टी कीटनाशकों से त्रस्त है। उसके किसान गरीबी में दिन काट रहे हैं और वहां के लोगों को अपने आपको जिंदा रखने के लिए आय के अकल्पनीय स्रोत जैसे कि मादक पदार्थ आदि का सहारा लेना पड़ रहा है जिनकी तस्करी सीमा पार से की जाती है। एक ऐसा राज्य जो अपने जवानों के लिए देश में गौरव का विषय था वहां के युवा अब कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका जाने के लिए बेकरार रहते हैं।
- पश्चिम बंगाल अपना पानी सांस्कृतिक रूप से साझा विरासत वाले बांग्लादेश के साथ बांटना नहीं चाहता। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार ऐसा करने की इच्छुक है। शायद पश्चिम बंगाल

को लगता है कि ऐसा करने से स्थानीय स्तर पर जल संकट का भय उत्पन्न होगा। ऐसे में दूर स्थित दिल्ली उदार हो सकता है लेकिन वह नहीं।

- कर्नाटक में हाल ही में कावेरी जल संकट दोबारा पनपता दिखा। यह संकट कुछ हद तक अलग है क्योंकि कन्नड़ किसानों ने तब तक विद्रोह नहीं किया होता जब तक कि उनको यह भय और आशंका न होती कि अगर वे अपना पानी तमिलनाडु के साथ साझा करेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। ऐसे में मामला जातीय कम और आर्थिक अधिक था। इसलिए भी क्योंकि इस क्षेत्र में सदियों से कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगू भाषी लोग सहअस्तित्व में रह रहे हैं।

Is this water problem is due to bad management

- स्थानीय धारणा तेजी से मजबूत हो रही है कि कर्नाटक में चल रहा मौजूदा विवाद अन्य राज्यों में बाढ़ और सूखे के खराब प्रबंधन का नतीजा है।
- बेंगलूरु और उसके आसपास का इलाका केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि तमाम अन्य तरह के रोजगार का केंद्र बना हुआ है। इसमें बाल काटने वाले, बढ़ई, रसोइये, मूवर्स, सुरक्षा गार्ड और अन्य तमाम रोजगार शामिल हैं। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य तमाम इलाकों के कामगार शामिल हैं। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों और बेंगलुरु शहर में कचरे के भंडार का ठीकरा अक्सर इन प्रवासियों के सर पर फोड़ा जाता है

Water crisis turning into a caste/class crisis

इस गलत यकीन के पनपते जाने के कारण आर्थिक तत्त्व अपने आप में समेटे यह विवाद जातीय संघर्ष में बदलता जा रहा है। खेदजनक बात यह है कि भारत इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है। याद करें तो भारत को विभाजन के वक्त अपने इतिहास के अत्यंत रक्तरंजित दौर से गुजरना पड़ा था। हालांकि उस वक्त धार्मिक मतभेद उजागर थे लेकिन वह इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो लोगों में अलगाव पैदा करे। बेंगलूरु में केरल के लोगों के खिलाफ ऐसा जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है।

International experience:

- युगोस्लाविया में ऐसा ही संघर्ष देखने को मिला था जिसने आर्थिक से जातीय स्वरूप ग्रहण कर लिया था। यह सच है कि तत्कालीन सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर दूसरे विश्वयुद्घ के बाद युगोस्लाविया का निर्माण किया था। इस प्रक्रिया में सर्ब, जर्मन, क्रोएट, स्लोव, रोमन, ग्रीक कैथलिक और मुस्लिम आदि तमाम समुदायों के लोग शामिल हुए थे। मार्शल जोसेफ टीटो ने एक आधुनिक अर्थव्यवस्था और मजबूत सामाजिक तानेबाने वाले देश का निर्माण किया था।
- यहां अलग-अलग जातीय समूहों के बीच विवाह होना सामान्य प्रथा थी। आर्थिक मसलों को लेकर मतभेद तब शुरू हुए जर्मन स्लोवेनियाइयों ने यह शिकायत की कि शेष यूगोस्लाविया को सब्सिडी दी जा रही है। आर्थिक संसाधनों को लेकर द्वंद्व शुरू हो गया। अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति की शिकार हो गई। पश्चिमी प्रांत स्लोवेनिया ऑस्ट्रिया के निकट था और उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जर्मनी ने अपनी जातीय प्राथमिकता का उदाहरण देते हुए तत्काल उसे मान्यता दे दी और उसे यूरोपीय संघ में शामिल कर लिया। यह उसके खुद के यूरोपव्यापी नजरिये के उलट था। एक अन्य निकटवर्ती पश्चिमी प्रांत क्रोएशिया ने भी स्लोवानिया के ही नक्शे कदम पर चलना पसंद किया।
- यूगोस्लाविया का पतन हो गया। सर्ब जो रसूखदार नस्ल के थे, उन्होंने इसे अपना अपमान माना। आजाद होने वाले इससे आगे के प्रांतों से बहुत सख्ती से निपटा गया। बोस्निया-हर्जेगोबिना और उसकी राजधानी सरायेवो जो शीतकालीन ओलिंपिक के लिए तैयार हो रही थी वह मलबे में तब्दील हो गई। विभिन्न जातियों में हुए विवाह टूटने लगे। यहां तक कि पुराने विवाह भी खत्म हो

गए। यातना शिविर तैयार किए गए जहां इस्लाम को खत्म करने के लिए पुरुषों और बच्चों को जान से मारा गया और प्रताड़ित किया गया।

- कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेग्रो आदि बचेखुचे प्रांत रह गए। कुछ सर्ब नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय अदालत ले जाया गया ताकि उन पर नरसंहार का मामला चले। लेकिन युगोस्लाविया के मूल विचार का एक भयानक अंत हो चुका था।

Lesson to be learnt from this event

इतिहास ने बार-बार दिखाया है कि आर्थिक संसाधनों को लेकर छिड़ी लड़ाइयां बहुत जल्दी जातीय संघर्ष में बदल जाती है और उसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। देश में जल को लेकर जो लड़ाइयां छिड़ी हैं उनको भी इसी परिदृश्य में देखना होगा। क्योंकि देश के लिए इनके भयावह परिणाम हो सकते हैं।

Conclusion : How to solve twin problem of water and enviournment

जो लोग आर्थिक प्रगति का विरोध करते हैं उनको अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। नर्मदा बांध और अन्य बांधों की भारत जैसे देश में आवश्यकता है। समस्या का हल इनका निर्माण रोकना नहीं है बल्कि उनको पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी सक्षमता से बनाना और पुनर्वास को व्यवस्थित ढंग से अंजाम देना है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। यह मानना होगा कि अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में भारत का भ्रष्टाचार काफी ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में यह सब आसान नहीं होगा।

Security Issues:

1.भारतीय नौसेना : Challenges and reforms needed

Neglacted Indian Navy:

- भारतीय नौसेना का आकार तीनों सेनाओं में सबसे छोटा है लेकिन यह नीति निर्माण में निपुण है। परंतु रक्षा आवंटन में इसकी हिस्सेदारी चार साल पहले के 18 फीसदी से घटाकर 14.5 फीसदी कर दी गई है।
- नौसेना के कई युद्घपोत और खरीद फंड की कमी से जूझ रहे हैं। परमाणु हथियार क्षमता संपन्न विमानवाहक पोत जैसी परियोजना लंबे समय से रुकी पड़ी है

GENERAL STUDIES HINDI

Why to pay attention towards Navy:

- नीतिकारों को नौसेना की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि युद्घपोत तैयार करने और उनको नौसैनिक व्यवस्था का अंग बनाने में वर्षों लगते हैं। ऐसे में जुगाड़ के भरोसे नहीं रहा जा सकता है।
- चीन की हिन्द महासागर में बढती उपस्थति भारत की महासागरीय समाओ के लिए खतरा है जिसे neglact नहीं किया जा सकता |
- Rimland theory के अनुसार अगला युद्ध world islands के लिए लड़ा जएगा और उसमे नौसेना की भूमिका बहुत ही महत्वपुर्ण है क्योंकि पूरा यह area जमीन से नहीं अपितु सागर से ही जुदा हुआ है
- इसके अलावा हिन्द महासागर OBOR के पूर्ण होने पर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बनके उभरेगा और इसके लिए अपने सामरिक और आर्थिक interest की सुरक्षा के लिए NAVY का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है
- चीन की string of pearls का सामना करने के लिए भी strong NAVY आवश्यक है
- नेवी को दो सागरों और एक महासागर की रक्षा करनी होती है, समुद्री डकैतों से निपटना होता है, मानवीय सहायता और आपदा राहत का काम करना पड़ता है।

किन बातो पर ध्यान देना होगा NAVY को equip करने के लिए :

- नौसेना को युद्घपोतों की जरूरत है ताकि वह क्षेत्रीय सुरक्षा की अपनी विविध जिम्मेदारी निभा सके। नौसेना के योजना संबंधी दस्तावेज बताते हैं कि सन 2027 तक 198 युद्घपोतों की जरूरत होगी। इनमें से 120 यानी 60 फीसदी बड़े, आक्रामक, विमानवाहक और विध्वंसक पोत होने चाहिए और पनडुब्बियां भी। शेष 40 प्रतिशत छोटे युद्घपोत हो सकते हैं मसलन मिसाइल वोट, तेज हमला करने में सक्षम पैट्रोल बोट, उभयचर बोट और लॉजिस्टिक्स में मददगार बोट। फिलहाल नौसेना के पास केवल 140 पोत हैं जिनमें से बमुश्किल आधे ही पहली श्रेणी के भारी भरकम पोत हैं।
- **Capacity building of existing ship building docks**: देश में मझगांव डाक और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ऐंड इंजीनियर्स (जीआरसीई) ही भारी भरकम पोत बनाती हैं। वे क्षमता से ऊपर काम कर रही हैं। एमडीएल में चार विध्वंसक और चार युद्घपोत बन रहे हैं जबकि जीआरसीई छोटे पोत, तीन युद्घपोत और दो लड़ाकू जलपोत बना रही है। देश सबसे बड़े शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और छोटे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कभी भारी पोत नहीं बने। INDIA को इस पर विचार करना चाहिए।
- सेवारत युद्घपोतों की पूर्ण क्षमता भी सुनिश्चित करनी होगी। तमाम वजहों से इनकी क्षमता प्रभावित है। टॉरपीडो की खरीद स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए नहीं की गई है, कई भारी युद्घपोत शत्रुओं की पनडुब्बियों के जोखिम के साये में हैं क्योंकि उनमें आधुनिक सोनार नहीं हैं। भारत-इजरायल लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमता की कमी ने कई युद्घपोतों को पोतभेदी मिसाइलों के समक्ष अक्षम बना रखा है।
- नौसेना के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की खरीद पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हें बड़े पोतों पर तैनात किया जा सकता है। इनकी मदद से पोत की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। वे शत्रुओं के जहाजों का पता लगा सकेंगे। दशकों से भारतीय युद्घपोतों पर वेस्टलैंड सी किंग -42बी हेलीकॉप्टर तैनात रहे हैं लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिकी मातृ कंपनी ने कलपुर्जों पर रोक लगाई तो ये बेकार हो गए।
- **बेड़ों की मदद करने वाले जहाज** :ये मुख्यभूमि से दूर तैनात युद्घपोतों के लिए जरूरी हैं। इनसें ईंधन पहुंचाने, विभिन्न चीजों का भंडारण और मरम्मत आदि करने काम लिया जाता है। फिलहाल ऐसे चार पोत हैं।
  - दो 27,500 टन के टैंकर हैं दीपक और शक्ति। 35,900 टन का आईएनएस ज्योति और 24,600 टन का आईएनएस आदित्य। इस क्षमता में इजाफे के लिए एचएसल को 40,000 टन क्षमता वाले ऐसे पोत बनाने हैं।
  - इनके लिए तकनीक हस्तांतरण हुंडई हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर रही है। इस सिलसिले में दक्षिण कोरिया सरकार के साथ बहुत धीमी गति से चर्चा चल रही है जिसे तेज करना आवश्यक है।
  - इसी प्रकार चार बहु उद्देश्य पोतों के निर्माण को गति देनी होगी। इसके निजी और सरकारी पोत कारखानों से गत वर्ष बोली आमंत्रित की गई थी।
  - 4000-5000 टन क्षमता वाले ये पोत हर हुनर में माहिर होंगे। इनको लॉजिस्टिक्स सहयोग, एचएडीआर मिशन आदि के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। आखिर में, हमें छह पनडुब्बियों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम करना होगा। यह परियोजना पहले ही काफी पिछड़ चुकी है। ऐसा करने से पनडुब्बी प्रभाग मजबूत होगा।
  - वर्ष 2013 में आईएनएस सिंधुरक्षक के डूबने के बाद यह 12 तक सिमट गया है। वर्ष 2021 तक छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के बेड़े में शामिल होने के बाद कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल एमडीएल में पनडुब्बी निर्माण की महंगी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जबकि सरकार प्रोजेक्ट 75एल को मंजूरी देने में भी समय गंवा रही है।

GENERAL STUDIES HINDI

2. साइबर चुनौती

हाल ही में 19 बैंकों के 65 लाख से अधिक डेबिट कार्ड की जानकारी हैक किए जाने की खबर एक बड़ी चेतावनी है। देश की वित्तीय व्यवस्था अभी इतनी दुरुस्त नहीं है कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा सकें और ऐसी किसी आशंका से निपटने की व्यवस्था लाई जा सके। यह hacking इसलिए भी चिंता का विषय है की एक तरफ भारत cashless transaction की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के cyber अपराध | यह अपराध नागरिको के मन में संशय पैदा कर सकते है और कभी demonetisation की exercise पर ही पानी नहीं फिर जाए जो cashless society की तरफ एक कदम माना जा सकता है |

A cause of tension

- हमारी वित्तीय व्यवस्था आपस में गहन संपर्क वाली है। कई ऐसे डाटा हैं जिनमें संवेदनशील जानकारियां हैं। 60 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड फिलहाल चलन में हैं। इसके अलावा 2.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड और 13 करोड़ मोबाइल वॉलेट भी प्रचलन में हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और इनमें से कोई या शायद सभी जोखिम में पड़ सकते हैं।
- स्मार्ट फोन धारक बैंक खाताधारी यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई वित्तीय और निजी जानकारियां स्थायी खाता संख्या और आधार से जुड़ी हैं। ये दो ऐसे डाटाबेस हैं जो हजारों सरकारी कर्मचारियों की पहुंच में हरदम रहते हैं।
- इतना ही नहीं एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल कार्ड रीडर जैसे उपकरण भी बहुत बड़ी संख्या में चलन में हैं। लाखों लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं जबकि उनके कनेक्शन असुरक्षित होने की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं उनकी फिशिंग या सोशल हैकिंग भी हो सकती है। इसके जरिये पीड़ित व्यक्ति को किसी झांसे में लेकर उससे व्यक्तिगत जानकारी निकलवाई जाती है।

Situation in developed world:

विकसित देशों में जहां वित्तीय सुरक्षा तंत्र मजबूत है वहां भी अक्सर डाटाबेस को संकट में पड़ते देखा जा चुका है। इन देशों ने बचाव के तगड़े रास्ते तैयार किए हैं।

- डाटाबेस कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि अगर एक तक किसी की पहुंच हो जाए तो भी दूसरे सुरक्षित रहें।
- उन देशों ने भारत से बाहर काम करने वाले कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था बनाई है ताकि वित्तीय साइबर अपराध और पहचान चोरी को जल्दी दर्ज किया जाए।
- वित्तीय सेवा प्रदाता और सरकारों ने स्पष्ट, प्रमाणित संचार व्यवस्था विकसित की है ताकि पीड़ितों को तत्काल जानकारी देकर उनसे पिन और पासवर्ड बदलवाए जाएं।

GENERAL STUDIES HINDI

हमारे यहां ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। मसलन डाटा सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। पैन और आधार का डाटा कितना सुरक्षित है यह स्पष्ट नहीं है। साइबर अपराध और पहचान चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की व्यवस्था है लेकिन उनका प्रचार नहीं हुआ है। डिजिटल इंडिया पहल पर जोर ने सरकारी सेवाओं और वित्तीय व्यवस्था को ऑनलाइन किया है जो सराहनीय है। इससे हर किसी को आसानी होती है। परंतु इससे साइबर अपराधियों को भी मदद मिलती है। मौजूदा मामले जैसे निजता भंग के मामले न केवल उपभोक्ताओं के यकीन को क्षति पहुंचाते हैं बल्कि बेहतर व्यवस्था की जरूरत भी उजागर करते हैं।

Social Science:

1. ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में भारत 87 स्थान पर

- वैश्विक लैंगिक विषमता रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को महिलाओं और पुरुषों के बीच सबसे चुनौतीपूर्ण असमानता के रुप में सूचित किया गया है।
- इस रिपोर्ट में भारत लैंगिक समानता सूचकांक में 21 पायदान ऊपर उठा है। मगर भारत अभी भी 144 देशों में निराशाजनक 87वें स्थान पर है।
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत ने पूरी तरह से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दाखिले में लैंगिक अंतर को खत्म कर दिया है।
- रिपोर्ट में जारी रुझानों के हिसाब से अगले 170 सालों तक महिलाओं और पुरुषों के बीच में कमाई को लेकर बना ये वैश्विक अंतर खत्म भी नहीं हो सकता।
- दुनियाभर में महिला-पुरुषों के बीच वेतन और शिक्षा के क्षेत्र में समानता में गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट आर्थिक समानता में भी देखी गई है। इस नए परिवर्तन की वजह से दुनिया एक साल में 52 साल पिछड़ गई है।
- **कौन जारी करता है रिपोर्ट** : विश्व आर्थिक मंच (WEF)

RANKING ON GLOBAL GENDER GAP

	2015	2016
Iceland	1	1
Finland	3	2
Norway	2	3
Sweden	4	4
Rwanda	6	5
India	108	87

India profile	'15	'16
Economic participation & opportunity	136	139
Educational attainment	125	113
Health and survival	143	142
Political empowerment	9	9

Source: The Global Gender Gap Report 2016

2. भारत की राष्ट्रीय आय में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी यदि महिला कार्यबल पुरुषों के स्तर का हो जाये

- भारत की राष्ट्रीय आय में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है यदि यहां के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों के स्तर के बराबर हो जाए। यह बात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कही है। IMF ने कहा कि उदाहरण के तौर पर यदि महिलाएं भी पुरूष के बराबर कार्यबल में हिस्सेदारी करेंगी तो अमेरिका की राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत, जापान में नौ प्रतिशत और भारत में 27 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
- वीमेंस एंपावरमेंट: एन इकोनॉमिक गेम चेंजर में IMF ने कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और समान मेहनताने से बेहतर आर्थिक वद्धि होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी देश के लिए आर्थिक तौर पर स्थितियां बदलने वाला हो सकता है। महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों से विविधता को बढ़ावा मिलेगा और विश्वभर में आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी।
- ग्लोबल मैकेंजी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी क्षेत्र में लैंगिक समानता के मामले में भारत अपने कई पड़ोसी देशों से भी पीछे है।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की आबादी 60 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन देश के श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी केवल 27 फीसदी है जबकि वैश्विक स्तर पर ये औसत 40 फीसदी से ज्यादा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर पुरुष भी घर में महिलाओं के काम में हाथ बंटाना शुरू करे दें तो महिलाओं के पास काम करने के लिए ज्यादा मौके होंगे। इसका असर जीडीपी पर भी पड़ेगा।

पिछले दशक में घटा कामकाजी महिलाओं का अनुपात

भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कामकाजी महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। पिछले साल आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सालों में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या घटी है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार ने 2005 से 2014 के बीच महिलाओं के अनुपात में दस फीसदी की गिरावट आई है। इस दौरान महिलाओं का अनुपात 37 से घटकर 27 फीसदी पर आ गया।

3. बाल अपराध : असुरक्षित बचपन

क्यों खबरों में

दो दिनों में दो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं चिंतित करने वाली हैं। पहले केशवपुरम में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके अगले दिन सराय रोहिल्ला में भी एक बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाकर उसे मरने के लिए गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि राजधानी बच्चों के लिए बेहद असुरक्षित हो गई है।

एक नजर आंकड़ो पर : बाल अपराध रोकने में नाकाम समाज

- इस वर्ष अक्टूबर महीने तक दिल्ली से 5888 बच्चे गायब हुए हैं लेकिन इनमें से मात्र 1787 बच्चों को ही पुलिस ढूंढ सकी है।
- बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने की तमाम योजनाएं बनाने, समिति व आयोग के गठन के बावजूद राजधानी में देश का भविष्य सर्वाधिक असुरक्षित है।
- नाबालिगों से देह व्यापार से लेकर बच्चों की खरीद-फरोख्त का काम भी बेरोकटोक जारी है।
- दिल्ली की यह स्थिति तब है जब यहां बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं सरकार दोनों स्तरों पर तमाम तरह की योजनाएं संचालित होती हैं।
- इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ तक के बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है

समीक्षा करने की जरुरत:

कई स्वयंसेवी संस्थाएं व सरकारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। इसके बावजूद बच्चों के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ने से इन संस्थाओं के कामकाज और योजनाओं पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए बाल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए।

- बच्चों से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जहां कठोर कानून बनाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
- समाज को भी जागरूक होना होगा। मासूमों को सबसे ज्यादा खतरा घर, आस-पड़ोस और रिश्तेदारों से होता है।
- बच्चों के शारीरिक शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनी पॉक्सो अदालतों में तेजी से ट्रायल नहीं हो रहा है। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। इस बाबत जनहित याचिका भी लगाई गई है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।
- बच्चों को यौन शोषण जैसे अपराधों से बचाने के लिए पुलिस, बाल आश्रम और अस्पतालों में रहने वाले कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना होगा, साथ ही माता-पिता को बच्चों को पर्याप्त वक्त देने के साथ ही संदिग्ध व्यवहार वाले लोगों से बच्चों को दूर रखना चाहिए।
- बच्चों को अपरिचित लोगों के साथ खेलने, शादी समारोह में किसी परिचित के साथ अकेले जाने और घर से बाहर जाने से रोकना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोपी चाहे कोई भी इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए।

4. 1% भारतीयों के पास है देश की 58.4% संपत्ति: ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट

- देश में नोटबंदी पर जारी चर्चा के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 फीसदी भारतीयों के पास देश की 58.4 प्रतिशत संपत्ति है।
- वेल्थ रिपोर्ट की मानें तो भारत में संपत्ति बढ़ रही है लेकिन इसका फायदा सभी को नहीं हो रहा है। 96 फीसदी वयस्क आबादी की संपत्ति 6.84 लाख रुपए (10,000 डॉलर) से कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार 10 फीसदी अमीरों के पास देश की 80.7 फीसदी संपत्ति है। वैश्विक स्तर पर 10 फीसदी आबादी के पास 89 फीसदी संपत्ति है। वहीं बीते साल यह आंकड़ा 87.7 फीसदी का रहा था।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 फीसदी भारतीयों के पास देश की 58.4 प्रतिशत संपत्ति है तो वहीं थाइलैंड में 1 प्रतिशत के पास 58 प्रतिशत, ब्राजील में 43.8 प्रतिशत और चीन में 43.8 प्रतिशत है।

5. स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन गए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में यह महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से सृमद्ध बनाने के लिए एक कारगार माध्यम है।

What is self help group (क्या है स्वयं सहायता समूह):

- स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैछिक समूह है जो-:
- नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं|
- व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं|
- सामूहिक निर्णय लेते हैं|
- सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं|
- समूह द्वारा तय किये गए नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं|

CASE STUDY:

- कई सहायता समूहों की महिलाओं ने बकरी पालन का व्यापार शुरू किया है। ये महिलाएं अपनी बकरियों को एटीएम कार्ड कहकर पुकारती हैं। स्वयं सहायता समूह के पास ऋ ण सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इतनी क्षमता नहीं होती कि बड़े दुधारू जानवर जैसे गाय, भैंस आदि खरीद सकें। इस तरह समूह एक बकरी चार से पांच हजार रुपये में और बकरी का बच्चा हजार रुपये में खरीदते हैं।
- राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के अंर्तगत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और ऋ ण भी उपलब्ध कराया जाता है। जब बकरों की मांग बढ़ती है तो बड़े शहरों से व्यापारी आते हैं उनको बकरियों को अच्छी कीमत पर बेचा दिया जाता है।
- गांवों में बकरी चराने की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर परिवारों के पास अपनी कृषि भूमि होते हैं, वह अपनी बकरियों को गेहूं और अन्य फसलों के अपशिष्ट खिलाकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुरुष भी महिलाओं के साथ इस काम को बढ़ावा देकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि बकरियों के पालन पोषण और अगर वह बीमार हो जाएं तो डॉक्टरी इलाज की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है।
- इस लिए इन्हें सामान्य पशु उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बकरी पालन के इस व्यवसाय में ज्यादातर महिलाएं एक विशेष प्रकार की बकरी पालती हैं जिसे "बारबरा पीढ़ी" कहा जाता है, उसके कान छोटे और रंग चितकबरा होता है। इस पीढ़ी की बकरी साल में दो बच्चे और दूसरी पीढ़ी के झुंड से अधिक दूध देती हीं। उक्त गांव में भी बकरी का दुध 100 रुपये लीटर मिलता है जबकी बरसात के मौसम में जब डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है तो दूध की कीमत 600 लीटर तक पहुंच जाती है। क्योंकि बकरी का दूध डेंगू बुखार में रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस तरहा स्वयं सहायता समूह से महिलाओं में आर्थिक निर्भरता बढ़ रही है।

GENERAL STUDIES HINDI

6. मुश्किल में है बचपन, खतरे में भविष्य

गैर सरकारी संगठन प्लान इंडिया द्वारा देशभर में किए गए इस सर्वे और परामर्श की रिपोर्ट में देश के अलग-अलग क्षेत्रों में मुश्किल में फंसे बच्चों की विभिन्न समस्याएं उल्लेखित की गई हैं।

A look on figures of child labours:

- देश के 43 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा 18 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में हैं।
- 75 फीसद राज्यों में बच्चों की तस्करी और लापता होना तीसरा मुख्य मुद्दा है।
- उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के 19 राज्यों में बाल विवाह बड़ी समस्या है।
- पूर्वी व उत्तर पूर्वी राज्यों में बच्चों का एड्स पीड़ित होना और नशाखोरी की समस्या है।

'मुश्किल परिस्थितियों में बच्चे ' विषय पर किए गए सर्वे के अनुसार

- उत्तरी क्षेत्र में बाल विवाह गंभीर चिंता का विषय है।
- राजस्थान इसमें सबसे ऊपर है जहां 57.6 फीसद लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है।
- दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जिसका 54.9 फीसद का आंकड़ा भी विचलित करने वाला है
- हरियाणा में यह आंकड़ा 28 फीसद है।
- **बाल तस्करी बड़ी समस्या** : बाल मजदूरी और बाल तस्करी भी सर्वे में बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। **बाल मजदूरी का कारण** तेजी से बढ़ता शहरीकरण और पलायन है। असंगठित क्षेत्र का बढ़ना और संगठित क्षेत्र का संकुचित होना भी कारण है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल तस्करी होती है।
- बच्चों की **तस्करी के संगठित अपराध** भी होते हैं, जिसमें भिक्षावृत्ति, अंग व्यापार शामिल हैं। बच्चों की तस्करी ज्यादातर आपदा प्रभावित क्षेत्रों से होती है। इसे रोके जाने की जरूरत है, लेकिन ढांचागत संसाधनों की कमी है।
- बच्चों की तस्करी यौन व्यापार और खेतों में काम के लिए की जाती है ' पंजाब और हरियाणा में बच्चे खेती से जुड़े काम करते हैं

क्या करने की जरुरत

- समाज में जागरूकता जरूरी : बाल यौन शोषण की समस्या को उजागर करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे रोकने के लिए समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है इसके बगैर कानून प्रभावी नहीं हो सकता।
- उत्तर प्रदेश में पुलिस में महिलाओं की कमी और लड़कियों के आश्रय गृहों की कमी है। इसके लिए आवश्यक है की महिला police को भी बढाया जाए

Some facts to remember

- हर सेकेंड एक बच्चा किसी न किसी रूप में बाल यौन शोषण का शिकार होता है
- ' यौन शोषण के लिए 28 लाख लोगों की सालाना तस्करी होती है, इसमें से 40 फीसद बच्चे होते हैं

7. डार्क स्पॉट्स ख़त्म करना सराहनीय कदम परन्तु और भी बहुत कुछ की जरुरत

why in news

12500 डार्क स्पॉट्स रोशन करने का दक्षिणी नगर निगम का फैसला सराहनीय है। इसके बीच सवाल यह उठता है की हर एजेंसी अपना अलग अलग अभियान क्यों चला रही है एक समायोजित योजना क्यों नहीं बनाती | इसके लिए दिल्ली सरकार की भी अलग से योजना है |

GENERAL STUDIES HINDI

Why lightning of these spots:

ये वो इलाके है जो सुरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं और कोई भी रौशनी का प्रबंध नहीं है । ऐसे में महिलाओं का इन रास्तों से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए ऐसा करना बेहद जरूरी है। जिगिषा घोष हत्याकांड को सात साल बीत गए और उसके बाद वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड |यह दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इनसे निजात दिलाए।

<u>One question which should be asked mere identification and lightning of these dark spots will solve the problem of crime against women in urban area</u>

जब कभी कोई वारदात होती है तो सरकार के सभी विभाग इन डार्क स्पॉट्स को खत्म करने की बात करते है, लेकिन एक बार स्थिति सामान्य होते ही उन्हें इसकी फिक्र नहीं रह जाती है। दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली नगर निगम, सभी बारबार बातें करते रहते हैं-, लेकिन योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने की जल्दबाजी नहीं दिखाते। इससे समय के साथ डार्क स्पॉट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है।सोचने वाली बात यह है कि क्या

सिर्फ डार्क स्पॉट्स को ही खत्म करने भर से ही दिल्ली में अपराध कम हो जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि :

- दिल्ली पुलिस रात के वक्त सभी सड़कों पर गश्त की उचित व्यवस्था करे।
- यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिसकर्मी हर सड़क पर मौजूद होंगे। इसके लिए जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए।
- दिल्ली सभी प्रमुख सड़कों को सीसीटीवी कैमरे की जद में लाने की जरूरत है।
- यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन सीसीटीवी कैमरों की हर वक्त निगरानी हो।
- पुलिस कंट्रोल रूम को किसी भी तरह की गलत हरकत दिखे तो उसे तुरंत पीसीआर पुलिस कंट्रोल) वैन को सूचित करना होगा ताकि वक्त रहते अपराध को रोका जा सके। (रूम
- इसके अलावा पुलिसकर्मियों को भी अपने व्यवहार में बदलाव करना होगा।
- उन्हें लोगों से बातचीत में सौम्यता बरतनी होगी। दिल्लीवालों को भी हर तरह की सूचना पुलिसवालों को देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- उन्हें भी यह समझना होगा कि दिल्ली पुलिस उनकी मदद के लिए है। दोनों ओर से जब तक हाथ नहीं बढ़ेगा तब तक अपराध को कम कर पाना मुमकिन नहीं होगा।

यह बात दिल्ली पर ही लागू नहीं होती अपितु देश के तमाम शहर जो बढती आबादी के साथ इस तरह के अपराधो का शिकार है

Economy:

1. प्लास्टिक मनी: और काले धन का सृजन में कमी

काले धन पर सरकार का प्रहार : विमुद्रीकरण

सरकार द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के मूल्य वाले नोट बंद करने के फैसले को काले धन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। इससे इन नोटों के रूप में भारी पैमाने पर जमा काले धन के बड़े हिस्से पर चोट होगी।

- सरकार का अनुमान है कि इन नोटों के रूप में तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा वित्तीय तंत्र में है।
- अगर समांतर अर्थव्यवस्था का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी (के 20 फीसदी के बराबर है तो 3.4 लाख करोड़ रुपये का काला धन इन नोटों के रूप में है और अब इन पर भारी हर्जाने के बाद कुछ तंत्र में आ सकता है।
- इसमें से कुछ राशि) जीडीपी के 2 फीसदी से अधिक (नष्ट भी की जा सकती है क्योंकि लोग मुकदमेबाजी से बचने के लिए इसका खुलासा करने से डरेंगे क्योंकि सरकार ने दो महीने पहले सितंबर, 2016 तक अपनी अघोषित आमदनी का ऐलान करने का एक अवसर दिया था लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने ऐसा नहीं किया।

हालांकि यह लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेगा लेकिन सरकार का कर राजस्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, मगर यह असर बहुत ज्यादा नहीं होगा।

इस फैसले के अहम पहलुओं का आकलन

a) **क्या Black money पर नियंत्रण होगा :** इन नोटों को अवैध घोषित करने से जरूरी नहीं कि नए काले धन के सृजन पर विराम लग जाए। इसमें केवल उसी से निपटा जाएगा, जो अघोषित आमदनी के रूप में होगा। काले धन के सृजन पर तब तक विराम नहीं लगेगा जब तक कि सरकार रियल एस्टेट और चुनावों के रूप में उनकी प्रमुख जननी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाती। साथ ही प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी का रुख करने वाले लोगों के लिए किसी तरह का पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है। इससे कई बार क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को उस उत्पाद या सेवा की असल कीमत से कुछ अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है।
अगर सरकार प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ प्रोत्साहन देती है तो यह बेहतर होगा।

b) इसके फायदों पर बहस:

- मिसाल के तौर पर इसमें सरकार का क्या नुकसान होता अगर सार्वजनिक उपयोग और आकस्मिक सेवाओं के लिए तीन से लेकर छह दिन के बजाय महीने भर पुराने बड़े नोटों में भुगतान की इजाजत दी जाती?
- इससे बैंकों और डाकघरों के बाहर लगी लंबी कतारों के साथ हुए भारी गतिरोध और कई बाजारों में ठप हुए खुदरा व्यापार की स्थिति से बचा जा सकता था। छोटे कारोबारी, घरों में काम करने वाली मेड, सब्जी विक्रेता और साफ सफाई करने वालों को उतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़तीं, जिनसे फिलहाल वे दो-चार हो रहे हैं।
- समाज के आर्थिक रूप से संपन्न तबके के पास फिर भी तमाम विकल्प हैं। मसलन क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिये वे अपनी तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस फैसले को अमल में लाने से पहले बैंकों और डाकघरों की अपर्याप्त शाखाओं पर विचार नहीं किया गया कि इसे मूर्त रूप देने में उन्हें कितनी मुश्किलें आएंगी।
- लंबी समयसीमा से काला धन रखने वाले ऐसे लोगों को मौका मिल जाता, जो इनका उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। मगर तब आतंक से निपटने के लिए कुछ और तरीके अपनाए जा सकते थे, जिन पर बहस हो सकती है। लेकिन यह तय है कि लंबी समयसीमा से छोटे व्यापारियों और गरीब तबके के लोगों के एक बड़े वर्ग को ऐसी परेशानी नहीं होती। ऐसे में इस कवायद के बुनियादी लक्ष्य यानी काले धन पर अंकुश लगाने की मुहिम तब भी पूरी हो जाती।

c) इसके लागू करने के तरीको पर प्रश्नचिन्ह :

- सरकार ने आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत अधिसूचना के जरिये इन नोटों को अमान्य कर दिया।
- वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने 1,000 के अलावा 5,000 और 10,000 रुपये के नोट बंद करने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया था। यह अध्यादेश मार्च 1978 में कानून बन गया।
- इसके दो दशक बाद दिसंबर, 1998 में 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने के मामले में भी यशवंत सिन्हा को यही करना पड़ा, जिसके लिए उच्च मूल्य बैंक नोट) मुद्रीकरण (अधिनियम, 1978 में संशोधन करना पड़ा
- मोदी सरकार ने आरबीआई अधिनियम का विकल्प चुना, जिसके तहत केंद्रीय बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सुझाव के बाद सरकार किसी मुद्रा को अमान्य घोषित करने का फैसला कर सकती है। 8 नवंबर को जो हुआ, उसका मर्म यही है कि विमुद्रीकरण किसी सरकारी अधिसूचना के जरिये भी हो सकता है और उसके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता नहीं है जैसा कि 1978 में देसाई सरकार और 1998 में सिन्हा ने किया

GENERAL STUDIES HINDI

2. आईटी की मुश्किलें

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग इस समय एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस उद्योग की बड़ी कंपनियों के राजस्व में आ रही गिरावट और भविष्य के अनुमानों में भी कटौती किए जाने से इस क्षेत्र पर पड़ रहे दबाव को महसूस किया जा सकता है।

A look on falling growth in IT industry:

- आईटी उद्योग की प्रतिनिधि संस्था नैसकॉम ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्यात राजस्व के अनुमान को 10-12 फीसदी के पूर्व-घोषित लक्ष्य से घटाकर 8-10 फीसदी कर दिया है।
- पिछले वित्त वर्ष) 2015-16) की शुरुआत 12-14 फीसदी राजस्व वृद्धि के लक्ष्य के साथ हुई थी लेकिन अंत में यह केवल 107.8 अरब डॉलर ही रहा जो कि 9.4 फीसदी अधिक था।
- वर्ष 2014-15 में आईटी उद्योग का राजस्व 13 फीसदी की दर से बढ़ा था लेकिन वह भी 2010-11 से लेकर 2013-14 तक के 4 वर्षों में हासिल 20 फीसदी वृद्धि दर से काफी कम था।

गिरावट के कारण

- निर्यात--केंद्रित इस उद्योग की वृद्धि दर में आ रही गिरावट की व्याख्या आंशिक तौर पर वैश्विक विकास और उद्योग में आई सुस्ती से की जा सकती है।
- दो अनिश्चितताओं ने हालात को और बिगाडने का काम किया है। ब्रेक्सिट के बाद अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से अमेरिकी नौकरियों को संरक्षण देने और एच1बी वीजा में कटौती की आशंका ने परिदृश्य को और धुंधला कर दिया है।
- **अंदरूनी चुनौती** : इन बाहरी खतरों के अलावा भारतीय आईटी कंपनियां अंदरूनी चुनौती से भी जूझ रही हैं। बीती सदी के आखिरी वर्षों से भारतीय आईटी कंपनियों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेहतर सेवाएं देकर अपनी खास जगह बनाई जिससे भारत जल्द ही दुनिया में आउटसोर्सिंग का अग्रणी केंद्र बन गया। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। स्वचालन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटलीकरण की समग्र कोशिशों के दौर में ग्राहक फर्म उम्मीद करती हैं कि आईटी कंपनियां उन्हें एक ही जगह पर ये सभी समाधान मुहैया करा दें।
- उन्हें न केवल दिग्गज वैश्विक आईटी सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पद्र्धा का सामना करना पड़ रहा है बल्कि विनिर्माण में जीई और खुदरा कारोबार में एमेजॉन जैसी कंपनियों के आईटी नवाचार से भी निपटना पड़ रहा है। GE और AMAZON अपनी आईटी क्षमताओं को इस तरह से विकसित कर रही हैं कि उन्होंने इसे शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया है।

How Indian IT companies Transforming themselved:

- भारत में सॉफ्टवेयर क्षेत्र के दिग्गज न केवल इस स्थिति से परिचित हैं बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने विशेषीकृत क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के अधिग्रहण और नवाचार पर ध्यान देने के लिए अपने संसाधनों को पुनर्गठित करने जैसे तरीकों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। इससे उन्हें अपने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से सेवाएं देने में आसानी हो रही है।
- विशाल सिक्का की अगुआई वाली इन्फोसिस ने नवाचार के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं और वह स्वचालन को जल्द से जल्द लागू करने को बेहतर मानते हैं।
- एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टीसीएस ने कारोबार के डिजिटल हिस्से पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि यह कंपनी अब मान रही है कि डिजिटल का मतलब केवल कंप्यूटर न रहकर सबकुछ हो गया है।

क्या और करना होगा :

- आईटी उद्योग को अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत डिजिटल सहायक की भूमिका निभाने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ को नए सिरे से प्रशिक्षित करना होगा।
- आईटी कंपनियों को शिक्षण संस्थानों और सरकार के साथ मिलकर नए प्रशिक्षुओं के जानकारी स्तर को बेहतर बनाने की पहल करनी होगी।

GENERAL STUDIES HINDI

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का असर

लगातार दो वर्षों के सूखे के बाद इस साल बेहतर मॉनसून की मेहरबानी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आखिरकार सुधार होता दिख रहा था। आशा जताई गई कि खरीफ उत्पादन में भारी बढ़ोतरी से ग्रामीण उपभोग में इजाफा समग्र आर्थिक वृद्घि को तेजी देता। मगर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का जो फैसला किया, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह शिकंजे में कस रहा है।

क्यों हुआ असर

- असल समस्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत हद तक नकद लेनदेन पर आधारित है, जबकि शहरी मध्यम वर्गीय लोगों के पास ऑनलाइन, मोबाइल मनी के अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं।
- यह स्वाभाविक कमजोरी परिदृश्य को और बदतर बना देती है कि 90 फीसदी से अधिक ग्रामीण इलाके बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण नए नोटों को उन तक पहुंचाने की सरकारी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं|

- जबसे सरकार ने नोटबंदी का निर्णय किया, उसके 10 दिनों के भीतर सरकार अखिल भारतीय स्तर पर केवल 10 फीसदी नकद निकासी को ही संभव बना पाई है। हैरानी की बात नहीं कि इसके कारण नकदी की किल्लत हो गई, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल कर दिया है।
- ग्रामीण मजदूरी दरें नवंबर, 2013 से ही गिरावट की शिकार हैं और यह गौर करने वाला पहलू है कि इस दौरान सूखे की मार बहुत प्रभावी रही। कुल मिलाकर ग्रामीण आमदनी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई।
- विमुद्रीकरण के समय को लेकर भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं क्योंकि यह घोषणा कृषि से जुड़ी गतिविधियों के बेहद व्यस्त दौर के बीच में हुई है, जहां किसान या तो खरीफ फसल की कटाई कर रहे थे या फिर रबी फसल की बुआई में लगे थे।
- तमाम किसानों को अपने उत्पादों के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि खरीदारों के पास नकदी नहीं है, जिसके कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है।
- पहले कटाई करके फसल बेचने वाले खुशकिस्मत किसानों को एक और बदनसीबी ने आ घेरा है क्योंकि फसल बेचने के बदले उन्हें जो नोट मिले, वे अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में इन किसानों के पास नई फसल की बुआई के लिए बीज और खाद जैसी बुनियादी चीजों को खरीदने के लिए नकदी नहीं हैं।

सरकार के कदम इस दिशा में

ग्रामीण इलाकों से तमाम दर्दनाक वाकयों के बाद सरकार की भी आंखें खुलीं और उसने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए। जैसे किसानों के लिए नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी। इसके अलावा फसल बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत भी बढ़ा दी। कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर शुरुआत में विरोध जताने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह मांग भी मान ली कि किसानों को 500 रुपये के पुराने नोट के बदले बीज खरीदने की इजाजत दी जाए।

विश्लेषण

बीज खरीदारी में रियायत जैसे कदम उठाने में सरकार ने बहुत देर कर दी। जैसे साल दर साल केवल 30 फीसदी बीज ही बदले जा रहे हैं। दुखद पहलू है कि रबी फसल में गेहूं बुआई के लिए 15 से 20 नवंबर का समय आदर्श माना जाता है। अगर देर से बुआई होती है और खासतौर मार्च में अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है तो इससे फसल उत्पादन प्रभावित होगा। साथ ही यह राहत उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे अहम उत्पादों के लिए नहीं दी गई है, जिनकी कमी से उत्पादन घटकर आधा भी रह सकता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि क्षेत्र में 0.2 फीसदी की गिरावट आई, जबकि 2015-16 के दौरान इसमें महज 1.2 फीसदी का इजाफा हुआ। अगर कमजोर आधार की भी बात करें तो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में 1 फीसदी से भी कम बढ़ोतरी का अनुमान है। स्पष्ट है कि ग्रामीण आपदा को दूर करने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।

GENERAL STUDIES HINDI

4. भारतीय रुपए में आई गिरावट के पीछे कारण

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो स्तर छुआ। रुपये का यह स्तर 28 अगस्त 2013 के बाद से अबतक का सबसे निचला स्तर है। भारतीय मुद्रा में आई इस गिरावट की मुख्य वजह तमाम मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स में आई तेजी मानी जा रही है।

भारतीय रुपए की गिरावट के पीछे पांच बड़े कारण:

1.यूएस बॉण्ड यील्ड में इजाफा:

एक नवंबर 2016 से अबतक भारत की 10 वर्षीय बॉण्ड यील्ड में 60 बेसिस प्वाइंट की गिरावट आ चुकी है। हालांकि यूएस की 10 वर्षीय बॉण्ड यील्ड बढ़कर 2.35 फीसदी हो गई है, जो कि 1 नवंबर से पहले

1.82 फीसदी थी। इस वजह से ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसों की तेज निकासी कर रहे हैं।
एक अक्टूबर से 23 नवंबर तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार से 16,936.20 करोड़ के शेयर्स ऑफलोड कर चुके हैं।

2. डॉलर की मजबूती:

डॉलर इंडेक्स ने 13 वर्ष का उच्चतम स्तर छुआ, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अच्छी हालत का संकेत दे रही है। डॉलर इंडेक्स में आई तेजी के कारण तमाम मुद्राएं कमजोर हो रही हैं जिनमें रुपया, इंडोनेशियन रुपिया आदि शामिल हैं।

3.एफसीएनआर रीडेम्प्शन:

वर्ष 2013 सितंबर में रुपए में भारी कमजोर आई थी। रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने एफसीएनआर विंडो खोली ताकि देश में डॉलर आ सके। इस विंडो के जरिए अबतक 29 बिलियन डॉलर जुटा लिए गए हैं। इसकी मियाद अब पूरी होने वाली है। इसलिए रुपए पर इसका दबाव बढ़ रहा है।

4. सिस्टम में liquidty

एडलवाइसेस के मुताबिक देश में नोटबंदी के बाद से लोगों के हाथ में नकदी घट गई है। इस वजह से इंटर बैंक लिक्विडीटी बढ़ गई है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बैंकों के पास 6 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि इकट्ठा हो गई है। आरबीआई ने बताया कि उसके पास बैंकों की तरफ से जो भारी मात्रा में नकदी आई है उस पर उसे बैंकों को ब्याज देना होगा, जो करीब 80,000 करोड़ प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गया है।

5. US FED रेट में बढ़ोतरी:

बाजार विश्लेषकों के अनुसार दिसंबर के महीने तक फेड रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढोतरी कर सकता है। ब्याज दरों में इजाफे की संभावना से फंड मैनेजरों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिन्हें 0 फीसदी ब्याज दर पर पैसा मिला हुआ है, वो मुनाफा कमाने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों का रुख करेंगे।

5. रुपये की गिरावट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर

डॉलर में मजबूती के चलते रुपया लगातार गिर रहा है और संभावना जताई जा रही है कि रुपया अभी और कमजोर हो सकता है. आर्थिक जानकारों के मुताबिक माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह 70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है. जानें रुपये की गिरावट के कौन-कौन से निगेटिव असर आपको देखने को मिल सकते हैं-

GENERAL STUDIES HINDI

1.रुपये की गिरावट से महंगाई बढ़ने का डर: रुपये की गिरावट से imports महंगे होंगे जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे. इसका सीधा असर महंगाई बढ़ने के रूप में देखा जाएगा.

2. सरकारी घाटा बढ़ेगा:-रुपए में कमजोरी से देश के सरकारी घाटे पर दबाव बढ़ने का डर रहता है जिसके चलते सरकार को खर्च नियंत्रित करना पड़ सकता है, इसका सीधा असर देश की विकास दर पर देखने को मिल सकता है.

3.पेट्रोल-डीजल होंगे महंगे:-भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों के इंपोर्ट में जाता है और ये डॉलर में भुगतान किया जाता है. रुपए में गिरावट की वजह से कच्चे तेल के इम्पोर्ट बिल (आयात बिल) महंगे हो सकते हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकती है. इसके चलते आने वाले समय में आपको पेट्रोल-डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

4.विदेश में पढ़ाई और घूमना होगा महंगा: डॉलर महंगा होने और रुपया सस्ता होने से विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी. इसके अलावा विदेशी पर्यटन की लागत भी बढ़ सकती है. लोगों को विदेश घूमने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा.

5.पेंट, साबुन, शैंपू इंडस्ट्री पर असर:- रुपए में गिरावट बढ़ने से अगर पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हुए तो पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ साबुन, शैंपू, पेंट इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी जिससे ये प्रोडेक्ट भी महंगे हो सकते हैं.

6.ऑटो इंडस्ट्री की बढ़ेगी लागतः- भारी मात्रा में इम्पोर्ट होने वाले ऑटो और मशीनों के कम्पोनेंट के डॉलर पेमेंट में इजाफा हो सकता है. इसकी वजह से कंपनियों को डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे.
7.माल ढुलाई होगी महंगीः- वहीं, क्रूड में अगर कोई गिरावट आती है तो भी रुपए में गिरावट से इसका असर खत्म हो सकता है. डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि महंगे डीजल से माल ढुलाई बढ़ने की आशंका है.
8.Exports में आएगी गिरावटः- हालांकि रुपये की गिरावट से एक्सपोर्ट में आमतौर पर इजाफा होता है लेकिन मौजूदा स्थिति में शायद से संभव ना हो सके क्योंकि अमेरिका और यूरोप वैसे ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं जिससे वहां से एक्सपोर्ट में ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद नहीं है.

=>क्यों बढ़ी डॉलर की कीमत और रुपये में आई गिरावट?
बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ने के चलते डॉलर को मजबूती मिल रही है. वहीं 9 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भी डॉलर को मजबूत करने की दिशा में सहारा दिया. रुपये की लगातार गिरावट के पीछे मुख्य वजह विदेशी फंडों की लगातार निकासी बताई जा रही है. इसके अलावा अमेरिका की केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से भी रुपये का स्तर गिर रहा है. दरअसल अमेरिका में अगले महीने ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़कर 94 फीसदी पर चली गई है, ऐसे में डॉलर 14 साल की ऊंचाई पर है. अमेरिका में इकोनॉमी के अच्छे आंकड़ों से भी डॉलर को सपोर्ट मिला है, जबकि नोटबंदी से घरेलू बाजार में रुपये पर दोहरा दबाव है. नोटबंदी को भी इसके पीछे वजह माना जा रहा है लेकिन नोटबंदी का बहुत ज्यादा असर रुपये की कीमत को गिराने में नहीं है.

6. नोटबंदी के फायदे और नुकसान : अर्थशास्त्रीयों की प्रतिक्रिया
पूर्व वित्त सचिव सी एम वासुदेव की राय
1. कालाधन बाहर आएगा. नकली नोट में लगाम लगेगी.
2. टेररिस्ट, नक्सल, दहशतगर्द की फाइनेंसिंग पर भी अंकुश लगेगा.
3. हमेशा से कैश इकोनॉमी भारत में रही है, लेकिन अब लोगों को डिजिटल सिस्टम का पता चलेगा.
4. बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार होगा. बैंकों में ज्यादा खाते खुलेंगे.
5. सी एम वासुदेव भी मानते हैं कि इस कालाधन बाहर आएगा.
- **नोट बंदी के नुकसान बताते हुए सी एम् वासुदेव का कहना है**
1. आर्थिक व्यवस्था कुछ महीने के लिए ठप्प हो जायेगी.
2. हमारी व्यवस्था अभी कैश में चलती है. ऐसे में संशय लोगो के बीच बना रहता है. इकोनॉमिक सिस्टम को छेड़ना अपने पोलिटिकल गेन के लिए खतरनाक है. 3. नए नोट भी रिश्वत की मार्किट में आ गए हैं. गरीब को रोज़ के रोज़गार में जीत है उसका हक़ मारा गया. क्योंकि उसका रोज़गार ख़त्म हो गया है.
4. आने वाले दिनों में सब्ज़ी के रेट आसमान छूने लगेंगे. जीडीपी पर भी असर पड़ेगा. ये डाउन जायेगी.
5. वित्तमंत्री को खुद एक दिन पहले नोटबंदी के बारे में पता चला है. तैयारी के बिना इस फैसले के साथ आई है पूरी तरह गलत है.

नोटबंदी के फायदों पर उद्योगपति सुनील अलग
1. आतंकवाद और जाली नोट पर लगाम लगेगी.
2. कैश की जगह बैंकिंग चैनल से लेन-देन बढ़ेगा.
3. सरकार के पास पैसे होंगे तो गरीबों के लिए अस्पताल खुलेंगे, सड़कें बनेंगी, घर सस्ते हो जाएंगे.
4. ब्याज दरें घटेंगी. उद्योग जगत की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी.
5. निवेश बढ़ेगा, जिससे ज्यादा रोजगार पैदा होगा.

#मोहन गुरुस्वामी की राय

नोटबंदी के नुकसान

1. सरकार बिना तैयारी के इस नोटबंदी के मैदान में कूद पड़ी हैं और अब निकल नहीं पा रही है.
2. आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए अर्थव्यवस्था को ठप किया है और असली काले धन पर कुछ नहीं किया है. काला धन अब भी विदेश जा रहा है.
3. गरीब, मजदूर, किसान परेशान हैं. उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है. सब्जीवाले के पास, किसान के पास सब्जियां सड़ गईं हैं. सरकार ने ऐसा क्यों किया इसका सही जवाब देना चाहिए.
4. 500 का हर नोट काला धन नहीं होता. ज्यादातर वो पैसा है, जिस पर टैक्स दिया जा चुका है.
5.इस फैसले का असर होगा कि अगले 2 तिमाही में विकास दर और गिरेगी. असली विकास दर 4 फीसदी के आसपास है जो इस फैसले से और कम हो जाएगी.

अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक ये हैं नोटबंदी के खराब असर

1. सरकार ने जाली करेंसी और काले धन को रोकने का लक्ष्य घोषित किया, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं होंगे. काले धन का बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं लगा होता है, सर्कुलेशन में होता है. इसलिए नोटबंदी से काला धन खत्म नहीं होगा.
2. काली कमाई हर साल करीब 93 लाख करोड़ होगी. कुल काला धन इससे 4 गुना होगा. जबकि काली कमाई में कैश का हिस्सा सिर्फ 1 या 2 फीसदी ही होगा.
3. लोग तरह-तरह से काला धन सफेद करने में भी लगे हैं. कई तरीके निकाल लिये हैं, जिसके कारण जो 3 लाख करोड़ तक कैश होगा भी वो भी पूरा सरकार को नहीं मिल पाएगा. अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है.
4. देश में 94 फीसदी लोग गैर-संगठित क्षेत्र में हैं, जिन्हें काफी मुश्किल हो रही है. कागज और इंक की कमी के कारण रद्द हुए नोटों की भरपाई में रिजर्व बैंक को 8-10 महीने या साल भर भी लग सकते हैं.
5. काली कमाई वालों से ज्यादा आम जनता परेशान है क्योंकि काली कमाई वाले रास्ते निकाल लेते हैं.

जाली नोटों का छपना बंद करना होगा और सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा. आतंकवाद पर काबू पाने के लिए भी दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे, नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ेगा. सरकार के कदम से मंदी आने का खतरा है. रोज़गार, उत्पादन, खपत और निवेश सबमें कमी आएगी. गरीब आदमी की परेशानी और बढ़ेगी. पैसे की किल्लत पैदा होगी. लोग सोने की तरफ झुकेंगे, विदेशी मुद्रा ज्यादा रखेंगे जिसका असर ये होगा कि अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा.

7. मध्यस्थता (Arbitration) को सुधारने में आने वाली दिक्कते

GENERAL STUDIES HINDI

हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कारोबारी विवादों के निस्तारण में मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही है जो बहुत सराहनीय है। सोच के स्तर पर यह विचार बढ़िया है लेकिन इसका क्रियान्वयन उतना ही महत्त्वाकांक्षी

- प्रधानमंत्री ने प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और पेशेवर आचरण को अंतरराष्ट्रीय मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त खूबी बताया।
- इस दिशा में 23 अक्टूबर, 2015 को सरकार ने पंचाट एवं सुलह अधिनियम को (संशोधन) सैद्घांतिक मंजूरी दे दी।
- अधिनियम मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा प्रक्रिया की अवधि तय करने और उन्हें तेजी से निपटाने में भी यह मददगार होगा।

Some lacunaes (कुछ खामिया)

- पंचाट एवं सुलह) संशोधन (में कई प्रावधान ऐसे हैं जो नए कानून के प्रवर्तन पर प्रश्नचिह्न लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए नए कानून के तहत एक मध्यस्थता पंचाट आवश्यक है जिसके पास अदालत के समान अधिकार होंगे। वह 12 माह के भीतर निर्णय दे सकेगा।
    - इस अवधि को छह माह तक बढ़ाया जा सकता है।

- यह अवधि जितनी कम रखी जाएगी शुल्क उतना ही ज्यादा होगा।
- अगर देरी होती है तो हर बीतते महीने के साथ शुल्क पांच फीसदी कम किया जाएगा।
- अधिनियम में यह व्यवस्था भी है कि इसके तहत दिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ अगर अदालत का रुख किया जाता है तो उसे एक साल में निपटाना होगा।
- परंतु इस अवधि में देरी होने पर किसी जुर्माने की बात नहीं कही गई है। देश की अदालतों के सामने लंबित मामलों को देखते हुए यह प्रश्न उठता ही है कि क्या यह समय सीमा हकीकत के करीब है? क्या कभी इसका पालन हो पाएगा?
- विभिन्न पक्षों को मध्यस्थता काम निपटाने के लिए अवधि विस्तार की खातिर भी अदालत जाना होगा।
- वाणिज्यिक मामलों के निपटान में जितना वक्त लगता है उसे देखते हुए यह ठीक नहीं प्रतीत होता। देश की 1,200 के करीब फास्ट ट्रैक अदालतों में ही छह लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इससे उनकी काम करने की गति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

- मध्यस्थता का काम देश की विधिक व्यवस्था में निहित है। जिस किसी का पाला देश की अदालतों से पड़ा होगा वह यह जरूर मानेगा कि वैश्विक कारोबार निकट भविष्य में शायद ही वाणिज्यिक मामलों की मध्यस्थता के लिए सिंगापुर या लंदन को छोड़कर भारत का रुख करेंगे।
- वोडाफोन और उसके बाद हाल ही में टाटा डोकोमा का अनुभव भी उनके यकीन को बढ़ाने वाला नहीं है।
- यह बात ध्यान देने लायक है कि लंदन की अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जून में अपनी भारतीय शाखा बंद कर दी। जबकि यह संस्थान कुछ समय में देश के प्रमुख संस्थागत पंचाट के रूप में उभरा था।
- बीते छह सालों से इसे मामलों की कमी बनी थी। यही इसे बंद करने की वजह बना।
- इस बीच महाराष्ट्र सरकार और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विधिक समुदायों ने मिलकर इस वर्ष अक्टूबर में मुंबई में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की है।

सैद्घांतिक रूप से इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि भारतीय मध्यस्थता मामलों को सिंगापुर स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से वापस लाया जा सके। वहां 90 फीसदी से अधिक मामले भारत से जुड़े हैं। ऐसे वक्त पर जबकि भारत एक उच्च क्षमता वाले निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है तब अनुबंधों के प्रवर्तन जैसे कारोबारी सुगमता मानक बहुत अहम हो चले हैं। प्रश्न यह है कि क्या विधिक व्यवस्था इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है?

GENERAL STUDIES HINDI

8. आर्थिक राष्ट्रवाद और global growth

रेटिंग एजेंसी FITCH की 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के मुताबिक़

- लगातार बढ़ रहा लोकप्रियतावाद और व्यवस्था विरोधी रुझान दुनिया को आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में धकेल देगा।
- इसके चलते संरक्षणवाद जोर पकड़ेगा, जो लंबी अवधि में ग्लोबल ग्रोथ के लिए खतरा बन जाएगा।
- एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकलना (ब्रेक्जिट) और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुना जाना ऐसे ही प्रमुख उदाहरण हैं
- रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापारिक संरक्षणवाद व पेशेवरों की आवाजाही रोकने से विकसित देशों की आर्थिक विकास दर लंबी अवधि में धीमी हो जाएगी। अल्पकाल में इनको थोड़ा फायदा दिख सकता है।
- विश्व की औसत विकास दर चालू साल के 2.5 फीसद की तुलना में 2017 के दौरान 2.9 फीसद रह सकती है।
- अमेरिका में निवेश बढ़ने और ब्राजील व रूस के मंदी से बाहर आने की वजह से यह सुधार छोटी अवधि के लिए होगा।

क्या है संरक्षणवाद

यह वह आर्थिक नीति है जिसका अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार निरोधक लगाना। व्यापार निरोधक विभिन्न प्रकार से लगाये जा सकते है जैसे :-

- आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना,
- प्रतिबंधक आरक्षण और
- अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधक नियम

इनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना और विदेशी समवायों द्वारा स्थानीय बाजारों और समवायों (कंपनियों) के अधिग्रहण को रोकना है

9. व्यापार सुगमता मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अव्वल

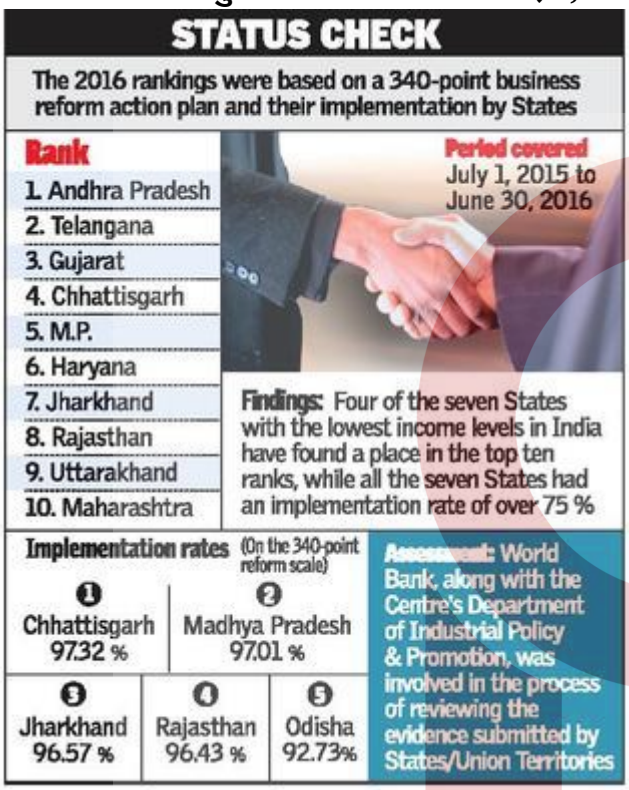

- विश्व बैंक और डीआईपीपी की व्यापार सुगमता सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं जबकि गुजरात फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया है।
- केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के (डीआईपीपी)340 बिंदु वाले व्यापार सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के आधार पर तैयार सूचकांक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा क्रमशचौथे :, पाचवें और छठे स्थान पर हैं।
- कुल 10 सुधार क्षेत्रों से जुड़ी कार्ययोजना में 58 नियामकीय प्रक्रियाएं, नीतियां, गतिविधियां या कार्यप्रणाली शामिल हैं।
- ये मुख्य रूप से एकल खिड़की मंजूरी, कर सुधार, श्रम एवं पर्यावरण सुधार, विवाद समाधान तथा निर्माण परमिट हैं।
- पिछले साल के सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर था। आंध्र प्रदेश दूसरे तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर था।

GENERAL STUDIES HINDI

10. जीएसटी की चार दरों पर सहमति

जीएसटी) वस्तु एवं सेवा कर (काउंसिल में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली इस समिति में शून्य के अतिरिक्त जीएसटी की चार दरों पर सहमति बनी है।

- राज्यों ने चार स्तरीय 5, 12, 18 और 28 फीसदी जीएसटी पर सहमति बबनी है
- खाद्यान्न सहित खुदरा महंगाई दर की टोकरी में शामिल करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर शून्य रहेगी।
- अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
- तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय और लक्जरी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस भी लगेगा।
- जीएसटी की ये दरें किन उत्पादों पर लागू होंगी इसकी विस्तृत सूची सचिवों की समिति तय करेगी।
- सेस की दर फिलहाल तय नहीं है

- तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल 65 प्रतिशत टैक्स और शीतल पेय पर करीब 40 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों श्रेणियों के उत्पादों पर इससे कम टैक्स नहीं लगेगा।
- इसके अतिरिक्त मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा सेस भी जारी रहेगा। दोनों प्रकार के सेस से जुटाई जाने वाली राशि से केंद्र सरकार राज्यों को संभावित राजस्व क्षति की भरपाई करेगी।
- सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका।
- सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की दो स्टैंडर्ड दरें रखी हैं। इसके तहत 12 और 18 प्रतिशत की दर का चुनाव किया गया है।

11. कोर सेक्टर की ग्रोथ सुधरी, सितंबर में बढ़कर 5%

- कोर सेक्टर के आंकड़े इकोनॉमी में बेहतरी के संकेत दे रहे हैं। सितंबर में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ महीने दर महीने आधार पर 3.2 फीसदी से बढ़कर 5 फीसदी रही है
- सीमेंट, बिजली, कोयला के उत्पादन में सुधार से कोर सेक्टर की ग्रोथ सुधरी है।
- क्रूड ऑयल, नैचुरल गैस, फर्टिलाइजर उत्पादन में गिरावट देखी गई है।
- फर्टिलाइजर और स्टील उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है।

What is core sector

कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। यही आठ क्षेत्र कोर सेक्टर कहे जाते हैं। इनकी विकास दर में कमी या बढोत्तरी बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद की हालत क्या है।

12. मेट कोक पर एंटीडंपिंग ड्यूटी के खिलाफ देसी स्टील निर्माता-

Why in News:

देसी स्टील निर्माताओं ने सरकार से कहा है कि वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया व चीन से आयातित मेटलर्जिकल कोक पर एंटी डंपिंग ड्यूटी न लगाए क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय ने ऐसे आयात पर-25 डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाने की सिफारिश की है|

GENERAL STUDIES HINDI

Why this opposition:

मेट कोक पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने से भारत में स्टील क्षेत्र की लागत बढ़ जाएगी। यह शुल्क-लगाए जाने से तैयार स्टील की कीमत700-1500 रुपये प्रति टन बढ़ जाएगी। मेट कोक की कीमत जनवरी 2016 के 121 डॉलर प्रति टन के मुकाबले बढ़कर अभी 285 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई है।

What is Met Coke

- मेटलर्जिकल कोक या मेट कोक स्टील क्षेत्र का प्रमुख कच्चा माल है और कच्चे स्टील की कुल लागत में इसका योगदान 40-50 फीसदी है।
- यह लो ऐश व लो सल्फर बिटुमिनस कोल से बनाया जाता है।

GOVERNANCE

1. दिल्ली में पुलिस मित्र योजना

पुलिस मित्र योजना इस बात से प्रेरित है की पुलिस को आगे बढ़कर जनता से सहयोग लेने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह जनता और पुलिस के बीच परस्पर सहयोग सोच पर आधारित है

लाभदायक पहल :

- पुलिस मित्र योजना की शुरुआत सराहनीय पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पुलिस और जनता के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने व अपराध रोकने में मदद मिलेगी। समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है।
- इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न वर्गो की समस्याएं पुलिस अधिकारियों तक पहुंच सकेगी।
- इससे पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी क्योंकि कई लोग अपराध का शिकार होने के बावजूद पुलिस को शिकायत करने में हिचकते हैं। इस वजह से अपराधी बच निकलते हैं।
- इसी तरह से जागरूकता की कमी की वजह से लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। लेकिन जब उनके बीच के लोग पुलिस मित्र बनेंगे तो आम लोग उनके माध्यम से पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने को प्रेरित होंगे।
- इस योजना में महिलाओं की भागीदारी होने से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में भी मदद मिलेगी। योजना के शुरुआत में ही जिस तरह से महिलाओं ने उत्साह दिखाया है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

Analysis :

न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना के साथ जोड़ने की जरूरत है बल्कि इसकी नियमित समीक्षा भी जरूरी है ताकि इसकी कमियों को दूर कर इसे प्रभावी बनाया जा सके। पुलिस मित्र योजना को सफल बनाने के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के साथ ही जनप्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों और अन्य जिम्मेदार नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। योजना को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई कोताही दिखे या कोई इसका दुरुपयोग करता मिले तो तुरंत इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जानी चाहिए। ।

GENERAL STUDIES HINDI

2. स्वतंत्र निदेशकों की सवतंत्रता

टाटा संस के अध्यक्ष पद से साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई के एक महीने बाद भी विवाद जारी है। दोनों पक्ष लंबे और एक अप्रिय मुकाबले को तैयार हैं, जिसमें शेयरधारक भी शामिल होंगे और शायद अदालतें भीं। यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि टाटा संस ने मिस्त्री को क्यों हटाया? और न ही यह साफ है कि इस लड़ाई में मिस्त्री क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि इस विवाद में टाटा के स्वतंत्र निदेशकों को भी घसीट लिया गया है। कुछ वाकई इस लड़ाई के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नहीं।

मगर सवाल यह है कि स्वतंत्र निदेशक आखिर किस हद तक स्वतंत्र हैं?

- स्वतंत्र निदेशकों की परिभाषा कंपनी ऐक्ट 2013 में बखूबी परिभाषित की गई है। अगर कंपनियां इस कानून की धारा 149 (6) का अक्षरश :पालन करतीं, तो शायद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता कि उनके बोर्ड में अधिकतर स्वतंत्र निदेशक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन एनआर नारायाणमूर्ति के रिश्तेदार डीएन प्रहलाद को कंपनी के बोर्ड में शामिल करने के बाद एक छद्म सलाहकार कंपनी ने कहा था कि डीएन प्रहलाद संस्थापकों' के मनोनीत) निदेशक '(लगते हैं, कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।

- कई भारतीय कंपनियों में वर्षों से जो हो रहा है, वह यही बताता है कि स्वतंत्र निदेशक हमेशा स्वतंत्र नहीं होतें; भले ही वे तमाम मानकों पर खरे उतरें। कुछ मामलों में तो यह देखा गया है कि उद्योगपति या संरक्षक उन पूर्व नौकरशाहों को यह पद देते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों उनके हक में कोई काम किया था।
- कुछ मामलों में तो उद्योगपति अपने दोस्तों या दोस्त के संबंधियों को स्वतंत्र निदेशक बनाते हैं, जो शायद ही उनके फैसले की मुखालफत करते हैं
- मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे स्वतंत्र निदेशक, जो ऊपर दी गई श्रेणियों में नहीं आते, वे भी बमुश्किल उन शेयरधारकों या संरक्षकों के खिलाफ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें इस ओहदे पर बिठाया होता है। असलियत में कुछ तो इनके कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है और कंपनी के फायदे में उनकी हिस्सेदारी होती है।

इस सन्दर्भ में क़ानून

- स्वतंत्र निदेशकों को लेकर बना 2005 का कानून, उनके कार्यकाल से जुड़ा 2013 का कानून और महिला निदेशकों के संदर्भ में बना 2015 का कानून भारतीय कंपनियों के आंतरिक प्रशासन में सुधार करता और बोर्ड को बेहतर बनाता दिखता है।
- 2005 के कानून में जहां यह तय किया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे, वहीं 2013 का कानून कहता है कि स्वतंत्र निदेशक अधिकतम दस वर्ष तक काम करेंगे यानी उन्हें लगातार दो कार्यकाल ही मिलेंगे।
- 2015 के कानून में महिला अधिकारों की बात कही गई है और बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक (वह स्वतंत्र हो या नहीं) रखने के निर्देश सूचीबद्ध कंपनियों को दिए गए हैं।

इन कानूनों का थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा है, मगर अंतत: किसी बोर्ड की बेहतरी इसी पर निर्भर करेगी कि उसके स्वतंत्र निदेशक कितने कुशल हैं और उन्हें किस हद तक आजादी मिली हुई है। ऐसे में, मिस्त्री और टाटा का यह विवाद असल में, तमाम नियामकों, संरक्षकों, स्वतंत्र निदेशकों, शेयरहोल्डर एडवाइजरी फर्म व मीडिया को एक बार फिर इस व्यवस्था पर वही पुराने सवाल उठाने का मौका देता है।

Miscellaneous:

1. चंद्रभागा नदी

- पुराणों में वर्णित सरस्वती नदी की भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने एक और भारतीय नदी के साक्ष्य पाने का 'विलुप्त' दावा कर रहे हैं।
- इस प्राचीन नदी का नाम चंद्रभागा है और माना जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर से दो किलोमीटर की दूरी पर इसका अस्तित्व था।
- पौराणिक कहानियों में इस मंदिर के आसपास चंद्रभागा नदी की मौजूदगी का संकेत मिलता है। चित्रों व तस्वीरों में भी नदी को दर्शाया गया है।

2. **अभ्याससूर्य किरण -**

- भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था जिसने दोनों देश की सेनाओं को आतंकी कार्रवाइयों- का मुकाबला करने एवं आपदा प्रबंधन पर अपने अनुभवोंको साझा करने के लिए एक आदर्श मंच मुहैया कराया।